खण्ड-175, अंक-7
मंगलवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1878
(7 अगस्त, 1956 ई0)

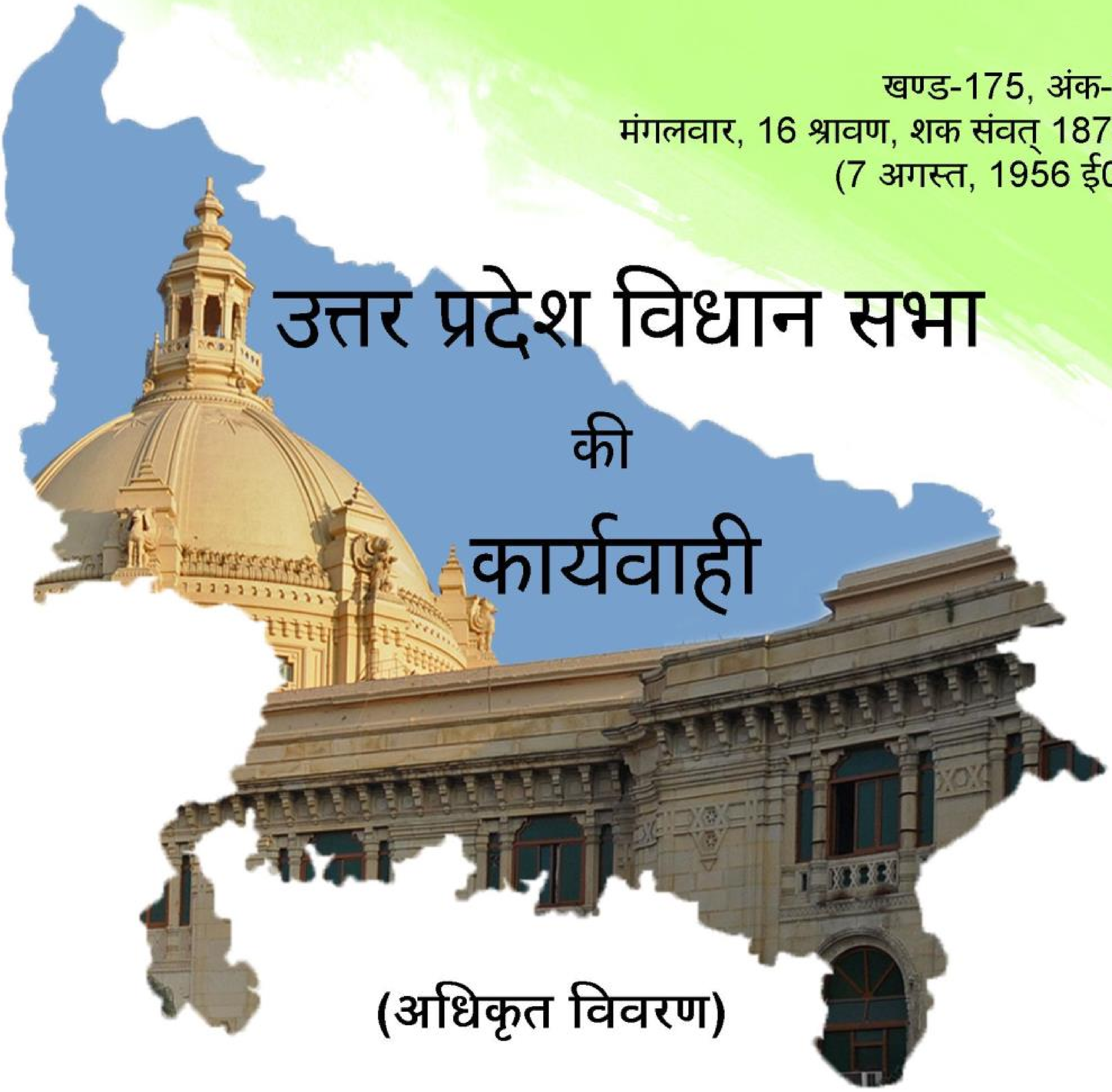

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 175 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९२)

अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेद लाल चौधरी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री

जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायणसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री

मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, राजा
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री

शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द , श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिसिंह , श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मुरादाबाद जिले के लिए तकावी की स्वीकृति

**१—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश मुरादाबाद ने वर्ष १९५६ ई० में कितनी तकावी की धनराशि की मांग की है और अब तक उनको कितनी धनराशि तकावी सम्बन्धी भेजी जा चुकी है ?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—जिलाधीश मुरादाबाद द्वारा वर्ष १९५६ में की गई तकावी के लिये धन की मांग तथा स्वीकृत की गई धनराशियों का ब्योरा इस प्रकार है :

कारण			तारीख जिसको धनराशि स्वीकृत की गई
आग ..	..	..	१८-५-५६
बाढ़ ..	..	..	६-७-५६

इन धनराशियों के अतिरिक्त क्रमशः ऐक्ट १२ तथा ऐक्ट १९ के अन्तर्गत १५,००० रु० तथा ५,००० रु० की धनराशियां २८-४-५६ को साधारणतः तकावी वितरण के लिये स्वीकृत की गईं ।

कालोनाइजेशन क्षेत्र में जमीन का लगान कम करने की प्रार्थना

**२--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार को ज्ञात है कि कालोनाइजेशन क्षेत्र में निर्धारित लगान प्रदेश के दूसरे स्थानों के सर्किल रेट से अधिक है ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह--प्रदेश में हजारों सेट सर्किल रेट के हैं। यह कहना नामुमकिन है कि कालोनाइजेशन क्षेत्र का निर्धारित लगान प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से अधिक है कि नहीं। प्रदेश के दूसरे स्थानों में तो बाजी २ जमीनों के सर्किल रेट ८ रु० एकड़ से लेकर ४० रु एकड़ तक है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

**३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या कालोनाइजेशन के काश्तकारों ने माल मंत्री जी से कई बार यह मांग की है कि वहां का लगान कम कर दिया जाय ? अगर हां, तो उनकी मांग पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह--जी हां। लगान के कम करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि कालोनाइजेशन क्षेत्र का सर्किल रेट कितना है ?

श्री चरणसिंह--कोई एक रुपये से लेकर साढ़े तीन रुपये तक।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि यह जो सर्किल रेट कालोनाइजेशन के लिये मुकर्रर है यह आसपास के खास सर्किल रेट से बहुत ज्यादा है ?

श्री चरणसिंह--कालोनाइजेशन का कोई रेट नहीं है। मैं समझा था कि आप का सवाल यह होगा कि वह जमीन जहां कि कालोनाइजेशन किया गया है उसका सर्किल रेट क्या है। वह तो गवर्नमेंट स्टेट का जुज था, वह एरिया जो कालोनाइजेशन एरिया कहलाता है और उसका सर्किल रेट साढ़े तीन रुपये तक है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कालोनाइजेशन क्षेत्र में दो या तीन प्रकार के रेट्स क्यों हैं ? एक ही क्षेत्र में कई प्रकार के सर्किल रेट क्यों हैं ?

श्री चरणसिंह--कालोनाइजेशन क्षेत्र में ही नहीं सारे सूबे में हजारों किस्म के सर्किल रेट हैं। वह जमीन की फर्टेलिटी के ऊपर और और हालात के ऊपर मबनी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस कालोनाइजेशन एरिया में कितना सर्किल रेट कम करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री चरणसिंह--सर्किल रेट कम करने का प्रश्न नहीं है, मालगुजारी से शायद आप का मतलब है। हमने जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में यह उसूल माना है कि जहां लगान या मालगुजारी सर्किल रेट के दूने से ज्यादा हो तो जिस कदर वह ज्यादा है उस कदर कम कर दी जाय। इसके लिये सेक्शन २४६ है। तो इसी उसूल को कालोनाइजेशन एरिया में लागू करने के सवाल पर विचार हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि माननीय माल मंत्री जी ने काशीपुर तहसील में कंठेश्वर नामक स्थान में एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए यह आश्वासन दिया था कि वह सर्किल रेट का दूना लगान इसी जुलाई मास से लागू हो जायगा ?

श्री चरणसिंह--अब ऐसा डेफेनिट प्रामिस तो मैंने नहीं किया होगा। मैंने यही कहा होगा कि इस पर विचार हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतला सकेंगे कि यह विचार कब तक समाप्त हो जायगा और कब तक इस सम्बन्ध में आज्ञायें लागू हो जायंगी ?

श्री चरणसिंह---मैं इसके लिये कोई तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में परगनाधीश फूलपुर के न्यायालय में अभियोग

*१---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---सरकार कृपया बतायेगी कि हाकिम परगना फूलपुर (आजमगढ़) के इजलास में ६ मास से अधिक के कितने मुकदमे पड़े हैं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---कोई नहीं।

*२---श्री विश्रामराय---क्या सरकार बतायेगी कि दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के कितने ऐसे मुकदमे हैं, जिन्हें दाखिल हुये १ वर्ष से अधिक व्यतीत हो गया और उनका फैसला अभी तक नहीं हो सका ?

श्री सैयद अली जहीर---कोई नहीं।

*३---श्री विश्रामराय---क्या सरकार बतायेगी कि पिछले १ वर्ष में फूलपुर एस० डी० एम० से यहां से कितने मुकदमे ट्रांसफर हुये हैं और कितनों का फैसला हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---८७ मुकदमे ट्रान्सफर हुये और ६१८ मुकदमों का फैसला हुआ।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय न्याय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये ८७ मुकदमे क्यों ट्रान्सफर हुये ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे पास इसका ब्योरा नहीं है कि यह ८७ मुकदमे क्यों ट्रांसफर हुये।

वाराणसी में घाटों की मरम्मत का काम

*४---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश के जीर्ण घाटों की मरम्मत कराने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सूची सदन में रखने की कृपा करेगी ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---जी हां। वाराणसी के घाटों के प्रथम चरण की पुनर्निर्माण की योजना बनाई गई है। घाटों की सूची मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५०२ पर)

*५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बनारस के घाटों पर अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है और कितने घाटों की मरम्मत हो चुकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---१९,६१,६८८ रुपया व्यय हो चुका है। केवल चेतसिंह घाट पर कार्य समाप्त हो चुका है और घाटों पर कार्य चालू है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि बनारस के घाटों को छोड़कर प्रदेश के और घाटों की योजना क्यों नहीं बनायी गयी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---औरों के सम्बन्ध में योजना है और माननीय सदस्य का जिस जिले से सम्बन्ध है इलाहाबाद से उसके सम्बन्ध में भी कुछ योजनायें बनायी जा रही हैं। वह पूरी होते ही फ्लड कंट्रोल बोर्ड के सामने रखी जाँयगी और मैं समझता हूं उसके पश्चात् कार्य आरम्भ हो सकेगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जो योजना इलाहाबाद के घाटों के लिये बनायी जायगी वह कौन से घाट हैं और उनके लिये क्या योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इलाहाबाद में वह हिस्सा जिसमें इस समय माघ मेला होता है वह भी गंगा से कटता जा रहा है। तो एक प्रकार से इलाहाबाद को बचाने के लिये वह योजना है, जिससे इलाहाबाद में कुछ कार्य किया जाकर उसको बचाया जा सके।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बतायेगी कि आगरा जिले के बटेश्वर के जीर्णोद्धार के लिये कोई योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी तो कोई नहीं है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उस बटेश्वर के पुनर्निर्माण की योजना न होने का क्या कारण है ?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---साधनों की कमी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय बनारस के घाटों की मरम्मत की जो योजना सरकार के पास है उसके मुताबिक जितने वहां बिगड़े हुये खराब घाट हैं वह सब मरम्मत हो जायंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इनको तीन चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण में जो घाट हैं उनका उल्लेख इसके साथ में संलग्न है और माननीय सदस्य की मेज पर रखा है। दूसरे चरण में ११ घाट हैं। तीसरे चरण में भी कुछ घाट हैं। यह सारे घाटों का कार्य पूरा हो जायगा यह तो बताना कठिन है लेकिन जहां तक मेरा विचार है बहुत काफी घाट, जिनकी मरम्मत की आवश्यकता है, उनका कार्य पूरा हो सकता है।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या उन्नाव जिले के अन्तर्गत बागेश्वर का प्राचीन चन्द्रिका घाट जो कटता जा रहा है उसके पुनर्निर्माण की कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष---मैं प्रत्येक जिले के लिये ऐसे प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दूंगा। इसका उत्तर तो आप दे दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कोई योजना नहीं है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि वाराणसी में किन-किन घाटों की मरम्मत की योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---चेतसिंह घाट, गुलरिया घाट, विजयानगरम् घाट, त्रिपुरा भैरवी घाट, मीर घाट, मीर घाट और ललिता घाट के बीच का भाग, शीतला तथा दशाश्वमेध घाट, दुर्गा तथा ब्रह्मा घाट, बूंदी पर कोट घाट और आदिकेशव घाट।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के अलावा और भी किन्हीं मशहूर शहर के घाटों के बनाने की योजना है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, यह घाटों के निर्माण का जो काम हो रहा है या किन्हीं मशहूर शहरों के या किन्हीं पवित्र घाटों की दृष्टि से नहीं हो रहा है बल्कि केन्द्रीय सरकार के सलाहकारों का यहां ऐसा ख्याल था कि गंगा जी के जिस तरह से घाट कट रहे हैं उसका परिणाम यह होगा कि थोड़े दिनों में इस बनारस शहर का बहुत बड़ा हिस्सा नदी में चला जायगा, जिससे करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान हो जायगा और एक ऐसी चीज जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से सारी पृथ्वी के सारे विदेशों में विशेष स्थान रखती है हमेशा के लिये नष्ट हो जायगी। इसलिये केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार ने वहां सब से पहले कदम उठाना उचित समझा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम चरण में जितने घाट बनने के लिये हैं उनमें कुल कितना व्यय होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अलग-अलग ब्योरा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तीनों चरणों में ९५ लाख ९० हजार रुपया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---जब माननीय मुख्य मंत्री इलाहाबाद पधारे थे तो क्या उन्होंने नागवासू घाट का निरीक्षण किया था और वहां की जनता को उसकी मरम्मत का आश्वासन दिया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसा जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बलगर आश्वासन तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैंने यह कहा था कि हां, ऐसे घाटों का इन्तजाम होना चाहिये। यदि हम रुपये का प्रबन्ध कर सके तो जरूर उसकी तरफ ध्यान देंगे।

*६---श्री कल्याणचन्द मोहिले---[९ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न ३५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७-९---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[१८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।)

जौनपुर जिले में सई नदी पर यातायात के साधनों की कमी

*१०---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सई नदी पर जलालपुर में शाहीपुल के अतिरिक्त किसी अन्य पुल के बनाने की योजना है जिससे बरसात में यातायात अवरुद्ध न हो ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---जी नहीं। इस समय ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जौनपुर में अतिरिक्त मुंसिफी की आवश्यकता

*११---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर की मुंसफी की अदालतों में पुराने मुकदमों की बहुत बड़ी बकाया को देखते हुये एक मुंसिफ की अदालत और बढ़ाने का कब तक विचार है ?

श्री सैयद अली जहीर---यद्यपि जौनपुर की मुंसिफी की अदालत में पुराने मुकदमों की बकाया बहुत बड़ी है परन्तु न्याय अधिकारियों की कमी और दूसरी जगहों पर इस से भी ज्यादा बकाया को ध्यान में रखते हुए, फिलहाल जौनपुर में एक और मुंसिफ की अदालत बढ़ाने का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

शमशाबाद-फतिहाबाद, फतिहाबाद-फिरोजाबाद तथा आगरा-जलेसर सड़कों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में न लेने के कारण

*१२—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शमशाबाद-फतिहाबाद सड़क क तथा फतिहाबाद-फिरोजाबाद सड़क का पक्का किया जाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में शामिल किया गया है या नहीं ? अगर हां, तो इस सड़क का पक्का किया जाना कब से शुरू होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

प्रथम भाग—यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

द्वितीय भाग—यह प्रश्न नहीं उठता ।

*१३—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा-जलेसर कच्चा रोड का पक्का किया जाना तथा उस सड़क पर पड़ने वाले पुल का बनाया जाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में शामिल है या नहीं ? अगर हां, तो उसका निर्माण कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

प्रथम भाग—यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है ।

द्वितीय भाग—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इन सड़कों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित न करने का कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—आगरे में प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर २९७ मील सड़कें होती हैं और स्टार-ग्रिड फारमूला के अनुसार ३०६ मील सड़कें होनी चाहिये । इस तरह से ९ मील सड़क कम थी । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस फारमूला के अनुसार जितनी सड़कें ली जा सकेंगी वे सब लेकर सारे प्रदेश का लक्ष्य का १७१/२ प्रतिशत के लगभग होगी; आगरे में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में साढ़े सात मील लम्बी सड़क ली गई है और लक्ष्य से केवल डेढ़ मील नीचे रह जायगी । प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले में आगरे में अधिक प्रगति होगी । दूसरे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने पहली सड़क को ३—ए, दूसरी को ३—बी और तीसरी सड़क को ६ प्राथमिकता दी थी और इस प्रकार भी इनका सम्मिलित न किया जाना प्राथमिकता के अनुकूल ही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इस सड़क के न लिये जाने का कारण यह भी है कि केन्द्रीय प्लानिंग कमीशन ने इस राज्य में पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क निर्माण के लिये कम रुपया रखा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—धन की कमी तो है ही ।

श्री नारायदणदत्त तिवारी—क्या प्रदेशीय सरकार ने इस प्रकार सड़कों के लिये सेंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० से रुपया मांगा है ?

श्री लक्ष्मीमरण आचार्य—बहुत बार मांगा है, काफी मांगा है, लेकिन मांगने से मिला नहीं है ।

*१४—१६—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—[१८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७–१९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[१८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२०–२२—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—[११ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न १८–२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना परगने में भूमि सींचने के लिए सर्वेक्षण योजना

*२३—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि परगना बुढ़ाना मुजफ्फरनगर का एक कृषि योग्य पूर्वीय समतल बड़ा भाग बिना किसी सिंचाई के साधन के पड़ा है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जी हां ।

*२४—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार शीघ्र सर्वे कराकर इस समतल भूमि में राजकीय विद्युत् नलकूप लगवाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—इस क्षेत्र का सर्वे करने के पश्चात, उचित भूगर्भ के प्राप्त होने पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवश्यक नलकूप बनाये जाने का विचार किया जायेगा ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि परगना बुढ़ाना में कितने वर्गमील भूमि ऐसी है जो सिंचाई के योग्य है ?

श्री राममूर्ति—इसमें ८ वर्गमील भूमि ऐसी है जो सिंचाई के योग्य है । जिन गांवों में यह जमीन है वह हैं,—बली, टांडा मजरा, नसीरपुर रिडौलानसला, श्यामपुर । यदि इन क्षेत्रों को नलकूप के योग्य पाया गया तो नलकूप लगाये जायंगे ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इस परगने में सर्वे आरम्भ कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री राममूर्ति—सर्वे आरम्भ नहीं हुआ है, लेकिन शीघ्र ही किया जायगा ।

नहर विभाग द्वारा १३६२ फसली में लगाये गये तावान के मीजान की मांग

*२५—श्री श्रीचन्द्र—क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नहर विभाग के प्रत्येक डिवीजन में १३६२ फसली में कितना-कितना तावान लगाया गया और इसमें से कितना कितना प्राप्त हुआ ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न में मांगी गई सूचना के उपलब्ध करने में अधिक समय, परिश्रम और धन नष्ट होगा, जिससे कोई सार्वजनिक हित नहीं निकलेगा ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतावेंगे कि क्या तावान का मीजान डिवीजनवार नहीं रक्खा जाता है ?

श्री राममूर्ति—तावान का भी मीजान सब डिवीजनवार रहता है । ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि सारी स्टेट के तावान का मीजान रक्खा जाय, हर डिवीजनवार हिसाब एकत्रित होने में काफी देर लगेगी और उससे कुछ लाभ नहीं समझा गया ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—सिंचाई विभाग प्रति वर्ष कितना तावान वसूल करता है क्या इसका स्टेटमेंट वह तैयार नहीं करता ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया सब-डिवीजनवार स्टेटमेंट बनता है । ऐसी प्रथा नहीं है कि सारी स्टेट की जानकारी एक जगह रक्खी जाती हो ।

जालौन जिले की नगरपालिकाओं की चुंगी-कर लगाने के लिए मांग

*२६—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन के म्युनिसिपल बोर्ड जालौन से व अन्य उरई-कोंच और कालपी म्युनिसिपल बोर्डों से सरकार के पास कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र आया है जिसमें नाकाबन्दी चौकियां कायम करके चुंगी-कर योजना लागू करने की मांग की गई है ? अगर हां, तो सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—सन् १९५३ में जिलाधीश जालौन ने जालौन जिले की नगरपालिकाओं की चुंगी लगाने की मांग को सरकार के पास विचारार्थ भेजा था। सरकार ने उस पर विचार करने के बाद एक सरकारी आदेश द्वारा नवम्बर, १९५४ में जिलाधीश से यह कहा था कि सरकार म्युनिसिपैलिटियों को चुंगी (octroi) अथवा टोल कर लगाने देना फिलहाल ठीक नहीं समझती, इसलिये वह अपने जिले की नगर-पालिकाओं को, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये अधिक प्रत्यक्ष कर (direct taxes) लगाने की वांछनीयता पर विचार करने को कहें और इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव नगरपालिकायें दें उन्हें वह सरकार के पास विचारार्थ भेजे। उपरोक्त पत्र जारी होने के बाद से अभी तक नगरपालिकाओं ने कोई भी निश्चित प्रस्ताव सरकार को नहीं प्रेषित किये हैं।

श्री बसन्तलाल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चुंगी कर योजना को कायम करने के लिये नगरपालिकाओं को अलहदा अलहदा या सामूहिक रूप से कितनी आर्थिक स्थिति होना अनिवार्य है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस योजना को लागू करने के लिये किसी खास आर्थिक स्थिति की बात नहीं है। प्रश्न यह था कि डायरेक्ट टैक्सेशन नगरपालिकायें लगायें। उनका कहना था कि डायरेक्ट टैक्सेशन न लगाया जाय टोल टैक्स लगाया जाय, क्योंकि डाइरेक्ट टैक्स वसूल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनको लिखा गया है कि डाइरेक्ट टैक्स लगायें और उसको सुधारने के जो प्रस्ताव हैं वह भेजें।

श्री बसन्तलाल—क्या आम जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए जिला जालौन की म्युनिसिपैलिटियों से निश्चित प्रस्ताव जिलाधीश जालौन द्वारा जल्द से जल्द मंगवा कर चुंगी योजना लागू करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो वहां की नगरपालिकाओं के ऊपर है कि वे पहले पत्र के उत्तर में यहां पर लिखें तब उस पर विचार होगा।

जालौन जिले में सिंचाई का कार्य

*२७—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा जिला जालौन में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सा कार्य हुआ है और क्या शेष रह गया है तथा उस पर कितना-कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला जालौन में २१० मील लम्बी नहरों का निर्माण किया जा चुका है और शेष कुछ नहीं रह गया है। चूंकि व्यय के आंकड़े योजनानुसार रखे जाते हैं, इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जिला जालौन में इस कार्य पर कितना व्यय हुआ।

*२८—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इसी विभाग द्वारा सरकार कौन-कौन सा कार्य कराने का विचार रखती है और उस पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की जायेगी ?

श्री राममूर्ति---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र में ४४ मील नई नहरों के निर्माण करने का प्रस्ताव है। व्यय का अनुमान जैसा अभी बताया, लगाना कठिन है।

श्री बसन्तलाल---२१० मील नहर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कोई कार्य शेष भी नहीं रह गया है, लेकिन इस कार्य में कितनी धनराशि खर्च हुई, उसकी पूरी-पूरी जानकारी सरकार को न होने के क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि प्रोजेक्ट बनाया जाता है नहर के पूरे हिस्से का, तीन चार जिलों से नहर गुजरा करती है तो ऐसा हिसाब नहीं लगाया जाता कि इस जिले की बाउन्डरी से उस जिले की बाउन्ड्री के अन्दर तक कितना खर्चा हुआ। पूरे प्रोजेक्ट के खर्चे का हिसाब रखा जाता है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि हिम्मतपुर माइनर २१० मील जो नहर बनी है उसमें शामिल है या अभी वह काम पूरा नहीं हुआ ?

श्री राममूर्ति---इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री बसन्तलाल---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि २१० मील लम्बी नहर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर जिला जालौन में बनी है वह सब नयी की नयी है या पुरानी नहर के निर्माण का कार्य भी उसमें शामिल है ?

श्री राममूर्ति---माताटीला डाम से प्रथम चरण के अन्तर्गत २१० मील नयी नहर बनी है।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जालौन जिले में कंटूर बंधियां बनाने की भी कोई योजना है ?

श्री राममूर्ति---ठीक से तो नहीं कह सकता लेकिन जहां जरूरत होती है कंटूर बंधियां बनाने की वहां बुन्देलखंड में बनायी जाती हैं।

आजमगढ़ जिले में घाघरा नदी पर दोहरीघाट पुल की निर्माण योजना

*२९---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के दोहरीघाट नामक स्थान पर घाघरा का पक्का पुल का निर्माण कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---पुल का आगणन तैयार किया जा रहा है जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर पुल का निर्माण आरम्भ होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि एक साल पहले इस दोहरीघाट पुल के निर्माण के लिए भी यही उत्तर दिया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका स्पष्ट स्मरण तो है नहीं। लेकिन यह सही है कि सितम्बर, १९५६ में एक आगणन केन्द्रीय सरकार को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसको वापस किया, क्योंकि जो स्थान पुल बनाने के लिए यहां से भेजा गया था उसके लिए उन्होंने दूसरा स्थान निर्धारित किया और अब दूसरा आगणन तैयार किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस पुल के बनाने में कुल कितना खर्च होगा ?

नोट---तारांकित प्रश्न २९-३१ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—९१ लाख ४० हजार ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि सितम्बर सन् ५५ में जो उत्तर दिया गया था उसमें भी इसका तखमीना ९१ लाख का था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सूचना की आवश्यकता होगी । मेरे हिसाब से तो हो सकता है कि यही हो क्योंकि केवल स्थान परिवर्तन की ही बात है और उसमें कुछ अन्तर पड़ सकता है थोड़ा बहुत ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस पुल के खर्च का कितना प्रतिशत केन्द्रीय सरकार बर्दाश्त करेगी और कितना प्रतिशत प्रादेशिक सरकार ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—केन्द्रीय सरकार इस सभी खर्चे को पूरा बर्दाश्त करेगी ।

आजमगढ़ जिले के पकड़ी ताल से नाला निकालने की योजना

*३०—**श्री झारखंडे राय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि पकड़ी ताल (तहसील घोसी, जिला आजमगढ़) के बरसात के दिनों में एकत्र अतिरिक्त पानी (जिसके कारण फसलों की अत्यधिक बरबादी प्रतिवर्ष होती है) के नियमित निकास के लिये उस ताल से किसी नाले को निकालने की कोई योजना उसके विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौन सी ?

श्री राममूर्ति—पकड़ीताल से वर्षाकाल में एकत्रित अतिरिक्त पानी को नकटी ताल में ले जाने के लिये एक नाला बनाने की योजना तैयार की जा रही है । इस योजना से फसलों की बर्बादी बच जायेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पानी के निकास के लिए जो योजना बनाई गई है उस पर कुल कितना व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति—अभी एस्टीमेट्स तो मेरे पास नहीं आये हैं । लेकिन योजना तैयार हो गई है । थोड़े दिनों में बनने का काम शुरू कर दिया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह योजना अक्तूबर में लागू कर दी जायगी ?

श्री राममूर्ति—हां, उम्मीद यह की जाती है कि वर्षा काल के बाद इस पर काम शुरू हो जायगा ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पकड़ी ताल से अतिरिक्त पानी के कारण फस्ल का नुकसान होने की सूचना सरकार के पास कब आई थी ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास कहीं डेट तो लिखी हुई नहीं है, लेकिन जब यह प्रश्न पूछा गया उसी के उत्तर में इसका जवाब आया ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह योजना अतिरिक्त पानी के निकालने की सरकार के सामने कितने साल से विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

आजमगढ़ जिले में मऊ-दोहरी घाट सड़क पर टोंस नदी के पुल की पुनर्निर्माण योजना

*३१—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में मऊ-दोहरीघाट रोड पर मऊ शहर के निकट एक जगह गत बाढ़ में सड़क बह गई थी और उसमें अथाह गड्ढा बन गया है ? यदि हां, तो सरकार उस स्थान को पटवा कर वहां एक पुल बनवाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—मऊ-दोहरीघाट सड़क पर मऊ शहर के निकट टोंस नदी का पुल गत बाढ़ में बह गया था, जिसको फिर से बनवाने के लिये आगणन तैयार किया जा रहा है ।

आगणन पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर पुल निर्माण का कार्य आरम्भ किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बनाने का तखमीना तैयार किया जा चुका है ? यदि हां, तो यह कितना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—१४,२६,००० ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पुल भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ही उसी धन से बनाया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, यह नेशनल हाई वे पर है ।

देवरिया जिले की ग्राम सभाओं के चुनाव के संबंध में पूछताछ

*३२—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में कितनी ग्राम सभायें हैं, उनमें से कितने का चुनाव हुआ है और कितने का चुनाव बाकी है और क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—देवरिया जिले में कुल २,६२३ गांव सभायें हैं जिनमें से प्रत्येक में चुनाव हुआ है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि बहुत-सी ग्राम सभाओं के चुनाव इसलिये नहीं हुए हैं कि उनके पास पैसे नहीं रहने के कारण वे पर्चे नहीं खरीद सके ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि चुनाव तो सभी गांव सभाओं के हो गये हैं । यह सम्भव हो सकता है कि कुछ गांव सभाओं में कुछ स्थान रिक्त रह गये हों लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वे स्थान केवल इसलिये रिक्त रह गये हैं कि उनके पास पैसे नहीं थे ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मेरी बात को सूचना मान कर क्या मंत्री जी पता लगायेंगे कि कई गांव सभाओं में एक भी सदस्य का चुनाव नहीं हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यदि माननीय सदस्य किसी ऐसी गांव सभा की बात बतलायेंगे तो अवश्य पता लगाया जायगा ।

नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधानों का चार्ज लेना

*३३—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार बतायेगी कि शपथ ग्रहण करने की अवधि एक माह से अधिक हो जाने पर भी अभी तक नव-निर्वाचित गांव सभाओं की पंचायतों के अध्यक्षों को चार्ज नहीं दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---साधारणतया प्रदेश के समस्त जिलों में नवनिर्वाचित प्रधानों को चार्ज दे दिया गया है ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि अभी तक गांव सभाओं के प्रधानों को सम्पत्ति रजिस्टर नहीं दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं कि चार्ज सब जगह दे दिया गया है अगर कोई खास रजिस्टर किसी खास ग्राम सभा को नहीं दिया गया है उसकी जानकारी अगर माननीय सदस्य करायेंगे तो उसका पता लगाया जायगा।

उन्नाव जिले में पंचायत निर्वाचनों के विरुद्ध एलेक्शन पिटीशन्स

*३४---श्री देवदत्त मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की प्रत्येक तहसील में पंचायतों के ग्राम चुनाव के उपरान्त कितने इलेक्शन पिटीशन दायर हुये हैं। और इनमें कितने-कितने तहसील पुरवा के परगना डौंडिया खेरा, भगवन्त नगर, बीहार, घाटमपुर और मगरायर के हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---पहला भाग---उन्नाव जिले में पंचायतों के ग्राम चुनाव के उपरान्त दायर किये गये। election petition की तहसीलवार संख्या इस प्रकार है---

उन्नाव	..	.. २६
पुरवा	..	.. ४३
सफीपुर	..	.. ७४
हसनगंज	..	.. ६१
	योग ..	२०४

दूसरा भाग---सम्बद्ध परगनों के पेटीशनों की संख्या निम्न प्रकार से है :

डौंडिया खेरा	..	.. ५
भगवन्तनगर	..	.. ६
बीहार	..	.. ७
घाटमपुर	..	.. १
मगरायर	..	.. शून्य

श्री देवदत्त मिश्र---क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि इन पिटीशन्स की सुनवायी कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह तो अदालती मामला है, निर्धारित तिथि बताना कठिन है ।

बाढ़ग्रस्त भवनों के निर्माणार्थ आजमगढ़ जिला बोर्ड को सहायता

*३५---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार ने १९५५ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त सरकारी तथा अर्धसरकारी भवनों के निर्माणार्थ आजमगढ़ जिला बोर्ड को कुछ सहायता दी है ? यदि हां, तो कितनी तथा उसको किस प्रकार खर्च किया गया ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३५ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, १९५५ की बाढ़ तथा अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों तथा भवनों के मरम्मत हेतु सरकार (स्वशासन विभाग) ने जिला बोर्ड आजमगढ़ को ३,००,००० रु० का अनुदान मार्च, १९५६ ई० में दिया है। इसके अतिरिक्त सरकार (शिक्षा विभाग) ने ४,२०० का एक और अनुदान बाढ़पीड़ित क्षेत्र की जूनियर हाई स्कूलों की मरम्मत के लिये मार्च, १९५६ ई० में बोर्ड को दिया है। चूंकि ये दोनों अनुदान वित्तीय वर्ष १९५५-५६ के अन्त में दिये गये हैं बोर्ड अभी इनमें से कुछ भी खर्च नहीं कर सका, किन्तु इन धनराशियों को खर्च करने के लिये बोर्ड ने योजनायें तैयार कर ली हैं।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में जब बाढ़ एक साल पहले आयी थी तो यह वर्ष के अन्त में मार्च के महीने में अनुदान कब दिया गया?

श्री सैयद अली जहीर---एक साल पहले बाढ़ आयी उसकी वजह से सड़कों को नुकसान हुआ। तखमीना लगाया गया तमाम सूबे भर का अन्दाजा किया गया और अन्दाजा करने के बाद जितना रुपया था वह मुख्तलिफ जिलों में बांटा गया। इसमें वक्त लग गया। चुनांचे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के साथ एक ही वक्त में रुपया बांटा गया इसी वजह से मार्च के महीने में रुपया आजमगढ़ जिले को मिला।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ बोर्ड ने कुल कितने रुपये की मांग सरकार से की थी?

श्री सैयद अली जहीर---यह इत्तला तो इस वक्त नहीं है। जो मुख्तलिफ जिलों से इत्तलाआत आयी थीं वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपनी रकमों का अन्दाजा लगा करके कि कितने रुपये का नुक्सान हुआ खबर भेजी थी आजमगढ़ के लिए रुपयों १२-१४ लाख से कम नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की तीन लाख बयालीस सौ रुपया खर्च करने के लिये जो योजनायें बनायी गयी हैं वह योजनायें सरकार के पास भी आई हैं? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, आम तौर से ये योजनाएं सरकार के पास नहीं आती हैं। बोर्ड अपने आप बनाते हैं और जिलाधीश से मंजूर करा लेते हैं और उनके हिसाब से खर्च करते हैं।

बस्ती जिले में ठांठंर, बानडोमर आदि गावों का राप्ती नदी से कटाव

*३६---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार को मालूम है कि कछार क्षेत्र मेंहदावल (बस्ती) में राप्ती नदी से ठांठंर, बानड मर, थरौरी तथा खेरा गांव कट रहे हैं?

श्री राममूर्ति---जी हां, यह सत्य है कि राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित ग्राम ठाठंर, वानडोमर, थरौरी तथा खेरा आदि नदी द्वारा कट रहे हैं।

*३७---श्री राजाराम शर्मा---इन गांवों को अब तक अलग-अलग कितनी सहायता दी गई है?

श्री राममूर्ति---दी गई सहायता की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५०३ पर)

*३८---श्री राजाराम शर्मा---क्या सरकार बतायेगी कि ये गांव अगली बाढ़ आने के पहिले अलग बसा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो इनके बसाने में क्या-क्या दिक्कतें हैं?

श्री राममूर्ति—उक्त ग्रामों को नदी से दूर ऊंचे चबूतरों पर बसाये जाने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है । क्योंकि पड़ोस में ऊंची परती या बंजर भूमि नदी के कटाव खतरे के बाहर प्राप्य नहीं है और कृषिमय भूमि लेनी पड़ेगी । इसके अतिरिक्त वाडोमर ग्राम के निवासी आबादी परिवर्तन के लिये तैयार नहीं हैं ।

श्री राजाराम शर्मा—जिन गांवों की जमीन कट गई है क्या उनके रहने वालों के जीवनयापन के लिये कोई व्यवस्था की जायगी ?

श्री राममूर्ति—मैंने तो अभी अर्ज किया कि जो जमीनें कट गई हैं उनके पास की सब जमीनें जो हैं वह भी खेती की जमीनें हैं और इसलिये वहां के किसानों को जमीनें देने में दिक्कत हो रही है और जिन गांवों का जिक्र किया गया वहां के काश्तकार दूसरी जगह जाना भी नहीं चाहते ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि यह जो गांव कट रहे हैं उनकी रोकथाम के लिये सरकार ने कोई विशेष प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति—अभी रोकथाम के लिये कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है एस्टीमेट बनाया गया था उसमें काफी खर्चा है इसलिये वह अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राप्ती नदी से जिन गांवों की जमीन कट गई है उस जमीन को उन गांव वालों को पुनः दिलाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जब हाकिम परगना खलीलाबाद धरौली गांव को देखने गये थे तो गांव वालों ने कहा था कि हम उजड़कर बसने के लिये तैयार हैं ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही है ।

श्री केशव पांडेय—क्या राप्ती नदी के किनारे कटे हुए गांव वालों के यहां से अनेक दरख्वास्तें आई हैं उनकी जमीन को वापस करने के लिये ?

श्री राममूर्ति—इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बतलायेंगे कि इन गांवों को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है ?

श्री राममूर्ति—१३६१ फसली की मालगुजारी सबकी माफ कर दी गई और टेस्ट वर्क में ८५६ रु० खर्च हुआ और बाकी एक लम्बी लिस्ट है तकावी, अनाज, नमक, मिट्टी का तेल, दियासलाई—अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं पढ़ दूं।

नदियों पर घास के झूले के पुल

*३९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूचना के अनुसार इस प्रदेश के किन-किन भागों में नदियों पर घास के झूले के पुल हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सार्वजनिक निर्माण विभाग की सूचना के अनुसार प्रदेश की नदियों पर निर्मित घास के झूले के पुलों का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची "क" में दिया हुआ है । यह झूले किसी भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के मार्ग पर नहीं हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५०४ पर)

*४०—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार इन घास के झूलों के स्थान पर लोहे के झूले के पुल निर्मित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—गढ़वाल जिले में निम्नलिखित घास के झूलों के स्थान पर पक्के झूले के पुलों का निर्माण किया जा रहा है—

१—धारी, २—सिमली, ३—कोठागी, ४—सिली, ५—रुद्रप्रयाग तथा पांडुकेशर, इसके अतिरिक्त पहाड़ी जिलों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयोजित झूलों का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची "ख" में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०५ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि ये ५१ घास की रस्सियों से बने हुए झूले के पुल जो इस प्रदेश के अत्यन्त दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित उनमें प्रत्येक वर्ष अनेक पशु और आदमियों की जानें जाती हैं तो सरकार इनको पक्के झूलों में परिवर्तित करने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—अगर विरोधी दल का सहयोग मिले तो विचार किया जा सकता है । पुलों के ऊपर टोल टैक्स लगाया जाय, धन प्राप्त किया जाय ताकि जो बहुत बड़ी जरूरत प्रान्त की है उसको पूरा किया जा सके ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी अपनी इस टोल टैक्स लगाने वाली योजना को स्पष्ट करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—माननीय सदस्य ने शायद मेरे अभिप्राय को ठीक समझा नहीं है । टोल टैक्स वहां लगाये जाने की योजना है जहां कि पुल बन चुके हैं या बनने वाले हैं । बाकी छोटे-छोटे झूलों पर टोल टैक्स लगाने की बात नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये पक्के पुल जो बन चुके हैं उन पर कितना टोल टैक्स लगाने का विचार है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—यह तो अभी अलग-अलग विचार किया जा रहा है लेकिन मूल प्रश्न में इस सदन का सहयोग प्राप्त हुआ तो यह शिकायतें बहुत जल्दी दूर हो सकेंगी ।

श्री राजनारायण—जब सरकार विरोधी पक्ष का सहयोग चाहती है तो क्या वह अपनी पूर्ण योजना को सदन के सामने रक्खेगी कि किस हिसाब से वह टोल टैक्स लगाना चाहती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि घास के झूलों के रखरखाव के लिए सरकार साल में कुल कितना रुपया अनुदान देती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसकी तो सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री महोदय उस सूची में से यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक जिले में घास के झूलों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह जो सूची "क" माननीय सदस्य की मेज पर रखी गयी है उसमें जिला गढ़वाल में जो घास के झूले के पुल हैं उनका विवरण है और उनकी संख्या ३४ है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी उन गांव वालों को इन पुलों के बनाने में कुछ सहायता देंगे जो कि अपने हाथों से इन पुलों को बना रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके सम्बन्ध में तो अभी कोई योजना आयी नहीं ।

श्री तेजप्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो घास के झूले बनाये जाते हैं वह पी० डब्ल्यू डी० द्वारा बनाये जाते हैं या गांव वाले खुद बनाते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बहुत से स्थानों पर गांव वाले खुद बनाते हैं ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि सूची 'ख' जो तैयार की गयी है उसमें प्लानिंग कमेटी की राय भी ली गयी है या विभाग ने अपने आप सूची तैयार की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्लानिंग कमेटी की राय से तात्पर्य यदि जिले की प्लानिंग कमेटी से है तो वहां से भी सुझाव आये थे और यहां जो पी० डब्ल्यू डी० की एडवाइजरी कमेटी है उस सम्बन्ध में भी चर्चा हुई ।

हल्द्वानी म्युनिसिपल बोर्ड की पानी सप्लाई की योजना

*४१---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि हल्द्वानी म्युनिसिपल बोर्ड ने पानी की सप्लाई बढ़ाये जाने के हेतु कोई योजना सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी है ? अगर हां, तो उक्त योजना द्वारा प्रति व्यक्ति पानी की सप्लाई कितनी बढ़ जायेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश---हां, हल्द्वानी नगरपालिका को तात्कालिक जल वितरण करने की एक योजना २,९२,८२५ रुपये धनराशि की प्रस्तुत है और ८० प्रतिशत कार्य किया जा चुका है । इस योजना के पूरा हो जाने के उपरान्त १४ गैलन पानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन देना सम्भव होगा जबकि वर्तमान काल में केवल ६·६ गैलन पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दिया जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लोकल सेल्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट इस हल्द्वानी की नगरपालिका के वाटर वर्क्स की योजना कब तक पूरा कर देगा ?

श्री सैयदअली जहीर---ख्याल था कि गुजिश्ता जून को पूरा हो जायगा । लेकिन ऐक्चुअली क्या हुआ इसकी इत्तला इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि हल्द्वानी नगरपालिका के अलावा और शहरों में साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यक्ता होती है ?

श्री कैलाशप्रकाश---साधारणतया जहां सिवरेज और पीने के पानी का प्रबन्ध होता है वहां इंतजाम तीस गैलन प्रति व्यक्ति का किया जाता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या हल्द्वानी नगरपालिका के हेतु कोई ऐसी सुदूरकालिक योजना बन रही है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को तीस गैलन पानी दिया जा सके ?

श्री सैयद अली जहीर---तीस गैलन पर हेड योमिया का तो आयडियल है । मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड हैं जहां तीस गैलन मिलता हो । सब जगह १५-१६ और इससे भी कम बाज-बाज जगह जहां मिलता है वहां पर अमूमन काफी होता है और खास तौर से जहां फ्लस सिस्टम नहीं होता है वहां पर तो और कम पानी से काम चल जाता है ।

मुजफ्फरनगर जिले में अतिवृष्टि से हानि

*४२—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि मुजफ्फरनगर जिले में गत वर्ष मास सितम्बर व अक्तूबर में अतिवृष्टि तथा बरसाती पानी के निकास का प्रबन्ध न होने के कारण बहुत गांवों के किसानों की फसल को अपार क्षति पहुंची थी ?

श्री राममूर्ति—जी हां ।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें ८ आने से ज्यादा नुक्सान हुआ है ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास एकड़ जमीन के आंकड़े तो नहीं हैं इस वक्त । इसके बारे में सूचना यह है कि करीब २२,८५९ रुपया छूट दी गयी थी उसके बारे में जो नुक्सान हुआ था ।

श्री रामदास आर्य—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बरसाती पानी को निकालने का सरकार ने तुरन्त कोई प्रबंध किया था ?

श्री राममूर्ति—जैसे तो पुराने नाले बने हुये हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर की जमीन समतल है और ढाल बहुत कम है आहिस्ता २ पानी निकल गया था, लेकिन एक स्पेशल डिवीजन खोल दिया गया है जो सर्वे कर रहा है । नये नाले भी खोदे जाने की योजना है और पुराने नालों को चौड़ा करने की योजना है ।

श्री गेंदासिंह—सूचना मंत्री जी ने अपार क्षति स्वीकार की है, क्या उसकी कोई सूचना उनके पास नहीं है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि अपार क्षति हर तरह की होती है, क्योंकि कई किसम की क्षति हो गई इसलिये उसका नाम अपार क्षति कर दिया गया ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश मुजफ्फरनगर ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र की सहायतार्थ कितना रुपया मांगा था ?

श्री चरणसिंह—जितना रुपया उन्होंने मांगा था उतना रुपया दिया जा चुका है । तीन लाख के करीब मांगा था वह सब दे दिया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि मुजफ्फरनगर के जिन गांवों को सितम्बर अक्तूबर में पारसाल बरसात के कारण फसल बर्बाद हुई थी, वह इस साल भी हुई है ?

श्री राममूर्ति—वह दूसरा क्षेत्र है, इस साल का दूसरा क्षेत्र है ।

*४३-४४—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—[१८ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४५-४६—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[४ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

बुलन्दशहर में श्री पन्नीजी शुगर मिल का गन्दा पानी नहर में गिरने पर आपत्ति

*४७—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सिंचाई मन्त्री को इस बात की सूचना है कि बुलन्दशहर में श्री पन्नी जी शुगर मिल के मालिकों ने अपने मिल का गन्दा पानी शहर से निकलने वाले नहर विभाग के नाले में डाल दिया है ?

नोट:—तारांकित प्रश्न ४२ श्री रामदास आर्य ने पूछा ।

श्री राममूर्ति—जी हां ।

*४८—**रामनारायण त्रिपाठी**—क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा मिलमालिक को २१ मार्च, १९५६ के बाद नाले में गन्दा पानी न डालने की नोटिस दी गई थी ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग के चान्दपुर नाले में मिल का गन्दा पानी न डालने के लिये मिल के मालिकों को एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने २८ फरवरी सन् १९५६ को नोटिस दिया था ।

*४९—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—मिल पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार बतायेगी कि मिल के मालिकों ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की नोटिस का कोई जवाब दिया था ?

श्री राममूर्ति—जिस जमाने में मिल को नोटिस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने दिया उसके दर्मियान में वहां के नागरिकों ने एक केस चला दिया मिल के ऊपर। उस केस में वह लोग हार गये । तो हमारा डिपार्टमेंट अब उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही कर रहा है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिल वाले अब भी उस गन्दे पानी को उस नहर में डाल रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—मिल वाले बगैर इजाजत के उस पानी को डाल रहे हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि नहर विभाग द्वारा मुकदमे की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री राममूर्ति—उम्मीद तो की जाती है जल्द मुकदमा उनके ऊपर चालू हो जायगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या मंत्री जी बतायेंगे जो मुकदमा वहां के नागरिकों ने दाखिल किया था उसमें सरकार ने भी कोई हिस्सा लिया था ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, सरकार का कोई हिस्सा नहीं था ।

श्री राजनारायण—जब तक मुकदमे की कार्यवाही सम्पन्न न हो जाय इस बीच के समय वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसको रोकने के लिये कोई प्रबन्ध होगा ?

श्री राममूर्ति—अगर वहां के नागरिक सरकार की नोटिस में लायेंगे तो डी० डी० टी० वगैरह के छिड़काव के बारे में विचार किया जा सकता है ।

फतेहपुर नगरपालिका को सड़कों के निर्माणार्थ दिये गये धन का व्यय

*५०—**श्री अब्दुल रऊफ खां** (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नगरपालिका फतेहपुर को गत तीन वर्षों में उसने कुल कितनी-कितनी धनराशि सड़कों के सुधार के लिये दी है और दी हुई धनराशि में से कितना व्यय हुआ और कितना शेष रहा ।

श्री सैयद अली जहीर---नगरपालिका को १९५३-५४, १९५४-५५ और १९५५-५६ में क्रमशः ३५,०००, १३,२०० और २५,५०० रु० का अनुदान सड़कों को सुधारने के लिये दिया गया था जिसमें से पहली रकम में से केवल २५,८०६ रु० ३१ मार्च १९५६ तक खर्च हुआ तथा ९,१९४ रु० शेष रहे। शेष दोनों अनुदानों में से उक्त तिथि तक कुछ भी खर्च नहीं हुआ।

राबर्ट्सगंज टाउन एरिया अवक्रमण करने के लिए कमिश्नर, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र

*५१---श्री रामस्वरूप (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार के पास राबर्ट्सगंज टाउन एरिया की जनता की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र टाउन एरिया सुपरसीड करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं। सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र कमिश्नर, बनारस डिवीजन को प्राप्त हुआ था, और कमिश्नर महोदय ने उसे जिलाधीश मिर्जापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है जिस पर जांच जारी है।

श्री रामस्वरूप---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रार्थना-पत्र वहां की जनता की ओर से आया है वह सुपरसेशन के लिये कौन-कौन आधार बताते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---प्रार्थना-पत्र जो कमिश्नर महोदय को प्राप्त हुआ था उसमें विशेष कर यह बातें थीं। सड़कों तथा नालियों के बनवाने की समुचित व्यवस्था का न होना, टाउन एरिया में लगभग आधे भाग में पक्की सीमेंट पत्थर की नालियों का न होना। टाउन एरिया में किसी गबन का केस होना, चेयरमैन टाउन एरिया एवं कमेटी को अपने पद से हटा दिया जाय। टाउन एरिया के सामानों को चेयरमैन तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा अपने घरेलू उपयोग में लाना इत्यादि-इत्यादि।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां के चेयरमैन के खिलाफ गबन के मामले की भी एक जांच हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां। एक गबन का केस हुआ था। उसमें पुलिस की जांच जारी है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को पता है कि राबर्ट्सगंज टाउन एरिया में गबन के केस के सम्बन्ध में जब वहां जांच गई थी तो उसके पहले ही उसकी सूचना वहां के चेयरमैन को मिल गई थी और उस क्षेत्र के इस सदन के सम्मानित सदस्य माननीय ग्रामवासी जी जो हैं उन्होंने तात्कालिक अधिकारियों को इस बात की सूचना भी दी थी कि जांच रोक दी जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश---मुझे तो इसकी कोई जानकारी नहीं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो गबन का मामला चेयरमैन के खिलाफ है वह इस समय किस स्टेज पर है ?

श्री कैलाशप्रकाश---पुलिस जांच कर रही है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को यह पता है कि वहां के राबर्ट्सगंज टाउन एरिया के चेयरमैन के ऊपर यह पहला ही गबन का केस नहीं है। इसके पूर्व दो गबन के केस और चल चुके हैं और उसमें बहुत सी बातें सत्य साबित हुई हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---जो कागजात इस समय मेरे पास हैं उनसे तो यह कोई साबित होता नहीं।

अतारांकित प्रश्न

बरेली जिले में चौबारी के निकट रामगंगा का पुल बनाने की योजना

१—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिला में चौबारी के करीब रामगंगा का पुल दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया जाना निश्चित हो गया है ? यदि हां, तो किस सन् से बनाया जाना शुरू किया जायेगा और अनुमानित व्यय क्या होगा ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—

प्रथम भाग—जी हां ।

द्वितीय भाग—पुल का आगणन तैयार किया जा रहा है । आगणन के तैयार होने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।

तृतीय भाग—६० लाख रुपया ।

लखीमपुर जिले में पलिया टाउन एरिया में गुंडों द्वारा उत्पन्न अराजकतापूर्ण स्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राम सुभग जी वर्मा ने एक कामरोको प्रस्ताव मेरे पास भेजा है जिसको मैंने कहा था कि आज लूंगा । वह इस प्रकार है कि:—

"लखीमपुर जिले के पलिया टाउन एरिया में उत्पन्न अराजकतापूर्ण स्थिति, जिसमें गुंडों के दलों ने लगभग २०० फायर किये तथा २ अगस्त को टाउन एरिया के चेयरमैन श्री शारदा प्रसाद को भी घायल कर दिया । इससे उत्पन्न गंभीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये यह सदन आज का कार्य स्थगित करता है ।"

इसके बाद जो आई० जी० पुलिस को दरख्वास्त दी श्री शारदा प्रसाद ने वह भी इसके साथ मेरे पास नत्थी है । यह विषय केवल स्थानीय शासन से संबंध रखता है, यह काम रोको प्रस्ताव का विषय नहीं हो सकता है । मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

ग्राम खिरिया, जिला गोंडा में रूसे गुंडे के आतंक से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री बलदेव सिंह जी का है कि "गत ५ अगस्त, १९५६ को रूसे नामक गुन्डा ने ग्राम खिरिया, थाना वजीरगंज, जिला गोंडा के श्री लल्लन प्रसाद पुत्र श्री रामदुलारे तिवारी को बन्दूक द्वारा जान से मार डाला और अब भी बन्दूक ले कर वह बराबर लोगों को धमकाता फिरता है, पुलिस में रिपोर्ट होने के बावजूद भी पुलिस उसको गिरफ्तार करने में जैसी लापरवाही दिखा रही है उससे लोगों में बड़ा आतंक छा गया है और परिस्थिति विषम पैदा हो गई है ।"

यह प्रश्न भी इसी तरह के केवल स्थानीय शासन से संबंधित है, सरकार से इसका कोई संबंध नहीं है । इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं ।

नैनीताल जिले के बैरीघाट बांध के टूटने से उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी का है । "नैनीताल जिले की सम्पूर्ण हलद्वानी तहसील विशेष कर गोलापार इलाके में बैरीघाट बांध के टूटते रहने व ठीक प्रकार उचित मरम्मत न किये जाने से हजारों काश्तकारों को सिंचाई द्वारा धान रोपने

[श्री अध्यक्ष]

व पीने को भी दिनों तक पानी प्राप्त न होने के कारण जो विषम परिस्थिति पैदा हो गई है उस पर विचार करने के लिये यह सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।" तो माननीय सूचना मंत्री इस विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, चूंकि यह आज ही करीब साढ़े १० बजे के बाद नोटिस मिली तो यह सम्भव नहीं था कि इतनी जल्दी इसकी मालूमात हासिल हो सकतीं। अगर दो दिन का मौका दिया जाय तो जो कुछ मालूमात होंगी वह मैं सदन के सामने रख सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं इसको परसों लूंगा।

कार्य परामर्शदात्री समिति के प्रस्तावानुसार उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता-निवारण) विधेयक, १९५६पर विचार करने तथा उनको पारित करने के लिये समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष---मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी ६ अगस्त, १९५६ की बैठक में निश्चय किया कि निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करने तथा पारित करने के प्रस्तावों के लिये उसके सम्मुख लिखा समय निर्धारित किया जाय :--

(१) उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५ पर सामान्य विवाद ..	एक दिन का समय सदन के उठने तक।
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ के खंडों पर विचार एवं पारण ..	एक दिन का समय सदन के उठने तक।
(२) उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६, पर सामान्य विवाद, खंडों पर विचार तथा पारण ..	दोपहर को १ बज कर १५ मिनट तक।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, अभी अगर हम कोई सुझाव देना चाहें तो वह दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---सुझाव क्या, उसे तो वापस करने के लिये आप कह सकते हैं।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९५५ तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६, पर विचार करे तथा उनको पारित करने के लिये कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं इसमें अपना यह संशोधन पेश करता हूं कि इसको पुनः कार्य परामर्शदात्री समिति के पास विचार करने के लिये भेज दिया जाय और मेरा इसमें निवेदन यह है कि ये दोनों विधेयक काफी बुनियादी उसूलों से सम्बन्धित हैं और हम समझते हैं कि उन पर अच्छी तरह से विचार होना चाहिये, क्योंकि जब तक मस्तिष्क की सफाई नहीं होती तब तक विधेयक बराबर आते रहते हैं और आते रहेंगे। तो मैं ज्यादा समय इस पर नहीं लेना चाहता हूं, केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि यह सदन इसको मान ले और जब

यह प्रश्न कार्य परामर्शदात्री समिति के सम्मुख फिर जायगा तो जो प्रस्ताव हम भेजेंगे उस पर वह विचार कर सकती है। और फिर आज अगर यह प्रस्ताव न भी पास हो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आज तो कुमायूं का जमींदारी एबालिशन बिल चल रहा है, इसलिये यह कल आ सकता है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि कार्य परामर्शदात्री समिति के पास समय निर्धारण के लिये इन विधेयकों को फिर से वापस भेजा जाय पुनर्विचार के लिये जिसमें वह काफी समय दे सकें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश श्रम-कल्याण निधि विधेयक, १९५५ तथा उत्तर प्रदेश विधान मन्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) विधेयक, १९५६, पर विचार करने तथा उनको पारित करने के लिये कार्य परामर्श-दात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१५१,

विपक्ष में--५।)

उत्तर प्रदेश में विन्ध्य प्रदेश अथवा उसके चार जिले मिलाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--मुझे एक निवेदन करना है। श्रीमन्! मैं यह जानना चाहता था कि आज समाचार-पत्रों में यह देखा गया कि एक बाई-लेंग्वेल स्टेट का निर्माण बंबई में होने जा रहा है और अब करीब-करीब देखने में आता है कि वहां का ११५ करोड़ का रेवेन्यू होता जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू से भी अधिक वहां का रेवेन्यू होगा, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या सदन के कोई और सम्मानित सदस्य कोई ऐसे प्रयत्न में हैं कि हमारा जो प्रस्ताव था विन्ध्य प्रदेश या उसके कुछ हिस्से को उत्तर प्रदेश में मिलाने का, उस की बात को जरा तेज किया जाय और उसके लिये सरकार प्रयत्नशील हो। क्योंकि मैं समझता हूं कि यह बड़ा उपयुक्त समय है।

श्री अध्यक्ष--आपने प्रश्न पूछा। इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी दे सकते हैं। (डाक्टर सम्पूर्णानन्द से) कोई प्रयत्न हो रहा है यह वह जानना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--इस समय कोई विशेष प्रयत्न नहीं हो रहा है, लेकिन यदि होता भी तो बंबई की आमदनी ११५ करोड़ हो या ५०० करोड़ हो, उससे तो इसका कोई संबंध नहीं होगा।

सदन का भावी कार्यक्रम

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिये से पूछना चाहता हूं कि कल एक आनरेबिल मेम्बर ने सवाल किया था और उसका जवाब ठाकुर हुकुमसिंह ने दिया था असेम्बली के बन्द होने के बारे में, लेकिन कल अन्दाज से बताया था और कहा था कि अगर परिवर्तन होगा तो फिर बतलायेंगे और असेम्बली चलने का १४ तारीख तक का एलान किया था। तो मेरी समझ में नहीं आया कि १४ तारीख को असेम्बली होगी या नहीं, क्योंकि इसके पहले शनिश्चर और इतवार पड़ता है। तो आखिरी फैसला क्या हुआ यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---इसके बारे में यदि माननीय मुख्य मंत्री जी कोई स्पष्टीकरण देना चाहते हों तो दे दें। उन्होंने १४ तक सदन के बैठने के लिये कहा था।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---मैं और कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। १४ तारीख को असेम्बली होगी।

*कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६ पर विवाद जारी रहेगा।

†श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपके द्वारा माननीय माल मन्त्री की सेवा में मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुझे इस बात से तृप्ति नहीं हुई और आज मैं फिर उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्वाइन्ट को स्पष्ट करने की कृपा करेंगे। हम यह समझते हैं कि खायकरी भूमि का मुआविजा किसी प्रकार से नहीं मिलना चाहिये। कल माननीय मन्त्री महोदय ने बतलाया था कि खायकरी भूमि का कम्पन्सेशन नहीं लिया जायगा जिसका अर्थ यह है जैसा कि मैंने उसको देखा उसमें प्राविजन है कि कम्पन्सेशन दिया जायगा। उसका अर्थ मैंने यह लगाया कि यदि खायकर से नहीं लिया जायगा तो सरकार को अपने पास से उसको देना होगा। तो सरकार का काफी रुपया उसमें व्यय होगा। सरकार का रुपया भी हमारा रुपया है। अगर सरकार का रुपया उसमें व्यय होगा तो वह गलत तरीके से होगा। हम समझते हैं कि खायकारी जमीन का कम्पन्सेशन किसी प्रकार से नहीं मिलना चाहिये। कल मैंने डैफिनीशन के विषय में भी कहा था और उसको आज फिर कहना चाहता हूं कि इसकी परिभाषा बिलकुल स्पष्ट नहीं है। परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण हमेशा गरीब लोगों का जो तबका है जो काश्तकारी तबका है उनको दिक्कत उठानी पड़ती है और सबसे छोटे किस्म के जो काश्तकार होंगे उनके ऊपर ज्यादा आयेगी। परन्तु हमने यह कहा कि सीरतान जो है उसका इजेक्टमेंट कुमायूं कस्टमरी ला के मुताबिक हो रहा है। उसको प्रोटेक्शन देने के लिये माननीय मन्त्री जी ने सन् १९५४ में जो कुमायूं के लिये ऐक्ट बनाया उसके मुताबिक परमानेन्ट सिरतान भी इजेक्ट हुये लेकिन उस ऐक्ट के बने हुये अब एक साल हो गया है.....

श्री अध्यक्ष---सदन में आपस में बातें बहुत हो रही हैं और माननीय वक्ता का भाषण सुनने में दिक्कत हो रही है। कृपया शान्ति कायम रखें।

श्री गंगाधर मैठाणी---कुमायूं का जो मिसलेनियस ऐक्ट ५४ में पास हुआ उसके बाद सीरतान इजेक्ट हुआ। उसके बाद भी हम देखते हैं कि बहुत लोग इजेक्ट हो रहे हैं और बेदखल हो रहे हैं। जब माल विभाग के पास रिपोर्ट जाती है तो उनको आदेश करते हैं कि तुम मुकदमा करो और उसके बाद अपना फैसला कराओ। माननीय मंत्री जी अगर चाहें तो इसकी जानकारी कर सकते हैं कि काफी लोग इजेक्ट हो रहे हैं। इस विधेयक के अन्दर इस वजह से इस परिभाषा को स्पष्ट करने की कृपा करें....

श्री अध्यक्ष---(श्री शाहिद फाखरी जी की ओर संकेत करके) मैं समझता हूं बुजुर्ग लोग जरा खामोशी अख्तियार करें तो अच्छा हो।

श्री गंगाधर मैठाणी---माननीय मन्त्री महोदय को चाहिये कि टिलर आफ दि स्वायल की बात को मानते हुये जिसके कब्जे में जो जोत हो, उसका वह खेत होना चाहिये और इसके साथ-साथ सीरतान की डैफिनीशन को भी स्पष्ट कर दें तो गरीब तबके के लोग किसी प्रकार से दिक्कत में नहीं पड़ेंगे और इजेक्ट नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा एक बात और है

*१० मई, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी परिभाषा भी स्पष्ट नहीं की गयी है । जहां पर लैंड की परिभाषा नहीं है उसको भी स्पष्ट करने की जरूरत है । कुमायूं के अन्दर प्राइवेट फारेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया है । माननीय मंत्री जी ने तो तर्क दिया कि मैदानी इलाकों में प्राइवेट फारेस्ट्स का इंतजाम बजाय इसके कि जमींदारी अबालीशन से उसका अधिकार सरकार को चला गया था, फिर भी बहुत से जंगल कटे और अव्यवस्था हुयी । कुमायूं में लोगों ने अपने फारेस्ट बड़े सुन्दर बनाये हैं । बहुत से स्थानों पर वे सरकार के फारेस्ट विभाग के रिजर्व्ड फारेस्ट्स से भी अच्छे हैं । अगर वे प्राइवेट फारेस्ट्स पर्याप्त मात्रा में हैं और उनसे काफी लोगों को फायदा होता है तो हम मानने के लिये तैयार हैं कि वे रखे जावें । लेकिन थोड़े लोगों के लिये यह नहीं होना चाहिये, तब तो वे यदि ग्राम सभा में चले जावें तो अधिक लाभ होगा । यदि वे टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया या म्यूनिसिपैलिटी के नजदीक हैं तो उन्हें फारेस्ट विभाग को दे दिया जाय । लेकिन अव्यवस्था का तर्क मेरी समझ में नहीं आया । अगर आप इस सिद्धांत को लागू करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक कानून हो तो प्राइवेट फारेस्ट के सम्बन्ध में आपको स्पष्टीकरण और परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

जहां तक वहां के लोगों को भूमिधर और सीरतान के सम्बन्ध का डर है तो भूमिधर की परिभाषा के अन्दर वहीं ब्रैकिट में हिस्सेदार भी रख दिया जाय तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी । कल भी कुछ वक्ता लोगों ने इसके लिये कहा था । माननीय मंत्री जी ने कहा कि वहां के लोग बाहर रहते हैं । यह ठीक है लेकिन उनको सबलैट करने की पावर नहीं है । हमने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में देखा है कि कोशेयरर के रूप में एनुअल लीज़ हो सकती है । आप शेयर हो सकता है । यह देखते हुये सीरतानों के लिये या भूमिधरों के लिये कुछ परिवर्तन कर दिया जाय, इस उद्देश्य से नहीं कि सीरतानों का अहित हो, क्योंकि इसी प्रकार से हम एक सैक्शन २५ में देखते हैं कि इस सरकार ने राइट आप रिज़म्पशन दिया है । अगर आपके मकान के करीब सीरतान की या किसी दूसरे की भूमि है तो राइट आफ रिज़म्पशन दे दिया गया है । हम देखते हैं कि कोई किसी गांव में रहता है और उसके अनुसार उसकी भूमि रही होगी तो अवश्य ही उसने बाड़ा या बगीचा जो बनाया होगा वह उसके कब्जे में होगा । यह उन लोगों की बात है कि जो १०-१२ पीढ़ी पहले अपने गांव को छोड़कर शहर में गये हैं या बाहर चले गये । जब आप अपने सिद्धांत के बाहर चले जाते हैं तो हमें इस बात का सन्देह होता है कि कुछ परिभाषायें चूंकि साफ नहीं हैं इसलिये उनसे गरीब तबके को दिक्कत उठानी पड़ेगी । वहां की परिस्थिति को देखते हुये कोशेयरर की परिभाषा को थोड़ा और साफ कर दें और ऐसा बनावें जिससे सीरतानों को और गरीब लोगों को कष्ट न उठाना पड़े । यह अवश्य है कि जमीन जोतने वाला ही उसका मालिक होना चाहिये, इसे मानते हुये भी यदि आप कुछ परिवर्तन कर रहे हैं.....

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से एक बात कहना चाहता हूं चूंकि कई बार उसी बात को रिपीट किया जा रहा है । पार्टनरशिप या साझेदारी जिसे कहते हैं वह फिर भी रहेगी । अब भी जो पार्टनर हैं वे सीरतान नहीं माने जावेंगे ।

श्री गंगाधर मैठाणी--अगर ऐसा है तो ठीक है । वैसे तो हमने कल भी कहा था और आज भी कहते हैं कि इसके सेलेक्ट कमेटी में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी अगर यह वहां भेजा जाता है तो उसके बारे में संदेह अवश्य होता है, क्योंकि तार वगैरा देकर कोशिश की जा रही है कि यह पास न हो पाये । इसलिये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग हो । अगर आपको सेलेक्ट कमेटी में भेजना ही है तो इसी सत्र के अन्दर इस कानून को पास कर दिया जाय जिससे कुमायूं के लोगों की शंका निर्मूल हो जाय कि ऐसी चेष्टा की जायगी जिससे सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जनरल इलेक्शन के बाद आये ।

[श्री गंग धर मैठाणी]

एक बात और है मंदिरों के बारे में। मंदिरों की भी खुदकाश्त है, हिस्सेदारी है। कुछ लोगों का कहना यह है कि मंदिरों को भी भूमिधर बनाया जा रहा है, क्योंकि वहां बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनकी जमीनें हैं। वहां पर बहुतसे ऐसे लोग बसे हैं जिनके पास जमीनें नहीं थीं और मंदिरों की जमीनों पर वह काश्त करते हैं। अगर उनको भूमिधरी के अधिकार दे दिये जायेंगे तो उनको इजेक्ट कर दिया जायगा। इसलिये मंदिरों को भी रकम दे दी जाय और सीरतानों को इजेक्ट न किया जाय। गुरखाइल टाइम में या अंग्रेजी टाइम में जिन लोगों को जमीनें मिली हैं उनमें सीरतानों, खायकर और हिस्सेदारों सबके हक उसी प्रकार के हैं इसलिये वे इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। मंदिरों को जो ग्रांट दी गयी है वह आगे भी दी जायगी और जिससे उनकी पूजा की व्यवस्था हो जायगी लेकिन वहां जो काश्तकार बसे हुये हैं उनको भी वही अधिकार दिये जाने चाहिये जो आम तौर पर लोगों को दिये गये हैं। आखिर में मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द से जल्द पास किया जायगा।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन भावनाओं से प्रेरित होकर हमारे माल मंत्री जी या हमारी सरकार ने जो कुमायूं के लिये यह बिल प्रस्तुत किया है उसके लिये वहां की जनता माल मंत्री जी और इस सरकार का सदैव आभार मानती रहेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस युग में जहां कहीं भी इस प्रकार के मध्यवर्ती लोग रहते हों जो दूसरों का शोषण करते हों, उनको हट ही जाना चाहिये। इस प्रदेश के मैदानी इलाके में जमींदारी समाप्त हुयी और उसका नाम रक्खा गया जमींदारी अबोलिशन ऐक्ट और लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट यू० पी० के अन्दर जमींदारी समाप्त हुयी और उसके साथ ही साथ लैन्ड रिफार्म्स की भी कोशिश की गयी और चकबंदी उस ओर खास कदम है और उसमें हमें काफी सफलता भी मिल रही है लेकिन मेरा अपना विचार तो यह है कि कृषक तभी फूल और फल सकता है, उसका भला तभी हो सकता है जब हमारे प्रदेश में प्रत्येक किसान के लिये एकोनामिक होल्डिंग्स बनायी जायं। विरोधी दल हमेशा गवर्नमेंट से सीलिंग फिक्स अथवा जोत की अधिकतम हद निर्धारित करने के लिये जोर देता रहता है, चाहे उसके द्वारा हर एक के पास ५ या ६ एकड़ या उससे बहुत कम जमीन क्यों न मुकर्रर की जाय। तो अगर उनकी यह राय मान ली जाय और इस तरह जमीन का अलाभकर छोटी-छोटी जोतों में बटवारा किया जाय तो शोषित वर्ग जो किसानों का है वह कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकता। मैं आपके द्वारा सदन को बतलाता हूं कि अगर इस तरह से जमीन का अलाभकर जोतों में बटवारा हो तो क्या वे अपने जीवन यापन के सारे सामान उसकी पैदावार से उपलब्ध कर सकते हैं और इसके जरिये अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दे सकते हैं? क्या वे अपने जीवन को व्यतीत करने के लिये उससे वे सब आवश्यक चीजें उपलब्ध कर सकते हैं? क्या यह ६ एकड़ या उससे कम की जोत की भूमि से भी सम्भव हो सकता है? कदापि नहीं। मैं तो कहता हूं कि १५-२० एकड़ जमीन से भी यह नहीं हो सकता है। क्या सरकार सचमुच में जिस स्टैन्डर्ड तक उनके जीवन स्तर को पहुंचाना चाहती है वहां तक इस तरह से पहुंचा सकती है? मैं तो इसको नामुमकिन और असम्भव समझता हूं। इसके लिये आवश्यक है कि हम अपने देश के लोगों को अन्य काम दें, क्योंकि हमारे यहां भूमि तो बहुत कम है, रबर तो है नहीं जो माननीय माल मंत्री जी खींच कर लोगों को अधिक तथा लाभकर जोत लायक भूमि दे दें। आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि ८० फीसदी जो हमारे कृषकों की आबादी है उनको हम दूसरे कार्यों तथा धंधों में लगावें।

मैं आपके द्वारा सदन को साफ तौर पर बतलाना चाहता हूं कि पहाड़ों पर यह समस्या और भी गम्भीर है। यहां पर आज तो इस विषय पर थोड़ा-सा मेरे एक ही मित्र ने कहा लेकिन कल जितनी बातें कही गयीं वे केवल इस विषय पर चुनाव को सामने रख कर कही गयीं कि यह बिल इसलिये लाया गया है ताकि चुनाव तक बिल का पास होना रोक दिया जाय। यह मनोवृत्ति कांग्रेस वालों की कदापि नहीं हो सकती। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले जब से

गवर्नमेंट में आये हैं यानी सन् ३६ से ही बराबर अपनी सरकार पर इस प्रकार का दबाव डालते रहे हैं कि यह बिल जल्दी पेश हो और शीघ्रातिशीघ्र पास हो जाय। हमेशा यह प्रश्न सदन के अन्दर कांग्रेसी सदस्यों की ओर से पूछा गया और कांग्रेस की ओर से बराबर यह कहा गया कि कोई भी किसान मौरूसी या गैर-मौरूसी सीरतान या खायकार को बिना कोई मुआवजा दिये हुये एकदम से हिस्सेदार बना दिया जाय, क्योंकि अगर विलम्ब किया गया तो वे एक दूसरे का शोषण और भी उग्र रूप से करेंगे।

माननीय उपाध्याय जी ने कल एक शब्द जिला कांग्रेस कमेटी गढ़वाल के बारे में कहा कि उसनें एक प्रतिक्रियावादी प्रस्ताव इस सम्बन्ध में पास किया। लेकिन मैं आपके द्वारा उनको बतलाना चाहता हूं कि जब इस बिल की रूपरेखा भी किसी को नहीं मालूम थी और बिल बनने से बहुत पहले ही उन्होंने अवश्य एक प्रस्ताव पास किया था कि जितने भी सीरतान हैं, जितने भी खायकार हैं चाहे वे पक्के खायकार हों या कच्चे हों उन सब को एकदम से हिस्सेदार बना दिया जाय और अगर गवर्नमेंट उनको अर्थात् हिस्सेदारों को कोई कम्पेन्सेशन भी न दे तो कोई बात नहीं है। मैं इस बात को कहता हूं कि वैधानिक रूप से उनको कम्पेन्सेशन देना चाहिये, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। मैं मानता हूं कि बहुत से खायकर ऐसे हैं, बहुत से सीरतान ऐसे हैं जिन्होंने उन खेतों के लिये स्वयं ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों तक ने अपने सारे जीवन तक को लगा दिया और उन खेतों को बनाया। शायद यहां के लोग यह समझते हैं कि यहां की जमींदारी में और पहाड़ों की जमींदारी-काश्तकारी में कोई बड़ा भारी अन्तर नहीं है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि आप सब भाइयों ने पहाड़ पर देखा है कि पहाड़ों की ढालों पर एक-एक सीढ़ी के रूप में जो एक हजार फीट की ऊंचाई से लेकर आठ-आठ हजार फीट की ऊंचाई तक काट-काट कर खेत की क्यारियां बनायी गयीहैं। क्या आप समझते हैं कि वे सीढ़ियां एक दिन में ही बन गयी होंगी? उन सीढ़ियों के बनाने में न जाने कितनों के बाप दादों ने अपने को खपा दिया होगा। उन्होंने उनके बनाने में केवल अपना खून पसीना ही एक नहीं किया होगा बल्कि कितनों की जानें भी चली गयी होंगी। तो जिस तरह से यहां पर किसी ने सन् १८५७ के गदर के जमाने में अंग्रेजों का साथ दे दिया और उनकी वजह से वे ताल्लुकेदार या जमींदार बन गये, ऐसी बात वहां नहीं है। बल्कि वहां तो उनके बाप दादों ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर अपना खून-पसीना लगाकर उन सीढ़ियों के खेतों को बनाया है और तब हिस्सेदारी, खायकारी या सीरतानी पाई है।

जैसा कि माननीय माल मंत्री जी के बोलते समय मैं कल बीच में ही बोल उठा था कि किदवई-साहब की तो यह राय थी कि वहां लैन्ड रेवेन्यू लगना ही नहीं चाहिये। माननीय माल मंत्री जी ने कहा कि वहां पर लैन्ड रेवेन्यू बहुत कम है और कल उपाध्याय जी ने कहा था कि कोई-कोई सीरतान तो एक एकड़ में ८ मन तक पैदा कर लेते हैं। यह सब गलत अंदाजा है। वहां जो लोग पूरे साल भर सारे परिवार की मदद से खेती का काम करते हैं, मुश्किल से एक एकड़ में जो २० नाली होती है तीन चार दूण जो मन से कम होता है पैदा कर पाते हैं। माल मंत्री जी ने नाली को गज और फीटों में बतलाया लेकिन वहां तो गज और फीट को कृषक कोई जानता ही नहीं है। वहाँ तो मुट्ठी कहते हैं, हाथ में अनाज लिया जिस ने ज्यादा फेंका उसी की ज्यादा मुट्ठी हो गयी, इस तरह के पैमाने उन्होंने वहां निकाले हैं कि इतनी मुट्ठी की एक नाली और इतनी नाली की एक मस्सी, और रेवेन्यू तथा मालगुजारी लगाने के लिये तो वह जरब नाली करते हैं, उसी का मलटिपिल करके ठीक से वह हिसाब लगा लेते हैं। मैं आप को यह भी बता दूं कि वहां पर जवान से लेकर बूढ़े तक और स्त्रियां सभी खेतों में जाकर मेहनत करते हैं तो मुश्किल से उनका गुजारा चलता है। उनका सारा परिवार उसमें लगा रहता है और उनकी मजदूरी का हिसाब एक पाई रोज भी नहीं पड़ता है। आप हिसाब देख लें और सेटिलमेंट कमिश्नर से भी आप पूछ सकते हैं कि उनको मजदूरी का एक पाई फी रोज फी आदमी का हिसाब भी नहीं पड़ता। यह हिस्सेदारों तथा जमींदार काश्तकारों की हालत है। जो वहां के खायकर, हिस्सेदार या सिरतान हैं उनके बाप दादों ने अपनी मेहनत से उन खेतों को बनाया है और इसलिये असल में कोई फर्क खायकर, हिस्सेदार और सिरतानों में नहीं है। सभी को पेजेन्ट प्रोप्राइटर बनाना है। गुरखों के बाद अंग्रेजों के जमाने में वहां रैयतवारी सिस्टम आया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि वहां जमींदारी प्रथा नहीं है, रैयतवारी है। माल मंत्री जी कह रहे थे कि वह

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

पेजेन्ट प्रोप्राइटर जो हैं वह जमींदार हैं, मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं लेकिन इस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि गलतफहमी न रहे। वहां पर असल में जमींदारी इस रूप में नहीं है जैसे मैदानी इलाके में थी। अंग्रेजों से पहले जितनी जमीन एक थोकदार हड़प सका उसने ले ली। वह उसने अपने नाम पर नहीं रखी और सब अपने आदमियों तथा स्वजनों को खाने कमाने के लिये दे दी जो बाद में हिस्सेदार हुए। फिर उसके बाद टेहरी राज ने सब थानेदारों को दबा दिया और उसको वह सब मिलकर कुछ थोड़ा सा ट्रिब्यूट देने लगे। उसके बाद राजा चले गये और अंग्रेज आये और अल्मोड़े से जब गुरखा हटे और अंग्रेज आए उन्होंने कहा कि रैयतवारी प्रथा ठीक है, डायरेक्ट कनसर्न रहता है और वह थोकदार पेजेन्ट प्रोप्राइटर कहलाते थे और अंग्रेजों ने उनसे कमीशन के रूप में कहा कि ६ परसेंट या ८ परसेंट तुमको मिलेगा तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी क्या बात होगी जैसे यहां आप जमीदारों को ४० साल के बांड दे रहे हैं वैसे ही वहां भी उन्होंने कह दिया कि इसकी परपिचुटिटी चलती रहेगी। कल मंत्री जी ने स्वयं कहा कि नम्बरदार अलग है और उसको लैन्ड रेवेन्यू की वसूली का कमीशन मिलता है लेकिन थोकदार जो जमींदार कहलाता था उसको जो मालिकाना मिलता था वह दूसरी चीज है। जैसा कि कल मंत्री जी ने कहा कि कुमायूं में हजार से ऊपर की मालगुजारी वाला आस्कोट का एक ही जमींदार है, थोड़े से सैकड़ा वाले हैं और लगभग सब ही ५ रु० से कम मालगुजारी देने वाले हिस्सेदार हैं। कुमायूं के हिस्सेदारों की करीब १.५ एकड़ की एवरेज होल्डिंग तथा जोत है। यह भूमि व्यवस्था वहां अंग्रेजों के जमाने में हो गयी थी और वहां अभी तक कोई कोडिफाइड ला नहीं था और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा और हम उनको बधाई देते हैं, कि वे आज वहां के लिये कानून ही नहीं बना रहे हैं बल्कि वहां बिना मालगुजारी बढ़ाये भूमि बन्दोबस्त भी करवा रहे हैं और कागजात भी सही करवा रहे हैं। अब वे हमें एक कोडिफाइड ला दे रहे हैं उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मगर जैसा मैंने इस सदन के सम्मुख कहा कि वहां पर फी हिस्सेदार की औसत जोत १.५ एकड़ है तो जमींदारी को एबालिश करने की बात कहां उठती है? जिसको देख सुन कर मुझ को बहुत अफसोस मालूम होता है जो कि १.५ एकड़ के हिस्सेदार को समाप्त करना एक प्रकार से मक्खी मारने की बहादुरी के बराबर की बात होती है। प्लेन्स में सारी जमीन जमींदारों के पास थी। गवर्नमेंट की हब्बा भर भी जमीन नहीं थी।

हमारे माल मंत्री ने कहा कि कि ८९.४ परसेंट कुल जमीन का कुमायूं में गवर्नमेंट के पास है। दस परसेंट जो काश्तकार के पास है उस दस परसेंट पर भी काश्त नहीं है। दस परसेंट में भी वेस्ट लैन्ड है। फारेस्ट पंचायत हैं वे भी इंक्लूडेड हैं। उस नाम मात्र की हिस्सेदारी पर अबोलिशन होना है बड़ी खुशी की बात है। हमें खुशी है कि जैसा देश चलता है सारा हिन्दुस्तान चल रहा है उसी रास्ते हम भी चलें। प्लेन्स के आदमियों को चाहे इतना ममत्व न हो अपने स्थान का उसको कोई अच्छी जाब (काम) किसी शहर में मिल जाती हो तो वहां बसने में उसे कोई दिली कष्ट न होता हो लेकिन आपने देखा होगा कि पहाड़ का आदमी जायगा, दुनिया घूम आयेगा, काला पानी जायेगा लेकिन अपनी उस भूमि को वह याद करता रहेगा। मैं कहता हूं कि मुझे इस बिल के अन्दर अगर कोई खराबी दीखती है तो वह यही है कि वहां के पढ़े लिखे लोग यक्ष की तरह से निर्वासित न हो जांय और केवल अशिक्षित ही लोग पहाड़ों पर बने रह जायं। मैं इसको बड़े गौर से पढ़ रहा था और सोच रहा था कि आया इस कानून के फलस्वरूप कहीं कोई ऐसी सूरत पैदा न हो जाय जिससे कि हम मेंढक के कुवें की तरह १.५ एकड़ भूमि पर चिपके रह कर लंगोटी पहनना प्रारम्भ न कर दें जैसा गरीबी के दिनों करते थे। पहाड़ में सर्विसेज न रहें तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाय। सन् १९१४ से पहले का दृश्य अगर हम देखें जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार नहीं हुयी थी जिसको आज हिस्सेदार कहा जा रहा है, शोषक कहा जा रहा है कि वह इतना मन लेता था, इतना पाता था मैं आपको बताऊं कि उस समय एक हिस्सेदार इतना गरीब होता था कि ९ आने में भी एक बैल की जोड़ी खरीदना मुश्किल काम था। यह हालत थी पहले आज के हिस्सेदारों की लेकिन आज उन हिस्सेदारों

की यह नौकरी की बदौलत अच्छी हालत है। जिनको जमींदार कहते थे, अथवा जिनको थोकदार कहते हैं आज उनकी हालत यह है कि उन्हें शाम को खाना नहीं मिलता। वे रोते हैं। जैसा कल कहा जा रहा था मैं बतला दूं कि कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं है जो यह चाहता हो कि किसी का शोषण हो। यह भी बात नहीं है कि बाद में पास हो। आज पास हो जाय। एक मिनट में पास हो जाय लेकिन इस तरह से दूसरे की भावना पर यह कह देना कि उसको नहीं चाहते हैं यह विरोधी वक्ताओं का गलत तरीका था।

मेरे एक मित्र ने बहुत कुछ कहा---आपने बीच में टोका भी---लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त ऐसे कोई जमींदार नहीं हैं सिवा असकोट के या निजी फारेस्ट वालों के जो अब भी फायदा उठाते हैं या शोषण करते हों। एक मित्र स्पीच दे रहे थे उनके पड़ोस की ही बात बतलाता हूं कि वहां फ्री सिम्पिल स्टेट इतनी ज्यादा है जो अंग्रेजों को अंग्रेजी सरकार ने दी थी और ब्राउन ग्रान्ट भी हैं। उनकी यह हालत थी कि अगर कोई गरीब आदमी लकड़ी जलाने के लिए सूखी लकड़ी लेने के लिए जाता है तो दो से आठ आने पैसे पहले रखा लेते हैं। मैं कहता हूं कि वेस्टेड इंटरेस्ट हर जगह प्रोटेक्शन पा लेता है। यह गरीब हिस्सेदार अगर सचमुच में वेस्टेड इन्ट्रेस्ट होता तो प्रोटेक्शन पा लेता। लेकिन वह प्रोटेक्शन नहीं पा रहा है। उसके अन्दर वेस्टेट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर पाये हैं और वह कौन हैं। जो फ्री सिम्पिलस्टेट के मालिक हैं। मैं कहता हूं कि जितना प्राइवेट फारेस्ट का इंटरेस्ट है--- माल मंत्री जी ने कहा वहां पर प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट लागू हो चुका है। दो साल पहले चकरौता में देवदार के पेड़ लोगों ने काटे थे। उनके लिए कार्यवाही की गयी और अब वह नहीं काट सकते हैं। लेकिन जिनके जरिये माल मंत्री जी को मालूम हुआ, वेस्टेड इंटरेस्ट्स वहां पर वही है जिन्होंने अपना अधिकार जमा रखा है। मैं समझता हूं कि फारेस्ट को इसमें ज्यादा से ज्यादा कम किया जाय और दस नाली के ऊपर हर्गिज नहीं होना चाहिये। मैं तो एक रत्ती भी नहीं छोड़ता। इसलिये कह रहा हूं कि शायद सरकार को दस नाली से नीचे लेने में दिक्कत महसूस होगी। १८५७ के गदर के बाद विदेशी हुकूमत को मदद करने में यहां पर ताल्लुकेदारियां मिलीं। अगर पहाड़ के अन्दर कोई ऐसी रियासतें हैं तो वह फ्री सिम्पिल स्टेट्स हैं जिनके अन्दर केवल जंगलमात्र हैं जो गरीबों का सबसे अधिक शोषण करते हैं बनिस्बत हिस्सेदारों के।

मैं देखता हूं कि कुछ सदस्यों द्वारा दूसरों की मनोवृत्तियों पर आघात किया जाता है, लेकिन स्वयं इन चीजों को नहीं लाते। जिन-जिनके इलाके में हैं सबको ज्ञात होगा और मैं भी बताता हूं। मैं एक ही उदाहरण दूंगा। गडौली स्टेट का उदाहरण दूंगा। कितना रुपया वह पैदा करते हैं। एक काश्तकार, एक हिस्सेदार जिनके पास एक खेत है उसके लिये इतना ऐक्ट बना रहे हैं परन्तु इतना शोषण करने वाले जंगलों या फ्री सिम्पिल स्टेटों के वनों को नहीं लिया जा रहा है। ८४ लाख रुपया माल मंत्री जी खर्च कर रहे हैं कि रेकार्ड ठीक से दर्ज हों। बड़ी खुशी की बात है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के खर्च से हमारे रेकार्ड दुरुस्त हो रहे हैं। इससे खुशी की क्या बात हो सकती है।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---गवर्नमेंट आफ इण्डिया तो आधा ही दे रही है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---बाकी माल मंत्री जी अपने यहां से खर्च कर रहे हैं। लेकिन माल मंत्री जी ८४ लाख के बजाय अगर ४४ लाख रुपया सड़कों के लिये देते तो बहुत ज्यादा भला होता। क्योंकि यह आप के रेकार्ड ज्यादा से ज्यादा साल भर तक के लिये होंगे और यदि दोहराये तथा दुरुस्त नहीं किये जाते रहे तो उसके बाद अगर बाढ़ आ गयी और उसकी तथा वर्तमान खेतों की या काबिजों की पोजीशन चेंज हो गयी तो सारा रेकार्ड और ८४ लाख रुपया चला जायगा। और मैं बता दूं। अंग्रेज बेवकूफ नहीं था। उन्होंने क्या किया था? ३० साला सेटिलमेंट करते थे, इसलिये कि वह वगैरीज आव नेचर को जानते थे। जिस समय बाढ़ आयी खेत चले गये। नदी में बाढ़ आयी सब डूब गया, मगर हिस्सेदार मालगुजारी पे करते थे। ऐक्चुअली, अगर वहां देखा जाय तो जो लेखपाल दिया गया है, एक ही घाटी के अन्दर, इस तरह से बिखरे हुये खेतों को कोई रेकार्ड कर लेगा? नहीं लिख सकता है। इट इज इम्पासिबिल और अगर लिख भी सकता है तो सारे सूबे के रुपये को चौपट कर के,

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

इतना खर्च कर के। गवर्नमेंट ने कोशिश की टेहरी स्टेट में रेगुलर पुलिस रखें। नहीं रख पायी। गवर्नमेंट को फिर रेवेन्यु पुलिस पर रिवर्ट करना पड़ा क्योंकि वहां आबादी बिखरी हुई है। एक आदमी या घर यहां है तो, एक आदमी या घर वहां पर है। फिर वहां समय समय पर स्थिति बदलती रहती है। माइग्रेटरी लोग भी हैं।

मैं अर्ज कर रहा था कि हमें इस बिल को लाने या स्वीकार करने में कोई उज्र नहीं है। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमें बड़ा फायदा है। और मैं समझता हूं कि माल मंत्री जी को वहां के हिस्सेदार तो जन्म-जन्मान्तर तक दुआ देते रहेंगे। क्योंकि हिस्सेदारों के मकान के पास आपने सुरक्षा कर ही ली है। वहां पर रह ही जायगा। मोहब्बत तो अपने घर की है, वहां रहने की। मगर बाक़ी जो लोग दूसरे हैं या सीरतान जो हैं, उनके पास एक खेत अगर हो गया तो अब वह भी सिर्फ उस खेत के सहारे वहां पर बैठे नहीं रहेंगे। आखीर को वह भी जायेंगे कहीं कमाने और मैं आप से बताता हूं कि जब तक वह बाहर नहीं जायगा तब तक एक आदमी चाहे उसके पास एक दो खेत तो क्या एक हजार एकड़ भूमि भी क्यों न हो उससे वह अपनी परवरिश नहीं कर सकता क्योंकि जितनी ज्यादा भूमि होगी उसके रखरखाव में उतना ही ज्यादा पैसा लगता है। उसके अन्दर रिटर्न इतनी ज्यादा होगी नहीं। डिमिनिशिंग रिटर्न है। कोई भी प्राफिट नहीं है और जब प्राफिट नहीं है तो गवर्नमेंट रेवेन्यू क्यों लेती है? मैं आप से कहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट उनसे मोरली रेवेन्यू नहीं वसूल कर सकती। मेरी किदवई साहब से सन् १९३७ में जब वह यहां रेवेन्यू मिनिस्टर थे, बात हुई थी। मैंने उनसे यह बात कही तो उन्होंने कहा कि "नेगी, तुम ठीक कहते हो मगर चूंकि हमारे मुल्क का ऐसा ही रिवाज है कि थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है" मगर मैं कन्विंस्ड हूं कि रेवेन्यू उन लोगों से ली नहीं जा सकती क्योंकि जितना हमारा लेबर उन पहाड़ों को खोद कर सीढ़ीदार खेत बनाने में लगा, जितना हमने उस पर इन्वेस्ट किया और बराबर करते रहे हैं उसके मुकाबले में यील्ड कुछ भी नहीं होती। जैसा मैंने पहले कहा था कि पहाड़ पर की भूमि इट इज नाट ए फ्री गिफ्ट आफ नेचर' बल्कि वह सम्पत्ति है जिस पर काफी पूंजी लगती है। और भी एक बड़ा खतरा है अगर हम सोच-समझ कर इस लेजिस्लेशन को नहीं बनाते हैं। अगर वहां पर खेत की मेड़ों को बराबर वहां का किसान न बांधता चला जाय तो मुरादाबाद और बिजनौर वगैरह के मैदान तो पहिले ही बाढ़ के प्रकोप में आ जायेंगे। बिजनौर वाले सावधान हो जायं। उस बाढ़ के प्रकोप के लिये बहुत जरूरी है कि इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया जाय कि जिससे उसका इन्तजाम किया जा सके और वे बहें नहीं। पहले का जमाना और था। उसमें लोग कुछ कोआपरेटिव तरीके पर एक दूसरे की मदद कर दिया करते थे। लेकिन जब से माडर्नाइजेशन वाला जमाना आया वहां पर अब ऐसी बात नहीं है। पहले मजदूरी देकर लेबर वहां नहीं लगाया जाता था। आज दिन बराबर हर चीज के लिये पैसा वहां पर खर्च करना पड़ता है। नया आदमी जो कोई कल्टीवेशन में आज आयेगा अगर उसके पास इतनी कूवत नहीं है और उसके पास इतने बैल नहीं हैं, उसके पास इतना मनी नहीं है कि वह पुश्ते वगैरह बना सके तो मैं समझता हूं कि आलरेडी जो हमारा इतना गिरा हुआ यील्ड है, और भी कम हो जायगा। आठ मन वाली बात मैंने छोड़ दी, कठील जमीन में एक एकड़ में एक मन ही हो पाता है और मैं आप से बताता हूं, तलांऊं की मैं नहीं कहता, लेकिन आमतौर पर वर्षा पर निर्भर होकर आदमी वहां खेती करता है और उसमें बहुत कम यील्ड होती है। नदी बहुत गहरी है, खेत काफी ऊंचाई पर हैं। इर्रीगेशन चैनल्स को जो वहां पर बन रहे हैं उनसे भी उनके दोनों ओर के खेतों को सींच नहीं सकते। आज इर्रीगेशन चेनल्स वहां सरकार की ओर से बन जरूर रहे हैं, मगर वह बेकार हैं, और निकम्मे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---तलांऊं का भी बता दीजिये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---तलांऊं का मैंने बता दिया कि इस साल जो तलांऊं है अगले साल वह तलांऊं नहीं है। कोई खास सेरा अर्थात् तलांऊं जमीन किसी ऐसी मजबूत जगह पर

हो जो नदी से न टूट पाया हो तो दूसरी बात है। और शायद आपका सेरा मजबूत हो। लेकिन मैं जिन बातों को कह रहा था वह यह कि इसका एक ही उपाय है। माल मंत्री जी फरमा रहे थे कल कि भाई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे कि सबको फायदा हो जाय और किसी को कष्ट भी न हो। मैंने तो यही एक तरीका सोच रखा है उसका और वह तरीका यह है कि जहां तक कि यह दस नालियों से ऊपर के जो फारेस्ट हैं उनको छीन लिया जाय। और उसमें अगर कटने का प्रश्न जो है उसकी मैं गारेन्टी करता हूं कि नहीं कटेगा क्योंकि जो कुछ कटना था वह कट चुका। तो उससे गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरे जो सीरतान मौरूसी हैं और दर्ज हैं, जो अनरेकार्डेड हैं मगर दर असल सीरतान हैं, उनको भी आपकी मर्जी है कम्पेंसेशन दें या न दें--लेकिन देना ही पड़ेगा। उनको भी आप एक दम से हिस्सेदार--जिस ऊंची से ऊंची श्रेणी तक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दें, मगर इतना मैं जरूर अर्ज करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि जिनको आप ऊंचा पहुंचा रहे हैं वह उस हैसियत पर पहुंच कर दो दिन खा लें, दो दिन वह भी आनन्द ले लें कि हम भी दुनियां में भूमि के मालिक बन गये तो उसके लिये तरीका यह हैं कि उनको जैसे अभी माल मंत्री जी ने स्पष्ट किया और मैंने भी जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के सेक्शन १५६ में उसका एक्सप्लेनेशन देखा कि प्लेन्स में भी वही बात है-

"Any arrangement whereby a person is entitled to a right merely to share in the produce grown on the land in consideration of such person assisting or participating with the tenure-holder in the actual performance of agricultural operations is not a 'lease'."

तो यहां प्लेन्स में भी यह स्पष्ट कर दिया है ऐग्रीकल्चर में जो मदद करता है, क्राप शेयरिंग जो है वह लीज नहीं मानी जायगी और यह ऐप्लीकेबिल टु कुमायूं भी है। लेकिन मैं इसको बहुत ढूंढ़ रहा था, मुझे ताज्जुब है कि मंत्री जी ने भी इसको देख लिया.....

श्री चरणसिंह--घर वाली वहां छोड़नी पड़ेगी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--घर वाली वहां छोड़नी पड़ेगी, मगर उसके बारे में जवाब दे दूंगा। तो उसमें एक बात है कि आजकल जो वहां पर सेटिलमेंट हो रहा है, यह जो आजकल कागजों की दुरुस्ती हो रही है और जिस तरह से कल मंत्री जी ने बातें स्पष्ट की हैं मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी उसकी जानकारी प्राप्त की है कि जैसे स्वयं उनको वहां बसा देने की जरूरत पड़ रही है, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

तो लोगों का जो वहां पर एजीटेशन हुआ और कुछ पत्रों में यह छापा गया कि यह ऐक्ट उनकी तथा पहाड़ की जनता की मंशा के मुताबिक नहीं है.....

श्री अध्यक्ष--मैं यह माननीय सदस्य से कहूंगा कि एक-एक प्वाइंट को खत्म कीजिये। आप एक को छोड़ कर दूसरे को उठा लेते हैं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मैं यह बीच की बात इस वजह से बतला रहा था अध्यक्ष महोदय, कि हम लोगों ने इस बिल को जिस रूप में देखा और जिस ऐक्ट का क्लाज पढ़ कर सुनाया उसके पढ़ने के बाद और जिस तरह की राहत हिस्सेदारों को आपने दी है कि वह आसानी से साल भर के अन्दर १५ गुना देकर सीरदार हो सकते हैं, इन सब बातों को मैं कह रहा हूं कि इसकी जनता के सामने साफ रूप-रेखा नहीं गयी थी। वह क्यों नहीं गयी थी? बल्कि इसके विपरीत कार्यवाही की जा रही है। जिन इलाकों में सेटिलमेंट हो रहा है उसमें धारा १५६ जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की जो कुमायूं के लिए भी ऐप्लीकेबिल है उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। वहां पर तो यह है कि जो जमीन जिसके कब्जे में है वह उसी के नाम दर्ज की जा रही है। यह गलत बात हो गयी है और मैं समझता हूं कि हमारे सेटिलमेंट कमिश्नर साहब की जानकारी का मंशा यह है कि उसके लिए यही तरीका हो सकता है कि हम सीरतान की डेफिनीशन को यहां पर साफ करें। आपने मुनासिब नहीं समझा इस बिल के अन्दर कि सीरतान की डेफिनीशन को किया जाय, बल्कि उसकी जगह पर यह कर दिया कि आसामी। तो जब "आसामी" वर्ड आया तो आसामी हर एक को इनक्लूड

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

करता है जो हमारे साथ क्राप शेयर कर रहा है, जो टेम्पोरेरी इन पाजेशन आ गया वह भी है। तो इसकी वजह से गड़बड़ियां हुआ करती हैं। तो मैं यह कह रहा हूं कि गढ़वाल में तो गुंजायश नहीं है, वहां तो सेटिलमेंट ही एक रेकार्ड होगा और अगर कोई कहता है कि १२ वर्ष से होगा तो वहां तो हो सकता है। अल्मोड़े में जरूर दिक्कत है और उसकी वजह से इस प्रकार डेफिनीशन के बनाने में दिक्कत हो रही होगी। मैं भी इस बात को महसूस कर रहा हूं। लेकिन हमें कोई न कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी जिससे सीरतान की डेफीनीशन सही की जाय और यह कर दिया जाय कि इतने समय के अन्दर जो काबिज रहा हो और उसे इस नियत से काबिज रखा गया हो कि वह सीरतान रहे, चाहे वह इन ल्यू आफ सर्विस हो या टेम्पोरेरी अरेंजमेंट हो। यह पहले भी होता था कि बीबी घर पर रहती थी लेकिन अब कुछ दिनों से यह हो गया है कि लोग बीबी को भी साथ ले लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके साथ बेरहमी नहीं बरतनी चाहिये। अगर कोई अपने बीबी ले आता हो तो उसको अपनी जमीन से महरूम कर दिया जाय यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। इसलिए मेरी गुजारिश है यह कि सीरतान की डेफीनीशन ऐसी बनाई जाय कि जो रियली ऐक्सप्लौयटेड हैं उसको बेनीफिट मिल जाय और जो नकली और बनावटी हैं अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं बतला दूं कि नकली और बनावटी कैसे हैं?

जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि औसतन् १.५ या १.६ एकड़ की होल्डिंग्स हिस्सेदारों की है। मैं अपना उदाहरण ही आप के सामने रखना चाहता हूं। मेरा एक छोटा भाई है वह वहां पर जमीन के पजेशन में रहा। मेरा कजन है या मामा का लड़का है और वह भी थोड़ी सी भूमि का हिस्सेदार है। उसका लड़का मेरे पास आ गया। मैं उसको पढ़ा रहा हूं और जो प्रोडयूस मेरे हिस्से में आता है वह बीच के रूप में इस्तेमाल होती है जब मैं घर जाता हूं तो कपड़े, मिठाई इत्यादि और वह चीजें जो पहाड़ पर नहीं होतीं, वह अपने साथ ले उस भाई या कजन के लिये जाता हूं। यह एक अनरिटन व्यापार चलता है। आगे चल कर जो एक्चुअल पजेशन में नहीं है हिस्सेदार को यह कहा जाय कि "ही इज नाट दी टिलर आफ दि स्वाइल" तो उसका यह अन्जाम होगा कि उस सारी जमीन का मालिक मेरा भाई हो जायगा मैं उसके लड़के को पढ़ाना छोड़ दूंगा, कपड़े लत्ते इत्यादि अन्य चीजें भेजना बन्द कर दूंगा, मैं खेती की, जो रिक्वीजिट्स हैं जैसे बैल, हल वगैरह, वह सब भेजना बन्द कर दूंगा। जब यह सब चीजें भेजना बन्द कर दूंगा तो मानी हुई बात है कि मैं पहाड़ पर क्यों जाने लगा इसके माने यह हैं कि मैं पहाड़ों से निर्वासित हो गया। उस भाई की हालत यह होगी कि उसका जो बच्चा पढ़ता था वह नहीं पढ़ पायगा, रिश्तेदारी छूट जायगी और मुमकिन है बहुत से केसेस में लिटिगेशन भी बढ़ जाय। इसलिए पहले भी मेरी राय यही थी जब कि १९३६ में कुमायूं लॉज कमेटी में मैंने यही बात कही थी और अब भी मैं यही कहता हूं कोई कहे कि एक आदमी के पास दो औकूपेशन क्यों? . . .

श्री अध्यक्ष—आप अपनी राय दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मेरी राय यह है कि सीरतान की डेफीनीशन ऐसी हो कि जिससे वह व्यक्ति जिसके बाप दादे ने अपना सर्वस्व पहाड़ों को खोदने और ठीक करने में लगा दिया हो और उसकी जमीन में कुछ काल के लिए हिस्सेदार टेम्पोरेरी अरेंजमेंट में काम कर रहा हो उसको क्रोप शेयरिंग अरेंजमेंट माना जाय और मैं समझता हूं कि ला में माना गया है। लेकिन दिक्कत यह है जो रिकार्ड आज तैयार हो रहे हैं उसमें ऐसे लोग मालिक जमीन नहीं दिखाये जा रहे हैं। उनमें तो मोटी सी बात पकड़ ली गयी है कि जो आदमी एक्चुअली इन पजेशन में नहीं है और ओनर है, वह रिकार्ड में नहीं रखा जायगा और जो पजेशन में है और ओनर नहीं है, उसको रखा जायगा। अब उसको तय करने के लिये या तो कोर्ट में मामला जाय या हमारे बड़े अफसर जो सेटिलमेंट के हैं उनके सामने इस बात को रखा जाय। मगर गांव में हर आदमी इतना तो नहीं जानता है। जो अमीन-सेटिलमेंट से सम्बन्ध रखने वाले हैं वे तो एक ही

बात वहां पर प्रचलित कर रहे हैं---मेरी कांस्टीटुयेंसी में तो अभी सेटिलमेंट का काम नहीं लाया लेकिन और जगहों पर मैंने सुना है कि वे कहते हैं कि हम तो जो आज जोत रहा है उसका ही नाम लिख देंगे। अब अगर दो भाई हैं और एक भाई यहां है या जैसी मेरी तरह टेम्पोरेरी डिप्टी मिनिस्टर हो करके यहां चला आया तो जो वहां दूसरा भाई है उसी का नाम वहां लिख देंगे। तो इसमें एक क्लेरिटी होनी चाहिये और यह सीरतान की डेफनीशन किये बगैर नामुमकिन है। अभी जैसा मैंने कहा कि सीरतान को खोयकर लिखिये और चाहे खायकर को हिस्सेदार लिखिये एकनामिक डिफरेंस कोई नहीं होता है क्योंकि जमींन उतनी ही रहती है। जो खायकर एक रुपया लगान देता है तो चार आने खैकरी के देता है। अब उसमें हिस्सेदार कितने हैं, १५। तो चार आने को बांटिये पन्द्रह हिस्सेदारों में जिनकी वह खैकरी है। तो प्रत्येक को कितना पड़ेगा और वह कौन सा बड़ा शोषण होगा? तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि सन् १९२१ के बाद कोई हिस्सेदार खायकर से पैसा वसूल भी नहीं कर पा रहा है। मैं आप को बताता हूं क्योंकि कल माननीय उपाध्यक्ष जी ने कुछ जिक्र कर दिया था कि सन् १९४० में जब इंडिवीजुअल सत्याग्रह में मैं जा रहा था तो खायकर को मैंने कह दिया था कि तुम सब लोग अपने नाम हिस्सेदारी में लिखा लो। क्योंकि हमें वे कुछ पैसा तो देते नहीं थे तो एकानामिकली तो उनको कोई विशेष फायदा नहीं है लेकिन उनकी तमन्ना है बरसों से कि हाय भगवान वह दिन भी देखने को मिलेगा जब हम हिस्सेदार बन जायेंगे। तो यह एक उनकी सेंटीमेंटल बात है। मैं कहता हूं कि आप भूमिधर ही रहिये मगर ब्रेकेट में हिस्सेदार जरूर रखिये ताकि उन बेचारों की यह तमन्ना तो पूरी हो जाय।

मैं आप से बता देना चाहता हूं कि स्टावेल मैनुअल कल पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि जमींदार के माने हैं गरीब आदमी। वहां तो जब कोई किसी से कहता है तो यह कहता है कि आप तो बड़े आदमी हैं और मैं तो बड़ा गरीब जमींदार आदमी हूं तो वहां जमींदार के वह माने नहीं लगाये जाते जो यहां मैदान में लगाये जाते हैं। वहां जमींदार के माने हैं टिलर आफ दि स्वायल। जैसे कहा गया कि जमींदारी विनाश। तो अगर वहां यह कहिये तो कहेंगे कि विनाश हो, कहने वालों का। इसमें जैसे लिख दिया कि कुमायूं जमींदारी विनाश, तो वहां जमींदार के माने एक्सप्लायटर के नहीं हैं। जमींदार को तो थोकदार कहते हैं। वह तो अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। फिर भी आप जमींदारी विनाश लिखिये, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यथार्थ में वहां रैयतवाड़ी सिस्टम है, जमींदारी सिस्टम नहीं है। जिस तरह से आपने मैदान में जमींदारी खत्म कर दी और उसके फलस्वरूप यहां भूमिधर पैदा हुये उसी प्रकार वहां थोकदार खत्म होने पर हिस्सेदार पैदा हुये और अगर आज नहीं तो एक दिन अवश्य ऐसा आयेगा जब इस बात की आवश्यकता पड़ेगी कि मैदानी क्षेत्रों में भूमिधरी को भी समाप्त कर दिया जाय। जिस तरह आज पहाड़ों पर हिस्सेदारी को खत्म करने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं कहता हूं कि हिस्सेदारी के खत्मे से वहां पर पहाड़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां औसतन १.५ एकड़ भूमि है हर एक के पास। क्या नंगा नहायेगा और क्या निचोड़ेगा। उसमें वह क्या टेनेन्सी करता होगा.....

श्री मदनमोहन उपाध्याय---जरा आप आगे पढ़िये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मालूम होता है आप ने बिल पढ़ा ही नहीं है आप क्या कहेंगे। यहां भूमिधरों के अभी भी फार्म्स हैं, सौ, सौ एकड़ और इससे ऊपर के फार्म्स उनके हैं। उनके लिये आप को यहां अभी भी कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि किस तरह से उनमें कमी की जाय और कम भूमिवालों को अधिक भूमि दी जाय। तो मैं आप के सामने कह रहा था कि हमें १.५ एकड़ भूमि को भी बांटने में कोई उज्र नहीं है। जितनी प्रोग्रेसिव बात हमारे मित्र कह सकते थे उन्होंने कह दी और उन्होंने कोशिश की कि सब कुछ कह सकने की कि वोट के लिहाज से या दूसरे लिहाज से कांग्रेस वाले डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी कभी किसी जनता के काम में देर नहीं की...।..

श्री अध्यक्ष---आप दोहरा रहे हैं। औरों को भी बोलने का समय देना है, इसका ख्याल रक्खें।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---तो मैं इसको समाप्त करने की वजह से कह रहा था और मेरे पास तो सिर्फ दो बातें कहनी हैं कि अगर सेंटीमेंटल तरीके पर हिस्सेदारी नाम ज्यों का त्यों कर सकते हैं, रिटेन में, तो बड़ा अच्छा है। निजी फारेस्ट जो १० नालियों से ऊपर के जो हैं उनको आप हस्तगत कर लीजिये क्योंकि वह ऐसे लोगों के पास हैं कि जिन्होंने उसको मेहनत से हासिल नहीं किया है और तीसरे यह कि सीरतान की डेफेनीशन सही तरीके पर कर दीजिये और बाक़ी अगर, आप इस बिल को बिल्कुल इसी रूप में जिस रूप में वह है तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसका भी स्वागत करूंगा और मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि हमारे माल मंत्री जी ने जितनी शीघ्रता वह कर सकते थे इसको प्रस्तुत करने में वह उन्होंने की और हम लोगों की जितनी भी राय थी वह सब उन्होंने सुनीं। मगर थोड़ी बहुत बातें, मुमकिन है कि अध्ययन करने के बाद भी रह गई हों और इसलिये खास तौर से जो वहां के इलाके का इतिहास है उस पर मैंने कुछ प्रकाश डालना अपना कर्तव्य समझा और मैं समझता हूं कि इसमें उन्हें कोई आपत्ति न होगी कि यदि इससे जो वहां का यथार्थ में एक्सप्लायटेड क्लास है उस को कुछ मदद मिल सके, साथ ही साथ हिस्सेदारों की रक्षा करते हुए। इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से इस विधेयक के सिद्धांतों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ मैं माननीय उपाध्याय जी के उस दूसरे सुझाव का भी समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के बाद जल्दी ही, जितनी शीघ्रतापूर्वक हो सके, इस सदन में पुनः लाया और उसे इसी सत्र में पास किया जाय।

श्रीमन्, जो यह विधेयक हमारे सामने है, यह कुछ ऐसी विशेष समस्याओं से संबंध रखता है, जिससे कि हममें से बहुत से लोग पूर्णतया परिचित नहीं हैं। जिस हिमांचल के अंचल से इस विधेयक का संबंध है उसके नाम विशेष के अनुसार वहां की समस्यायें भी हैं। तो इस विधेयक का लाना और इस विधेयक के द्वारा उन समस्याओं का हल करना, यह भी एक 'हिमालयन' कार्य माना जा सकता है।

सन् १८७४ में आप श्रीमन्, समझें कि बैकेट साहब का बंदोबस्त अल्मोड़ा और नैनीताल में हुआ। गूज साहब का बन्दोबस्त १९०२ में हुआ। वह भी उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहां कि पहले का बन्दोबस्त नहीं था। गढ़वाल में गूज साहब के बन्दोबस्त के बाद जो सेटिलमेंट हुआ वह सेटिलमेंट उस प्रकार का सम्भवतः नहीं हुआ जिस प्रकार का होना चाहिये था और टेहरी-गढ़वाल का तो कोई रेकार्ड जिस प्रकार का रेकार्ड सेटिलमेन्ट्स में होता है वह भी हमारे पास नहीं है। इस बुनियाद को देखते हुये इस विधेयक को लाने में और विधेयक को व्यावहारिक रूप देने में कितनी कठिनाई हो सकती है, यह स्पष्ट है। मुझे इस विधेयक को देखने से ऐसा लगता है कि नियत तो बिलकुल ठीक है, उद्देश्य बिलकुल सही है और सिद्धान्त बिल्कुल सही है लेकिन उनको व्यावहारिक रूप कैसे दिया जाय अर्थात् आत्मा को क्लेवर का रूप कैसे दिया जाय, इस समस्या को हल करने की कठिनाई सामने है। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि इसमें उस सीरतान की परिभाषा ठीक नहीं है जो सीरतान वहां का 'टिनेन्ट एट विल' है। जब सीरतान की परिभाषा ही सही नहीं है तो यह विधेयक किस प्रकार से अपने मन्तव्य को पूरा करने वाला माना जा सकता है। इस विधेयक में सीरतान की परिभाषा बुनियादी तौर पर सही नहीं है। पहले के जो ऐक्ट बने हैं उनमें भी सीरतान की परिभाषा परस्पर विरोधी है। मैं आप के सामने यह तथ्य रखना चाहता हूं कि इसी सदन ने कुमायूं नयाबाद ऐक्ट पास किया था उसमें उस ऐक्ट के नियमों के अनुसार सीरतान की जो परिभाषा दी गयी है वह मैं आप के सामने रखता हूं। उस में बताया गया है कि "सीरतान" का तात्पर्य उस आदमी से है जो कुमायूं के रिवाज के कानून (कुमायूं

कस्टमरी लाज) से सिरतान के रूप में स्वीकृत हो" उसके रूल्स में यह परिभाषा दी हुई है। दूसरा कुमायूं कृषि भूमि ऐक्ट जो सन् ५४ में यहां पास किया गया है, उसमें काश्तकार की परिभाषा यह दी हुई है कि:

"Tenant includes a sirtan, but deos not include a Khaikar or Maurusidar"

उसमें काश्तकार की परिभाषा में सीरतान को भी शामिल कर दिया है और खायकर तथा मौरूसीदार को उसमें शामिल नहीं किया गया है। तीसरे जिन सर्वे रिकार्ड रूल्स को २६ मई को छापा गया है उसमें 'सीरतान' को जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस नियम १६ में कहा गया है कि "ऐसे व्यक्ति जो काश्तकार या शिकमी काश्तकार 'सब टिनेन्ट' हों और निम्नलिखित वर्ग में से किसी वर्ग में नहीं आते हों 'सीरतान' के रूप में लिखे जायेंगे :—

(१) 'हिस्सेदार और फ्री सिम्पिल इस्टेट' के माफीदार तथा सोलजर इस्टेट के जागीरदार,
(२) खायकर,
(३) मौरूसीदार,
(४) अध्यासी (ओकूपेन्ट),"

जो माफीदार न हों, मौरूसीदार न हों, अध्यासी भी न हों और हिस्सेदार भी न हो ऐसी सीरतान की यह तीसरी परिभाषा है। और चौथी परिभाषा इस बिल में है जैसी कि नयाबाद ऐक्ट में दी गयी है। जिस सीरतान की परिभाषा के अनुसार रिकार्ड आपरेशन्स हो रहे हैं, वह परिभाषा इस विधेयक में नहीं दी जा रही है। इसका आगे नतीजा यह होगा कि कोर्ट में कोई मामला गया तो यह साबित करना कठिन होगा कि रिकार्ड में दर्ज सीरतान की परिभाषा कौन से कानून के मुताबिक है क्योंकि जो उसके सम्बन्ध में ऐक्ट बनाया गया है उसमें सिरतान की परिभाषा दूसरी है। आज कुमायूं की जनता इस विधेयक के सम्बन्ध में जो चिन्ता प्रकट कर रही है वह इसलिए कि रिकार्ड आपरेशंस के नियमों में जो परिभाषायें हैं वह स्पष्ट नहीं है। पिछले पचास साल से वहां पर सेटिलमेंट नहीं हुआ है। इसलिए लोगों में असमन्जस है कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न परिभाषायें इस सम्बन्ध में लागू हो सकती हैं। सबसे बड़े असन्तोष का कारण यह भी है कि सीरतान की परिभाषा निश्चित नहीं है और इसके कारण सीरतान के खाने में लोगों को नाना प्रकार से दर्ज किया जायगा। सीरतान या खायकर को क्यों भौमिक अधिकार दिये जा रहे हैं, अगर कोई केवल इसलिए इस बिल का विरोध करता है तो वह दृष्टिकोण बिलकुल ही प्रतिक्रियावादी और अवांछनीय है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुमायूं की जनता में व्याप्त असंतोष के बारे में कह रहा था। सीरतान की रिकार्ड आपरेशन्स में जो परिभाषा है, कस्टमरी ला तथा इस कानून में उसे भिन्न परिभाषा है। और आक्यूपेंट (अध्यासी) की कहीं परिभाषा नहीं है। यह एक कारण है जिनकी वजह से पहाड़ों में असंतोष है और एक हलचल मची हुई है। रेकार्ड आपरेशन्स के आधार पर ही इस विधेयक की व्यवस्था होने वाली है। जैसा कि टिप्पणी में कहा गया है, इस विधेयक द्वारा निश्चित अधिकार वैसे-वैसे लागू होते चले जायेंगे जैसे कि रेकार्ड आपरेशन्स होते जायेंगे और उनकी ऐंट्रीज होंगी। इसलिये जो 'सर्वे' हो रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वे में एक और बात भी है। पहले पहाड़ों में यह नाप ६४ इंच प्रति मील के हिसाब से हुआ करती थी लेकिन अब नैनीताल जिले को छोड़ कर अल्मोड़ा और गढ़वाल में ३२ इंच के पैमाने से सर्वे हो रहा है। पहाड़ों में जैसा आप जानते हैं, छोटे-छोटे खेत होते हैं और अब छोटा पैमाना रखने पर यानी ३२ इंच प्रति मील के हिसाब से वह छोटे खेत नक्शे में ठीक आते ही नहीं हैं फिर आपको मालूम ही होगा कि ८० साला 'बाउन्ड्री'

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सीमा सारे कुमायूं में मशहूर है। सन् १८२३ में ट्रेल साहब के जमाने की वह सीमा नियत है। इसका इन मौजूदा रिकार्ड आपरेशन्स में कोई ध्यान नहीं रक्खा जा रहा है। इस बात की तमाम गांवों में शिकायत आ रही है कि ८० साला 'बाउन्ड्री' के आधार पर उनको 'डिमार्केट' नहीं किया जा रहा है। पहले बन्दोबस्तों में 'फोरेस्ट्स सेटिलमेंट' और, लैंड सेटिलमेंट' साथ-साथ होता था यानी वन विभाग का सेटिलमेंट और भूमि का सेटिलमेंट साथ-साथ चलते थे। मौजूदा रिकार्ड आपरेशन्स तथा विधेयक के अनुसार जंगलात में गांव वालों के क्या-क्या हक़ होंगे? बहुत से गांवों में लोगों के कोई हक़ नहीं हैं। जनता की हित में यही होता है कि यह दोनों सेटिलमेंट वन विभाग का और भूमि का साथ ही साथ होते। गांवों में मौके पर खानापूरी भी नहीं हो रही है, इससे भी लोगों को नुक्सान हो रहा है। तो श्रीमन्, आप देखेंगे कि इन सब बातों की वजह से आज वहां बेचैनी है। हम लोगों की मांग पर यह बात अवश्य हुई है कि दो एक संशोधन भी हुए हैं। लेकिन अभी बहुत संशोधन होने बाक़ी हैं। वहां पर सर्वे 'प्लेन टेबिल' हो रहा है जो पहाड़ों के लिये अधिक उपयोगी नहीं है। वह मैदानों के लिये अवश्य उपयोगी है। तो अगर डोरी को (कैडेस्ट्रली) सर्वे पहाड़ों पर होता तो वह ज्यादा उचित होता।

अब हमें सीरतानों की परिभाषा को देखना है जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है। आखिर 'कस्टमरी लाज' के अनुसार सीरतान वहां कितने प्रकार के हैं, यह हमें देखना है। जहां तक सीरतानों का सवाल है 'स्टावेल मैनुअल' में कहा गया है कि सीरतान चार प्रकार के हैं। एक 'मौरूसी' सीरतान हैं जो शायद पहले खुरनी या कैनी नाम से कहे जाते थे। ये बहुत पुश्तों से चले आ रहे हैं, उनको पिछले बन्दोबस्तों में कम से कम 'खैकार' दर्ज हो जाना चाहिये था। दूसरे वे सीरतान हैं जो 'माडर्न' सीरतान' कहे जाते हैं जो 'रिटेन' या 'वर्बल' एग्रीमेंट द्वारा जमीन पर काबिज हैं और तीसरे प्रकार की सीरतान वे हैं जो 'नामिनल' सीरतान कहे जाते हैं। इनमें प्लाऊ मैन व सर्वेन्ट्स आदि आते हैं। चौथे प्रकार के नामिनल सीरतान वे हैं जो हिस्सेदार होकर भी ट्रांसफर के जरिये से जो किसी दूसरे हिस्सेदार की कुछ जमीन के सीरतान बन गये। ये ही चार प्रकार के सीरतान हैं जो 'स्टावेल मैनुअल' में दर्ज कये गये हैं। तो क्या हमारे लिये उचित नहीं होगा कि हम सीरतानों की परिभाषा को स्पष्ट कर इन तीन चार प्रकार के सीरतानों को भी लिख दें? जो मौरूसी सीरतान हैं, माडर्न सीरतान हैं, नामिनल सीरतान हैं, इन सब के अलावा मिस्टर रोस ने सीरतानों की एक परिभाषा इस तरह से दी उसे भी हम मान सकते हैं। "एनी टिनेंट हू इज नाट रिकार्डेड ऐज खायकर इन दि सेटिलमेंट आपरेशन इज काल्ड सीरतान"। जो काश्तकार खैकार के नाम से रेकार्ड नहीं है वही काश्तकार सीरतान हैं।

अब जहां तक खैकार का सम्बन्ध है, खैकार को हिस्सेदारी का अधिकार देना बहुत उचित है और यह अधिकार उसको न मालूम कितने दिन पहले ही मिल जाना चाहिये था। सन् ३७ से ही इस प्रकार के कानून के लिये मांग की जा रही थी लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। कम से कम मौरूसी सीरतानों को खैकार या हिस्सेदार तो पहले ही बना देना चाहिये था। कम से कम पहला काम कांग्रेसी मिनिस्ट्री का यह होना चाहिये था कि अधिकार उनका सुरक्षित कर देती। हमने पहले भी यह भी मांग की थी कि जिस समय यह जमींदारी एबालिशन कमेटी इस प्रदेश में बनायी गयी सन् १९४६ में, उस समय उसके साथ ही साथ कुमायूं एरिया की भूमि-व्यवस्था की जांच के लिये भी कोई कमेटी बना दी जाती। तो इस प्रकार एक तरफ यू० पी० के मैदानी इलाकों की भूमि व्यवस्था की जांच होती और दूसरी तरफ एक वैसी ही कमेटी कुमायूं की विशेष स्थिति की भी जांच करती। लेकिन कुमायूं लाज कमेटी सन् १९३७ में बनी थी लेकिन उस की रिपोर्ट समय से नहीं तैयार हुई। मैंने कई बार मिनिस्टर साहब से निवेदन किया था कि एक कुमायूं भू-व्यवस्था कमेटी बना दी जाय, जो वहां की विशेष परिस्थिति का अध्ययन कर के कोई कानूनी सलाह दे सके, ताकि सदन को कोई विशेष परेशानी न उठानी पड़े। पर वे सारी बातें नहीं हुईं। अब लैंड सेटिलमेंट आप-

आपरेशन' भी चल रहा है, 'रेकार्ड आपरेशन' भी चल रहा है और साथ-साथ यह विधेयक भी आया है। एक दम से यह सब बातें हो रही हैं। पहले सोये रहे, अब चाहते हैं कि जल्दी से सब काम हो जाय। सरकार ने यह निश्चय किया है कि बन्दोबस्त की कार्यवाही भी हो, रेकार्ड आपरेशन भी हो और साथ-साथ विधेयक का काम भी चलता रहे, अगर रेकार्ड आपरेशन कुछ वर्ष पहले हो गया होता तो ८४ लाख रुपया जो अब तीन वर्ष में खर्च हो रहा है या होने वाला है, वह नहीं होता अर्थात् रेकार्ड आपरेशन का काम पहले से पूरा हो गया होता तो यह जो परेशानी आप को आज उठानी पड़ रही है वह नहीं उठानी पड़ती। तो ये जो बुनियादी गलती पहले हो गयी है उसके लिये वर्तमान कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है।

अब खायकर को इस विधेयक के अनुसार यह कहा जाता है कि जब एंट्री हो जायेंगी, याने हमारे पास जब रेकार्ड दुरुस्त हो जायगा तो हम खायकर को भूमिधर का अधिकार दे देंगे। यहां पर मैं एक मांग करना चाहता हूं और वह यह है कि कम से कम पक्के खायकर को तो अविलम्ब पक्के खायकर की परिभाषा से अलग कर दिया जाय। पक्के खायकर के अधिकार हिस्सेदार के अधिकार में अविलम्ब बदल देना चाहिये क्योंकि उनके इंदराज का तो कोई सवाल उठता नहीं है। वे तो सरकारी लिस्ट में मौजूद हैं। पक्के खायकार जितने भी होंगे वे एक साथ होंगे, क्योंकि पक्के खायकरों का एक अपना पूर्ण गांव (विलेज) होगा। उस पक्के खायकर ग्राम के अन्दर कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता, पा साहब की सेटिलमेंट रिपोर्ट में ३८८ पक्के खायकर गावों का जिक्र है, उस वक्त उन्होंने उन गांवों के बारे में इन्दराज किया था, वही लिस्ट गढ़वाल हैं वही आज तक चली आ रही है। तो मेरी पहली मांग यह होगी कि यह जो पक्के खायकरी गांव हैं जिनके बारे में सरकार के पास इन चारों जिले की लिस्ट है उन को फौरन् इस ऐक्ट के लागू होते ही पहले अध्याय के साथ ही हिस्सेदारी या भूमिधरी अधिकार मिलने चाहिये और कच्चे खायकरों के भी जब इन्दराज ठीक हो जायं, तब उनको भी बाद में वही हिस्सेदारी अधिकार दिये जायें।

इसके अलावा 'खायकर' की परिभाषा में जो टेहरी गढ़वाल के मौरूसीदार को शामिल किया है यह मुनासिब नहीं है। इसका कारण यह भी है कि आपने जो वहां के 'रेकार्ड आपरेशन्स' के नियम पहले बनाये हैं उनमें आपने उनको खायकरों की श्रेणी में शामिल नहीं माना है। अगर आप उसके स्तम्भ ६ के नियम १४ को देखें तो उसमें लिखा है कि "हिस्सेदार अथवा मौरूसीदार का नाम, पितृनाम, निवास-स्थान, भौमिक अधिकार का प्रकार और कृषि की अवधि पिछले (क्लोजिंग) फांट के अनुसार लिखे जायंगे।" यानी रिकार्ड आपरेशन के नियमों में तो मौरूसीदार हिस्सेदार में शामिल है और यहां विधेयक में खैकरी में शामिल है, तो यह परिभाषा कैसे लागू हो सकती है। अगर वहां हिस्सेदार को मौरूसीदार के साथ नत्थी किया है तो यहां बिल की परिभाषा में भी उसे नत्थी किया जाता। बिल में मौरूसीदार को हिस्सेदार के साथ नत्थी न करना और रिकार्ड आपरेशन्स में उसको खैकर का स्थान देना, यह पटरी किसी प्रकार नहीं बैठती। इसलिये खैकर और कच्चे व पक्के खैकर की परिभाषा अलग-अलग स्पष्ट होनी चाहिये और यहां खैकर की परिभाषा में मौरूसीदार को शामिल न करना चाहिये क्योंकि वह तो एक प्रकार का हिस्सेदार है और टेहरी के पूर्व विधान के अनुसार मौरूसीदार के करीब-करीब वही अधिकार हैं जो एक हिस्सेदार के हैं।

इसके अलावा जो 'खैकरी भूमि' की परिभाषा दी गई है उसमें भी असंगति है। उस में लिखा गया है कि उसमें 'गांव संजायत' भूमि भी सम्मिलित है। यह कैसे लिख दिया गया? गांव संजायत और खैकरी भूमि से परस्पर कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, वह तो हिस्सेदार की भूमि में भी हो सकती है और ऐसे गांव में भी हो सकती है जिसमें यह तीनों तरह के लोग हों, इसलिये केवल खैकरी भूमि की परिभाषा में ही इसको गांव संजायत भूमि को शामिल करना ठीक नहीं है, ऐसा करना तो अन्याय होगा कि गांव संजायत को केवल खैकरी भूमि में शामिल कर दिया जाय और ऐसा करने का नतीजा यह होगा कि गांव संजायत की भूमि भी 'स्टेट' में 'वेस्ट' कर दी जायगी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

और फिर परिणामतः खैकरी भूमि के नाते उसका मतलब बिल्कुल दूसरा हो जायगा इसलिये गांव संजायत की भूमि को इस खैकरी भूमि की परिभाषा से अलग रखना चाहिये और इस परिभाषा को यहां इस रूप में न रहना चाहिये।

इसके साथ ही साथ इस बिल में सीरतान को भी अधिकार देने की भी चेष्टा की जा रही है — इसमें २ तरीके रखे गये हैं। एक तरीका तो यह है कि सीरतान पहले वर्ष भूमिधरी के अधिकार हिस्सेदार से १५ गुना देकर मोल ले ले और अगर वह उस एक साल में नहीं लेता तो सरकार को इस बात की पावर होगी कि वह एक साल बाद सीरतान को सीरदार बना दे और बाद को उसका मुआवजा हिस्सेदार को देकर भूमिधर बने। चाहे सरकार उसको हक दिलाये या वह खुद भूमिधरी खरीदे, दोनों हालतों में सीरतान अपने मुआवजे का पैसा खुद अदा करेगा १५ गुना या १२ गुना। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि सीरतानों को तो खायकर से ज्यादा 'प्रोटेक्शन' (सुरक्षा) मिलनी चाहिये और उनकी ओर से तो उचित मुआवजा भी सरकार को ही देना चाहिये। जिस प्रकार खायकर के 'पजेशन' के लिये सरकार 'कम्पेनसेशन' देगी उसी प्रकार हमारी यह मांग होगी कि सरकार सीरतान को भूमिधर बनाये जाने के हेतु जो 'कम्पेनसेशन' निश्चित करे वह स्वयं दे जैसे कि मैदानी इलाकों में अधिवासी को सीरदार बनाने के लिये 'कम्पेनसेशन' स्वयं देने की घोषणा सरकार ने ऐक्ट के द्वारा पिछले वर्ष की है।

मेरी दूसरी मांग यह भी होगी कि हम इस ऐक्ट में काश्तकारों के केवल दो ही क्लास रक्खें। तीसरे क्लास को सीरदार की आवश्यकता नहीं। सीरतान को "सीरदार" बनाने की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार आप खायकरों को सीधा हिस्सेदारी और भूमिधरी अधिकार देने की बात कह रहे हैं उसी प्रकार सीरतानों को भी सीधे हिस्सेदार भूमिधर बनाइये और यह घोषित कीजिये कि निश्चित दिनांक के बाद जो सीरतान होंगे वे भी खायकरों के साथ साथ हिस्सेदारी अधिकार प्राप्त करेंगे और जो मुआविजा होगा वह सरकार देगी। इसके सम्बन्ध में सही नीति यही होगी क्योंकि इस बीच के एक साल के इंटेरिम पीरियड की क्या जरूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस विधेयक के अनुसार सीरतान पहले वर्ष में अर्जी दे कलेक्टर को, हिस्सेदार भी परेशान हो और फिर कलेक्टर फैसला करे। जब एक साल बीत जाय और सीरतान भूमिधरी अधिकार न खरीद सके तो सरकार गजेट में कोई तारीख निकाले और फिर सीरतान सीरदार बने और सीरदार बनने के 'बाद जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट' के अनुसार भूमिधर दस गुना दे कर बन सके। इतने लम्बे फेर के बाद जब कि वह ज्यादा दबा हुआ वर्ग है भूमिधर बन सके यह उचित नहीं, इसलिये सीरतान की इसमें सरकार को पूरी मदद करनी चाहिये और मुआवजा सरकार को देना चाहिये। न्यायपूर्ण नीति यही कहती है कि 'सीरदार' क्लास की आवश्यकता नहीं है और केवल दो क्लास रहने चाहिये, हिस्सेदार और आसामी।

अब तीसरी सिद्धांत की बात जो इस विधेयक में हम देखते हैं वह कुछ नई अवश्य है लेकिन उसके ऊपर कुछ गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है। वह यह कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा और माना है कि पहाड़ में कुछ विशेष स्थिति है और वहां पर लोगों को अपने गांवों की भूमि से पुश्तैनी लगाव और प्रेम को देखते हुये उन्हों ने ढाई नाली एक सीमा रक्खी है कि ढाई नाली जमीन हिस्सेदार अपने मकान के आसपास रिज्यूम कर सकता है। यह क्लाज माननीय मंत्री जी ने अपने ठोस विचारों के होते हुये भी वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए रक्खा है। हमें यह देखना है कि सिद्धान्त की कसौटी पर कहां तक यह ठीक उतरता है इस ढाई नाली जमीन का 'रिज्यूम' करना है। मैं एक बात जानना चाहता हूं ढाई नाली जो लिमिट रक्खी है वह किस उसूल के आधार पर रक्खी है या ढाई नाली कोई बेसिक होल्डिंग है या फेमिली होल्डिंग है या मिनिमम एकनामिक होल्डिंग है। सीलिंग तो निश्चित साफ है कि

है नहीं तो फिर ढाई नाली रक्खी किस आधार पर गई है और सबको क्यों रक्खी गयी है। मेरा यह निश्चित विचार है कि उस हिस्सेदार को जिसके एक गांव में कई मकान है और खुदकाश्त भूमि गुजर लायक है उस हिस्सेदार को ढाई नाली भी नहीं 'रिज्यूम' करनी चाहिये।

श्री चरणसिंह—आप के इसरार करने पर ही रक्खी गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसरार तो साहब ना जाने क्या-क्या होगा आप से। मैं जरा साफ़ कर रहा हूं। अब आप देखें कि जिस हिस्सेदार के पास अपने जितने मकान हैं उनके चारों ओर उतनी ढाई नाली जमीन आप दें ऐसा मतलब नहीं होना चाहिये लेकिन जिस प्रकार विधेयक में रखा गया है, उसका मतलब यही है कि जितने मकान हैं हिस्सेदार के उतनी ढाई नाली जमीन वह रिज्यूम कर सकता है। तो मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह होगा कि जहां हम ढाई नाली जमीन रिज्यूम करने का अधिकार ऐसे लोगों को दें और केवल उन जगहों पर दें जहां पर कि हिस्सेदार बिल्कुल भूमि हीन या गृह-विहीन हो जायें। दूसरी बात यह कि पहाड़ में अधिकतर बाखली सिस्टम होता है। उसका अर्थ यह होता है कि जहां एक ओर अनेक जगह मकान अलग-अलग होते हैं, बहुत जगह १००-१०० मकान एक लाइन में बने होते हैं। पुराने मकान बने हुये हैं और एक-एक मकान सबका एक लाइन में एक साथ है। अगर वहां ढाई नाली सब को दिलाने लगेंगे तो ढाई नाली अधिकांश को मिल ही नहीं सकती। ऐक्ट का मंशा अधूरा रह जायगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—आप की राय क्या है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—आप जरा बात सुन लें। मकान के चारों तरफ का शब्द जो विधेयक में है वह 'बाखली' जहां पर होती है वहां पर भ्रामक हो जाता है। अब इस सम्बन्ध में यह भी देखना अनुचित होगा कि आया जो और 'स्टेट्स' हैं जहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां क्या कानून बने हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और प्रान्तों की तरफ ले जाना चाहूंगा जहां पर पहाड़ी इलाके हैं और जहां इसी प्रकार के लैंड रेवेन्यू मकान हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि यह कानून जिस प्रकार वहां है दूसरी जगहों से, चाहे उतना स्पष्ट न हो, जितना होना चाहिये लेकिन और प्रान्तों से ज्यादा क्रान्तिकारी है। लेकिन फिर भी देखना होगा कि और जगह कैसे दूसरे पर्वतीय प्रदेशों ने अपनी समस्या हल की है। हिमांचल प्रदेश में तीन बार संशोधन करने के बाद उन्होंने जो कानून बनाया है वहां पर हिस्सेदार को पांच एकड़ तक जमींन रेज्जूम करने का अधिकार दिया गया है और सीलिंग भी वहां रखी गयी है १२५ रु० रेवेन्यू तक।

श्री चन्द्रसिंह रावत—आप कितना छोड़ना चाहते हैं यह स्पष्ट करिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कश्मीर में जो लिमिट रखी है वह साढ़े बाइस एकड़ की है। आसाम में पांच सौबीघा जमीन रखी है। मनीपुर में तो जमींदारी का रूप है ही नहीं क्योंकि वहां पर पहले से गवर्नमेंट ने कानून बना दिया था कि २५ एकड़ से ज्यादा कोई आदमी जमीन एकट्ठी ही नहीं कर सकता। मेरे मित्र समझने लगे शायद मैं इन्हीं सीमाओं का समर्थन कर रहा हूं। मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि दूसरी जगह क्या है लिमिट। मैं अभी यह नहीं कह सकता कि आप ठीक पांच एकड़ या दस एकड़ रखें। मेरा कहना यह है कि सेलेक्ट कमेटी में इस बात को गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा कि .....

श्री चन्द्रसिंह रावत—आप अपनी राय तो दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—'रिजम्पशन की लिमिट' ढाई नाली हो या पांच नाली हो या क्या।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मैं आप का ध्यान सेकेण्ड फाइव-इयर-प्लान के 'ड्राफ्ट' की ओर भी दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा हुआ है---

"The economic circumtances of small owners are not so different from those of tenants that tenancy legislation should operate to their disadvantage. It is desirable that a small owner wishing to resume land for personal cultivation should be permitted to do so. At the same time it is difficult to disregard the position of the tenant. There is a concensus of opinion that owners with very small holdings should be permitted to resume their entire area. The limit may be set at what is described as a "basic holding". The expression "basic holding" is employed in legislation relating to the prevention of fragmentation which generally defines the minimum area needed for profitable cultivation. For practical purposes it may be convenient to assume that a family holding is made up, say, of three "basic holdings." Thus, owners with less than 1/3rd of a family holding may be free to resume their entire area for personal cultivation. As regards owners whose holdings lie between a basic holding and a family holding, the regulation is that they should be permitted to resume for personal cultivation one half of the area held by the tenant, but in no event less than a basic holding. Where tenants are left without any land or with areas smaller than a basic holding, the suggestion is that the Government should endeavour to find land for them so as to bring the tenancy to the level of a basic holding. To an extent this effort would be facilitated when ceilings are imposed and areas in excess of the ceilings become available."

इसका हिन्दी में मतलब संक्षेप में यह हुआ कि जो बहुत ही छोटे हिस्सेदार हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि जो वह टिनेंट से भिन्न कोई दूसरी टिनेंट माने जा सकें। वह भी एक प्रकार के टिनेंट हैं। इसलिये जो इस प्रकार के बहुत ही छोटे हिस्सेदार हैं उनकी, सीलिंग की तिहाई 'फेमिली होल्डिंग' और उसकी भी तिहाई यह बेसिक होल्डिंग मानी गयी है। यह सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के ड्राफ्ट में है। अगर कुमायूं के लिये यह बेकिस होल्डिंग ढाई नाली ही साबित होती है तो इसे हमें मानना चाहिये। क्योंकि मैंने जैसा आप से कहा, प्रश्न यह है कि कुमायूं के लिये आप बेसिक होल्डिंग क्या मानते हैं? आप ढाई नाली मानते हैं या नहीं मानते हैं?

श्री चरणसिंह---मैं ढाई नाली बेसिक होल्डिंग नहीं मानता। यह मकान से मिली हुई जमीन है जिसको रिज्यूम करने का अधिकार उस को दिया जा रहा है ताकि मकान का अच्छी तरह इस्तेमाल हो सके। अगर आप यह समझते हैं कि इतनी जमीन उसको रिज्यूम करने का अधिकार होना चाहिये तो यह कितना होना चाहिये यह आप बतला दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अब आप यह देखिये कि वहां जमीन कई किस्म की होती है, तलाऊं, उपराऊं, खील, कटील आदि जो कि नाम सभी आप के रेकर्ड आपरेशंस में दर्ज हैं। तो इसके हिसाब से हमें यह किस तरह मालूम होगा कि भिन्न-भिन्न भूमि में हमें क्या होल्डिंग रहनी चाहिये और किस प्रकार से रखना चाहिये और इसके बेसिक होल्डिंग के हिसाब से

रखना चाहिए या एक ढाई नाली के हिसाब से रखना चाहिए इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और जैसा मैंने पहले कहा कि जिनके पास काफी भूमि खुदकाश्त है उनको तो ढाई नाली भी नहीं देनी चाहिये, 'रिज्यूम' करने या उठाने का अधिकार ऐसी ही खुदकाश्त करने या कर सकने वाले हिस्सेदारों को दिये जाने पर विचार हो जिनके पास यथोचित भूमि नहीं, सर्विस पेशा आदि लोग जिन्हें सौ रुपया तक मासिक आमदनी भी न हो या मुश्किल से हो। यही सम्भवतः प्लानिंग कमीशन का भी मंशा है। हमें यह तथ्य भी इस प्रसंग में ध्यान रखना है कि जब कि प्रदेश के मैदानी भागों में प्रति व्यक्ति भूमि ३·४ एकड़ पड़ती है। हमारे कुमायूं विभाग में यह प्रति व्यक्ति केवल ३८ नाली अर्थात् २ एकड़ से भी कम पड़ती है।

इसके साथ-साथ आगे चल कर हम देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे भी प्रावधान रखे गये हैं, जो वहां की आवश्यकताओं के लिये उचित नहीं बैठते हैं। जैसे कुएं की बात कही गयी है, जितनी जमीन कुएं में होगी रिज्यूम कर ली जायगी, 'सिंघाड़ा' उपज की जितनी जमीन होगी, रिज्यूम कर ली जायगी। न पहाड़ में कुएं होते हैं और न वहां सिंघाड़ा होता है। वहां तो नौले होते हैं। इसके साथ ही साथ एक और क्लाज आप देखेंगे कि जहां पर कि सीरदारी राइट्स के ऐक्यू करने की बात है वहां पर यह लिखा गया है कि नदी के तले पर भी जो जमीन होगी वहां पर वह सीरदारी राइट्स नहीं एक्वायर किये जायेंगे। अब आप देखेंगे कि वहां की जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुये इसमें कितनी गलती है, क्यों कि वहां पर जो शेरे होते हैं वह नदी के तले पर होते हैं। विधेयक में लिखा है कि नदी के तले पर जो जमीन होगी वहां पर सीरदारी राइट्स ऐक्यू नहीं करेंगे। यह ऐसा प्राविजन है कि जिससे कि कई सीरतान आपके बेदखल हो जायेंगे। तो इस प्रकार की जो कमजोरी इस विधेयक में है उसको दूर करना है।

साथ ही साथ यह जो भूमिधर बनाने की बात है, हमें इस बात को सोचना है कि आया यह भूमिधरी के अधिकार हिस्सेदारी के अधिकार कहे जायें या भूमिधरी के अधिकार कहे जायं। मेरे बहुत से मित्रों ने कहा कि भूमिधर के बाद "ब्रेकेट' में हिस्सेदार रख दिया जाय उससे संतोष हो जायगा। मैं समझता हूं कि यह बात बहुत उचित नहीं प्रतीत होती या तो हम उसको हिस्सेदार ही लिखें या भूमिधर की परिभाषा बदल दें तथा वहां जमींदारी उन्मूलन विधेयक में यह लिख दें कि भूमिधर इन्क्लूड्स हिस्सेदार इन कुमायूं डिवीजन। लेकिन भूमिधर के बाद 'ब्रेकेट' में हिस्सेदार लिख देना ठीक नहीं है क्योंकि हिस्सेदार का अर्थ क्या है? हिस्सेदार का अर्थ यह है कि भूमि का मालिक ही वह है। भूमिधर का अर्थ यह है कि भूमि की मालिक तो स्टेट होती है और स्टेट भूमिधर के नाम उसका बन्दोबस्त कर देती है एक राज्य उसको भूमिधर बना देता है। भूमिधरी का राइट्स एक प्रकार से ला आफ़ स्टेट टेनेंसी है जो कि विधान के द्वारा राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। जो हिस्सेदारी अधिकार है वह उस को राज्य के बराबर मिल्कियत में रखता है। यानी वह उस भूमि का स्वयं मालिक है—राज्य नहीं है। इसलिये हिस्सेदारी अधिकार एक प्रकार से भूमिधरी अधिकार से ज्यादा श्रेष्ठ है। यह बात बिलकुल साफ है जहां तक इस प्रश्न का संबंध है। लेकिन बाकी प्रश्नों पर भूमिधरी और हिस्सेदारी में कोई विशेष फर्क नहीं है। पुनः जिस प्रकार से कानून बनाया गया है और जिस प्रकार कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की धाराओं को इसमें लागू किया गया है उसको मैं ज्यादा उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि हमें आज यह पता नहीं है कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की जो धारायें लागू की जा रही हैं उनका कुमाऊं के सम्बन्ध में माडिफिकेशन क्या होगा,? माननीय मंत्री जी को स्वयं पता नहीं कि क्या माडिफिकेशन होगा, डिपार्टमेंट को पता नहीं, हमको पता नहीं। इस विधेयक में अनेकों धाराओं में आखिर में तो यह लिखा है "ऐज माडिफाइड" साथ ही "आल्टर्ड", "अमेंडेड" तमाम बातें लिखी हुई हैं यानी 'अबालीशन' तो होगा, सीरतान और खायकर को अधिकार दे दिये लेकिन वह अधिकार किस ढंग में प्रयुक्त होंगे कितने तब्दील होंगे यह हमें पता नहीं। यदि हमारी 'कास्टीट्युएंसी' में कोई हमसे पूछे कि भूमिधर के क्या अधिकार हैं तो हम यही कहेंगे कि यह मामला विचाराधीन है। तो विधेयक का स्वरूप हमारे सामने बिलकुल अधूरा है, कोई चित्र सामने नहीं आ रहा है कि क्या अधिकार मिल रहे हैं क्या नहीं मिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर एक बुनियादी मिसाल

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दे रहा हूं कि हमने भूमिधरी का अधिकार देना शुरू किया धारा १५४ से और जहां पर से खास भूमिधरी के अधिकार शुरू होते हैं वह धारा १५२ और १५३ लागू करने से छोड़ दी है। धारा १५२ बुनियादी है—

"The interest of a Bhumidhar shall be transferable subject to the conditions hereinafter contained in this chapter."

यानी भूमिधर के जो इंटरेस्ट होंगे वह इन सूरतों के अनुसार ट्रांसफरेबिल होंगे। अब यह धारा कुमायूं के लिये छोड़ दी गयी न जाने क्यों। धारा १५३—

"The interest of *Sirdar* or *Asami* shall not be transferable except as expressly permitted by this Act."

यह भी छोड़ दी गयी और १५४ से लेकर बाकी सारी धारायें रख दी गयीं। तो यह सोचा जाय कि जहां पर मैदानों में भूमिधर को यह अधिकार दिया जा रहा है कि उसके इंटरेस्ट ट्रांसफरेबिल हैं और माननीय मंत्री जी कुमायूं में यह अधिकार नहीं रखते हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका अर्थ क्या है। अगर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की धारायें १५२ और १५३, ये पहाड़ के हिस्सेदार जो भूमिधर बनाये जायेंगे, जब उनके लिये लागू नहीं की जा रही है तो फिर क्या हम इसका अर्थ यह मानें कि उनके इन्टरेस्ट ट्रांसफरेबिल नहीं हैं, या नहीं होंगे? और भी बहुत सी ऐसी धारायें हैं जिन्हें इस जमींदारी अबालीशन और लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के अनुसार लागू किया जाना चाहिये था, लागू नहीं किया जा रहा है। संक्षेप में हम यह पसन्द करते कि बजाय इसके कि हमें बार-बार जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का रेफ़रेंस करना पड़े और देखना पड़े, यह उचित होता कि हम एक कांप्रिहेंसिव ऐक्ट बिना जमींदारी एबालिशन ऐक्ट को रेफर किये हुए यहां पेश करते। जैसा कि उपाध्याय जी ने भी कहा कि बार-बार जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का हवाला दिये बिना हमारे सामने एक साफ कानून होना चाहिये था जिसके अनुसार हम जान सकें कि यह कानून है और उसको हम समझ सकें और कुमायूं लाज कमेटी ने, उसमें श्रीमन्, आप भी थे, उसने कहा था कि—

"The Committee next considered the question of tenancy legislation for Kumaun and recommend that there should be a self-contained Act for the hill portions of Kumaun Division."

माननीय मंत्री जी देखेंगे कि वह जमींदारी अबालीशन ऐक्ट को जब माडीफाई करने लगेंगे हमारे एरियाज़ के लिये तो उन्हें कितनी दिक्क़त उठानी पड़ेगी। यह बात भी सही है कि आर्डर्स जो इस प्रकार के "माडिफिकेशन्स' के होंगे, उनको अवश्य इस हाउस के सामने रखा जायगा, लेकिन उनकी वही वैलिडिटी नहीं होगी जितनी कि होनी चाहिये और न उतनी सैंक्टिटी ही होगी। मैं यह नहीं कहता कि हमें किसी प्रकार से इसके लिये देर करनी चाहिये, जिस प्रकार का यह विधेयक है उसको हमें चलाना है, लेकिन जो कमी हो गयी है, जो अधूरा स्वरूप है उसका हमें पता नहीं है कि हमारे अधिकार आगे चल कर क्या होने वाले हैं। इसमें आगे चल कर यह लिखा है कि यह ऐक्ट लागू होगा गवर्नमेंट एस्टेट्स के लिये भी, सरकारी एस्टेट्स के लिये भी। यानी कुमायूं जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट वहां स्टेट्स में भी परिवर्तनों के साथ लागू होगा। अब मैं क्या निवेदन करूं खंड २ में इसका जिक्र किया भी गया है। इसके बारे में जो मोडीफाइड अमेंडमेंट्स हैं या होंगे तारीफ की बात यह है कि वह सदन के सामने आने वाले नहीं हैं। यह खास स्टेट्स यानी गवर्नमेंट स्टेट्स हैं, उनमें भी लागू होगा। लेकिन आगे चलकर आर्डर वाले क्लाज पर कुछ भी नहीं है कि वहां के लिये सदन के सामने आर्डर आने वाले हैं यानी हम अपनी सरकार को पूरे अधिकार दिये दे रहे हैं कि वह जैसा चाहे विधेयक इस सम्बन्ध में खास स्टेट्स में लागू कर दे। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार से जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के कुमायूं के हेतु माडीफाइड आर्डर्स सदन के सामने आने वाले हैं। उसी प्रकार से खास स्टेट्स के भी माडीफाइड आर्डर्स सदन के सामने आने चाहिये जिस समय आप इस ऐक्ट को वहां लागू करें।

उपाध्यक्ष महोदय, खास स्टेट्स की परिस्थिति बड़ी विषम है और माननीय मंत्री जी वहां की परिस्थिति से भलीभांति परिचित हैं। वहां पर कोलोनाइजेशन टैन्योर अलग है, तराई के टैन्योर अलग हैं, तराई भावर के कुछ हिस्सों में कुमायूं टेनेन्सी रूल्स लागू हैं और कहीं यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट लागू हैं और वहां के लगभग ४८ गांव ऐसे हैं, जहां पर यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट भी लागू नहीं है। वहां पर हिस्सेदार नहीं हैं, यहां पर तो राजा के टेनेन्स हैं और लोगों ने सरकार से लीज पर जमीन ले रखी है। वहां खास स्टेट के काश्तकार लोग भी चाहते हैं कि उनको हिस्सेदारी के अधिकार मिलें, वह लोग भी चाहते हैं जो सैकड़ों वर्षों से सरकारी टेनेन्ट्स चले आ रहे हैं, उनको भी हिस्सेदारी के अधिकार मिलें। इसलिये यह आवश्यक है कि गवर्नमेंट स्टेट्स में भी यह कानून लागू किया जाय और जितने भी माडीफाइड अमेंडमेंट्स इस सम्बन्ध में हों वह सब सदन के सामने आने चाहिये। बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि यदि माननीय मंत्री जी जी को देर न लगे तो गवर्नमेंट स्टेट्स की विशेष परिस्थिति को देखते हुये अगर अलग से कानून लाने की आवश्यकता हो तो उसे लाया जाय यह और भी अच्छा होगा क्योंकि खास स्टेट की स्थिति कुमायूं की स्थिति से भिन्न है, वहां विशेष प्रकार के टेन्योर हैं इसलिये वहां के लिये अलग से कानून आना चाहिये।

श्रीमन्, जो इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय नेगी जी ने बहुत सी बातें कहीं, मैं उनसे अधिकांश से सहमत नहीं हूं। मैं यह नहीं मानता हूं कि सीरतान का कहीं शोषण नहीं होता है। मैं समझता हूं कि अधिकांशतः उन्हीं पुराने कस्टम्स के आधार पर पुराने राजाओं के राज्यकाल से यानी गुरखा शासन काल से "सिर्ती" (sirti) शब्द चला आ रहा है। इसके माने यह हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू के अलावा और भी बहुत से डयूज लेने की बात आती है। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग बिल्कुल सिरती न लेते हों ऐसे भी कुछ भले हिस्सेदार हो सकते हैं। और हैं लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने सीरतानों के साथ बड़ी ज्यादती की हैं और उनको अपनी पुरानी परम्परायें याद हों। इसलिये जो एक आम 'करेक्टेराइजेशन' नेगी जी ने किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन सरकार ने अधिकार ले लिया है कि खायकर और सीरतान उतने प्रकार के लगान जो अब तक हिस्सेदार को देते थे, आयन्दा सरकार को देंगे इसकी क्या आवश्यकता है? क्या सरकार भी वही सब वसूल करना चाहती है जो कभी-कभी बड़े हिस्सेदार वसूल किया करते थे। आप यह देखें कि खंड ५ में लिखा हुआ कि :—

> "All rents, cesses, local rates and *sayar* payable in respect of the *Khaikari* land for any period after the appointed date which, but for acquisition of rights, title and interest of the *hissedar*, Therein, would be payable to the hissedar and shall vest in and he payable to the State Government and not to the hissedar, and any payment made in contravention of this clause shall not be valid discharge of the persons liable to pay the same."

यहां पर केवल यह लिखा जाना चाहिये था कि जितना खायकर और सीरतान मालिकाना वगैरा को देते थे वह अब नहीं देंगे और केवल रेवेन्यू मात्र ही सरकार को देंगे।

श्री चरणसिंह—जरूरत क्या है रेवेन्यू देने की?

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने जो विधेयक में लिखा है उसी का मैं जिक्र कर रहा हूं। खंड ५ के उपखंड (C) में लिखा हुआ है कि खायकर या सीरतान जो कुछ हिस्सेदार को देते थे वह अब सरकार को देंगे। वे तो हिस्सेदार को लगान भी देते थे, मालिकाना भी देते थे और कभी-कभी ऊपर से कुछ भेंट टीका भी कहीं-कहीं देते थे और इसके अलावा नजराना भी देते थे। तो क्या इसका अर्थ यह लगाया जाय कि सरकार को भी हम यह सब दें? इस विधेयक में हमको यह साफ कर देना चाहिये कि इस विधेयक के लागू होने के दिनांक से खायकर और सीरतान सिर्फ लगान देने के जिम्मेदार होंगे और मालिकाना, नजराना वगैरह सब खत्म हो जायगा।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसके साथ ही साथ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पधानचारी और थोकदारी लैन्ड के जो सीरतान होंगे उनको पहले वर्ष भूमिधरी खरीदने का हक नहीं होगा। आप खंड २६ को देखें जिसके द्वारा सीरतान को भूमिधरी खरीदने का अधिकार दिया जा रहा है। उसमें केवल खंड ९ के उपखंड (A) और (B) का जिक्र है, (C) का जिक्र नहीं है। तो पधानाचारी और थोकदारी के सीरतान भूमिधरी राइट्स नहीं खरीद सकते। क्या गुनाह किया है उन्होंने ? अगर आप मेरे उस सीरतान को हिस्सेदार सीधे बनाने के सुझाव को नहीं भी मानते हैं तब भी यह निश्चित होना चाहिये कि थोकदारी और पधानाचारी-जमीन में भी भूमिधरी खरीदने का अधिकार सीरतान को पहले वर्ष मिले।

इसके साथ ही साथ गूंठ और सदावर्त की जमीन आपने शायद निकाल दी। गूंठ और सदावर्त के अलावा जितनी लैन्ड है वह सब वेस्ट हो जायगी। तो आखिर गूंठ और सदावर्त के काश्तकारों को कौन सा अधिकार मिलने वाला है ?

श्री चरणसिंह---प्वाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, एक-एक क्लाज को लेकर उनका मिसइंटरप्रेटेशन किया जा रहा है या उनको ठीक न पढ़ने के आधार पर जो क्रिटिसिज्म इस वक्त हो रहा है मैं समझता हूं उसके लिये यह मौका नहीं है। उसके लिये या तो सेलेक्ट कमेटी है या थर्ड रीडिंग होगी। वरना एक-एक क्लाज को लेकर आप ६ घंटे बोल सकते हैं। आप उसूल की बातों को लेकर कह सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह तो ठीक ही बात है कि आप-प्रिन्सिपिल की बातें ही कहें। एक-एक क्लाज पर बातें करने से तो बहुत बिलम्ब कर देंगे। इसलिये एक-एक क्लाज पर बात न करें तो अच्छा होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं तो यह कह रहा था कि आप गूंठ और सदावर्त के काश्तकार को अधिकार दे रहे हैं या नहीं। तो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कहां लिखा है कि नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---उनको अधिकार नहीं मिलेगा ऐसा इस विधेयक में नहीं है। आप पढ़िये इसमें लिखा है कि उनको भी अधिकार मिलेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, अब आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं। अगर माननीय मंत्री जी को इस प्रकार बीच में टोकना हो तो बड़ी खुशी से टोक सकते हैं। मैं तो केवल उदाहरण के लिये कह रहा था नहीं तो 'ओमनीबस' तो मैं भी बोल ही सकता हूं। माननीय मंत्री जी भी जब बोल रहे थे तो काफी डिटेल्स में गये थे।

मेरे विचार से गूंठ और सदावर्त के जो खायकर और सीरतान हैं उनको स्पष्ट अधिकार मिलने चाहिये। इसके अलावा अगर कोई पैसा बद्रीनाथ या अन्य मन्दिरों के लिये है तो वह बद्रीनाथ या अन्य मन्दिर को मिले।

श्री उपाध्यक्ष---विधेयक में ऐसा ही कहा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जब श्रीमन्, आप कह रहे हैं तो मैं यह भी माने लेता हूं। अगर मेरे विचार से ऐसे लोग छूट गये हैं, जो मन्दिर की ओर से 'गूंठ' या 'सदावर्त' भूमि में काश्तकारी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस विधेयक के आधार पर जो गवर्नमेंट स्टेट्स के लिये या किसी भी किसी के लिये जो विशेष परिस्थिति में जमीन देने का और भविष्य में सबलेट करने का अधिकार, जिनको मिलना चाहिये उस पर भी विचार करना है। यह बात बिल्कुल सही है कि सबलेट करने का अधिकार मुख्यतः वही होना चाहिये जो कि जमींदारी एबालिशन ऐंड लैण्ड रिफार्म्स

ऐक्ट के आधार पर होता है और जो माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण किया है उसके अनुसार मैं समझता हूं कि मैं क्षेत्र में कब्जेदार के सम्बन्ध में कोई गलतफहमी नहीं रहेगी बशर्ते कि रिकार्ड आपरेशन्स भी उसी घोषणा के आधार पर हों। अगर छोटे खुदकाश्त हिस्सेदार थोड़े काल के लिये बाहर आये तो उन लोगों की अपनी जमीन, अगर वह पर्सनल कल्टीवेशन कर सकते हैं, य करते हैं खुदकाश्त करते हैं या कर रहे हैं, तो वह उन्हीं लोगों के पास रहेगी, ऐसी व्यवस्था रहने की मुझे आशा है और प्रवर समिति में हम इस सम्बन्ध में फिर विचार कर सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी से मैं इतना अवश्य कहूंगा कि वह इस विधेयक में इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जो माइग्रेटरी एरिया से आते हैं, जैसे हमारे नैनीताल जिले से मिला भावर का क्षेत्र है, उसमें के लोग ६ महीने पहाड़ पर रहते हैं और ६ महीने नीचे तराई में चले आते हैं, उन लोगों का नुकसान न होने पाये। भावर में तो वह सरकार के टेनेन्ट हैं और पहाड़ में वह हिस्सेदार हैं और सदियों से वह पहाड़ और भावर की यात्रा करते आ रहे हैं। तो इस विधेयक के नियम जब हम बनायें या जब हम इस जमींदारी एबालिशन बिल को माडीफाई करें, वहां पर तो हमें इस प्रकार के भ्रमणशील लोगों के लिये गुन्जाइश रखनी होगी और यह देखना होगा कि हम कोई ऐसा कानून न बना डालें कि जो उनको गुजर बसर करने हेतु यात्रा करनी पड़ती है पुश्तों से, वह उनका अधिकार सुरक्षित न रहे और वे वे रोजी से वंचित न रहें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति मे जब यह विधेयक जायगा तो इसमें माननीय मंत्री जी उन सभी सुझावों पर विचार करेंगे जिनको कि मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है।

श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)— उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने आज से करीब २० साल पहले जो भूमि के सम्बन्ध में अपनी नीति निर्धारित की थी, उसके बाद से बराबर अपने प्रस्तावों के द्वारा और अपने घोषणा पत्रों में भूमि की नीति के सम्बन्ध में जो निश्चय कांग्रेस ने किये हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जब जमींदारी एबालिशन ऐक्ट बना था उसी वक्त कुमायूं के लिये भी यह कानून बन जाना चाहिये था लेकिन माल मंत्री जी ने बताया कि उनकी कुछ दिक्कतें थीं और वे दिक्कतें यह थीं कि पहाड़ में सेटिलमेंट नहीं हुआ था और उसके लिये कम से कम ८४ लाख रुपये के खर्च की उनको आवश्यकता थी। जब केन्द्रीय सरकार ने उनको इस मामले में सहायता दी तो आज वह इस स्थिति में हो सके कि वहां का सेटिलमेंट करा सकें और तभी वह इस स्थिति में भी आ सके कि वहां के लिये विधेयक इस सदन में ला सकें।

मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि इस सम्बन्ध में काफी बातें कही जा चुकी हैं। लेकिन इस विधेयक के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूं इससे पहले एक निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह है कि अगर इस विधेयक का मतलब यह लगाया जाय कि पहाड़ की भूमि की समस्या को हम हल कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि यह हमारी भूल होगी। पहाड़ में भूमि की बहुत कमी है, आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के लिये या प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिये जब हम कोई ऐसा विधेयक बनाते हैं जिसका संबंध उसकी आर्थिक व्यवस्था से हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की पूरी आर्थिक स्थिति को सामने रखकर ही हमें ऐसे विधेयक को सामने लावें या उस पर विचार करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह उस देश के लिये या उस हिस्से के लिये अहितकर भी हो सकता है।

इसलिये अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी इजाजत से सदन के सामने पहाड़ की स्थिति बयान कर देना चाहता हूं। वहां की स्थिति बहुत दयनीय है। केवल

[श्री गोवर्धन तिवारी]

भूमि ही ऐसी है जिसके ऊपर वहां के लोग अपनी गुजर बसर करते है। वहां न तो किसी प्रकार का रोजगार है और न दूसरा साधन ही। अपने १८ साल के प्रयास के बाद भी उद्योग विभाग कोई भी कार्य इस प्रकार का नहीं कर सका जिसके बारे में हम कह सकें कि उसने वहां के लोगों को वह रोजी दी हैं। मैदानी इलाके में जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के बन जाने के बावजूद भी यहां के जमींदारों के पास इतनी सीर की जमीन है जिससे खेतिहर मजदूरों को रोजगार मिल सकता है और उन्हें वे काम दे सकते हैं। पहाड़ में यह स्थिति नहीं है। मैं इसलिये माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक के बनाते समय वह वहां की आर्थिक स्थिति को सामने रखते हुये निश्चय करें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो इससे वहां के एक बहुत बड़े तबके को कठिनाई हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं अपने कुछ सुझाव आगे दूंगा लेकिन उससे पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक खायकरों का प्रश्न है मेरा निश्चित मत है कि खायकरों से चाहे वह कच्चे खायकर हों चाहे वह पक्के हों उनसे कोई भी मुआविजा नहीं लेना चाहिये। बगैर किसी मुआविजे के उनको पूरे अधिकार हिस्सेदारी के दिये जाने चाहिये। यह दूसरी बात है संविधान में मुआविजा देने का क्लाज है उसकी पूर्ति के लिए अगर नाममात्र के लिये मुआविजा लेना हो तो उसकी खाना पूर्ति वे कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि वहां जो खायकर हैं उनमें वे लोग हैं जिन्होंने उस खायकरी जमीन को जब वह जंगल था तब आबाद किया। तब से आज तक वे ही लोग वहां आबाद हैं लेकिन बदकिस्मती से उनका नाम सेटिलमेंट के समय हिस्सेदारी में दर्ज नहीं हो सका। केवल हिस्सेदारी में उनका नाम दर्ज न होने की वजह से आज तक वह खायकर बने रहे और केवल इस वजह से उनसे यह रुपया मुआविजे के रूप में लिया जायगा तो उचित न होगा। कभी भी हिस्सेदार यह कल्पना नहीं कर सकता था कि उसको मुआविजे के रूप में खायकर से रुपया मिलेगा और खायकर भी यह कल्पना नहीं करता था कि उसको उस जमीन का मुआविजा देना पड़ेगा।

श्री चरणसिंह—मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि किस धारा के मातहत उनसे मुआविजा लिया जा रहा है?

श्री गोवर्धन तिवारी—मैं यह निवेदन कर रहा था कि खायकर कुछ तो इस श्रेणी के हैं और कुछ इस श्रेणी के हैं जो रुपया देकर खायकर हुये हैं।

इसके बाद दूसरी श्रेणी के सीरतानों की आती है। सीरतान की समस्या इतनी आसान नहीं है कि हम कोई एक क्लाज बना कर उनको आसानी से हल कर दें। इसके ऊपर काफी विचार करने की आवश्यकता है और सीरतान की व्याख्या होने की जरूरत है। मैं उपाध्याय जी से इस बात में सहमत नहीं हूं कि इसको प्रवर समिति में न भेजा जाय। [मेरी राय है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय जिससे वहां इस पर काफी विचार किया जा सके। सीरतान की परिभाषा के ऊपर काफी विचार करने की जरूरत है। जहां तक हमारी राय का सवाल है, उपाध्याय जी ने शायद जानकारी न होने की वजह से यह बात कही है कि द्वाराहाट में कांग्रेस की जो सभा हुई उसमें काश्तकारी कानून का विरोध किया गया है। वहां कोई भी ऐसा प्रस्ताव नहीं पास हुआ जिसमें इस बिल का विरोध किया गया हो। तीन साल पहले बागेश्वर में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें भी सरकार से अनुरोध किया गया था कि इस विषय के बिल को जल्दी से जल्दी लाया जाय। दो साल पहले रानीखेत में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें भी सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि इस विषय का बिल जल्द से जल्द सरकार सदन के सामने लाये।

जहां तक कांग्रेस की मन्शा का सवाल है अल्मोड़ा में भी ऐसा प्रस्ताव इस मतलब रखा गया था। हम चाहते यह हैं और हमारा मन्शा यह है कि जो लोग केवल किसी जमाने में किसी तरह जमींन के मालिक हो गये और जो केवल उस जमींन के मालिक होने के नाते सीरतान की मेहनत से पैदा किये हुये अन्न का जो एक हिस्सा पाते हैं वह पद्धति समाप्त की जाय। इस विधेयक की मंशा है और हम भी चाहते हैं कि शोषण समाप्त हो। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि सीरतान अपनी मेहनत से जिस अन्न को पैदा करता है, जिसके पैदा करने में हिस्सेदार का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कुछ भी हाथ अन्न के पैदा करने में या भूमि का सुधार करने में न हो और तब भी यदि उसमें से अन्न के रूप में या पैसे के रूप में कोई हिस्सेदार अथवा खायकर फायदा उठाता है तो वह तरीका समाप्त होना चाहिये। लेकिन हर कब्जेदार को चाहे वह २ दिन से ही कब्जेदार क्यों न हो, सीरतान मानना ज्यादती होगी। सामन्तवादी उत्पादन की वह पद्धति जिसके द्वारा कोई व्यक्ति केवल हिस्सेदार होने के नाते उस जमींन से फायदा उठाता है, जिस पर किसी प्रकार की मेहनत वह नहीं करता और मेहनत करने वालों की मेहनत से, उसके पैदा किये हुये अन्न का एक हिस्सा गल्ले के रूप में पाता है, वह पद्धति समाप्त होनी चाहिये। मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां के हिस्सेदारों और खैकरों में बहुत से ऐसे हैं जिनके पास काफी जमींन नहीं है। इकानामिक होल्डिंग का तो हमारे यहां प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मंत्री जी ने इकानामिक होल्डिंग ६.२५ एकड़ की मानी है लेकिन यह पहाड़ में नहीं लागू हो सकता। क्योंकि वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। आप उससे भी नीचे उतर आइये। पहाड़ की जमींन उत्पादन के लिहाज से इतनी कम उर्वरा है कि लोग नौकरी और मजदूरी के लिये मैदानों में आने के लिये विवश होते हैं। इसलिये मेरी निश्चित राय यह है कि जिन खुदकाश्त काश्तकारों के पास ५ एकड़ से कम जमींन है और जो सींची जाने वाली नहीं है और जिनके पास सींची जाने वाली २ एकड़ से कम जमींन है, अगर वे बाहर जावें तो उन्हें अपने साथियों को जमीन देने का हक होना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन करूंगा कि अगर वे इस तरह के लोगों को सब-लैट का हक आप नहीं देते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि वह लोग बाहर तो जावेंगे ही लेकिन अपनी उस जमींन को बंजर रखेंगे, क्योंकि बंजर रखने का हक़ तो आप इस विधेयक द्वारा देते हैं। यूं ही हमारे यहां कम पैदावार होती है और जमींन बंजर रखने से और भी कम अन्न पैदा होगा। इसका असर हमारी आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा और यह बात बुरी होगी। इसलिये उस जमींन को दूसरों को देने का अधिकार दिया जाना चाहिये, किन्तु यह अधिकार केवल उन्हीं लोगों को हो जो कि खुदकाश्तकार हैं। जो एबसैन्टी हैं, जो खेती नहीं करते हैं, उनको ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिये। यहां ऐसे भी लोग हैं जो २, ३ साल बाहर नौकरी की तलाश में भटक कर वापस आ जाते हैं। अगर ऐसे लोग दूसरों को जमींन नहीं दे सकेंगे तो वे उसे बंजर रखेंगे और अगर दूसरा उस पर काबिज हो जाता है तो तीन साल के बाद वह उससे महरूम हो जायगा। इसलिये वहां की विशेष परिस्थिति का ख्याल रखते हुये, ऐसे लोगों को जो खुदकाश्त काश्तकार हैं यह हक़ आप दें। लेकिन जिनके पास ५ एकड़ से कम जमीन है, जिनकी गुजर-बसर नहीं हो सकती है, जिनको पहाड़ छोड़ने के लिये परिस्थिति मजबूर करती है उनको इस किस्म के राइट (अधिकार) दिये जाने चाहिये।

माननीय नारायणदत्त तिवारी ने सीरतान की जो व्याख्या की है अगर वह व्याख्या कर दी जाती है तो उससे उलझनें और भी बढ़ जायंगी। उसके मुताबिक तो जो लैंड लार्ड पुश्तों से एबसेंट है वे भी अपने सीरतानों को हटा सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि उनको ऐसा राइट न होना चाहिये। जो जमींन को कमाता नहीं है, जिसने जमींन को आबाद करने में

[श्री गोवर्धन तिवारी]

किसी प्रकार का योग नहीं दिया है। मैं तो केवल उन्हीं के बारे में कहता हूं जो लोग खेती करते हैं। अगर ऐसा अधिकार उन लोगों को नहीं दिया जायगा तो जनता को इससे कष्ट होने की गुंजायश होगी।

जहां तक प्राइवेट फारेस्ट का सवाल है, मेरा तो यह निवेदन है कि जितने भी प्राइवेट फारेस्ट्स हैं उनको गांव समाज को अथवा गांव सभा को दे दिया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य बैठने की कृपा करें, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गोवर्धन तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राइवेट फारेस्ट्स के विषय में अर्ज कर रहा था। नेगी जी ने अभी यह कहा कि इस विधेयक में यह है कि प्राइवेट फारेस्ट्स को छुआ नहीं जायगा। लेकिन मेरी राय में प्राइवेट फारेस्ट सबके सब खत्म कर दिये जाने चाहिये। वह सब गांव सभा को सौंप दिये जाने चाहिये। जिस फारेस्ट के बनाने में उस व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है जिसमें उसने कोई मेहनत नहीं की है, जंगल नहीं लगाया है उस पर केवल इस बिना पर कि किसी जमाने में उसको हक मिल गया और उसने इन जंगल को घेर लिया, उसका हक किसी तरह से भी नहीं समझा जा सकता। ऐसे जंगल गांव समाज को सौंप दिये जाने चाहिये। जहां तक भूमि का प्रश्न है मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि केवल कानून बना देने से यह समस्या हल होने की नहीं है। आज ही नहीं, हम बराबर इस बात को कहते आये हैं कि तराई में जब तक कुमायूं के लोगों को जमीन न दी जायगी यह समस्या हल नहीं हो सकती। १०,००० फैमिलीज (परिवारों) को जब तक आप तराई में आबाद न करेंगे तब तक कुमायूं की भूमि समस्या को आप हल नहीं कर सकते। मुझे कोई भी कार्य ऐसा नजर नहीं आता जिससे आप निकट भविष्य में वहां की आर्थिक समस्या को हल कर सकते हों। वहां की भूमि समस्या तराई में जमीन देकर ही हल हो सकती है। जमीन देने के अलावा उनको बसाने का भी सवाल है। यह वह लोग हैं जिन के पास मेहनत के अलावा और कोई दौलत नहीं है। ऐसे भूमिहीनों को तराई में जमीन देनी होगी और बसाना भी होगा नहीं तो यह समस्या दिन पर दिन बिगड़ती ही जायगी।

हमारी सरकार ने अपनी कोशिश से अन्न के उत्पादन को बढ़ाया है और कुमायूं में वह अन्न भेज कर लोगों को दे रही है लेकिन वहां के लोगों की क्रय शक्ति इतनी गिर गयी है कि सरकार को मजबूर होकर टेस्ट वर्क खोलने पड़ रहे हैं उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिये लेकिन ऐसा आप कब तक कर सकते हैं? जब तक आप उनको आत्मनिर्भर न बनायेंगे तब तक इस समस्या का हल हर साल अन्न भेजने से और टेस्ट वर्क खोलने से नहीं हो सकता है। और हमेशा ऐसा करना मुनासिब बात भी न होगी। भूमि की जैसी समस्या वहां पर है उसको देखते हुए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कम से कम तराई में १० हजार परिवारों के लिये जमीन देनी चाहिये। जहां तक हिस्सेदारों का संबंध है उनको जैसा कि यहां रिहेबिलिटेशन ग्रांट दी गयी है, दी जानी चाहिये। हिस्सेदार जिनकी जमीन सीरतानों को हम दे रहे हैं, जमीन से तो महरूम हो जायगा और अगर वह किसी रोजगार में नहीं लग पायेगा तो मुसीबत में पड़ जायगा इसलिये तो उनके लिये रिहेबिलिटेशन ग्रांट आपकी ओर से दी जानी चाहिये, जिसे वे दूसरे व्यवसाय व काम में लगा सकें।

अन्त में आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सीलिंग निश्चित करने का प्रश्न है इस संबंध में कांग्रेस ने कई साल पहले अपनी राय जाहिर कर दी थी और तब से वह बराबर सीलिंग निश्चित करने की बात कहती चली आ रही है। मुझे ताज्जुब होता है जब कि हमारे माननीय माल मंत्री जी बड़े-बड़े फार्म्स के पक्ष में नहीं हैं, यह उनकी राय

है कि होल्डिंग छोटी होने से उत्पादन में कमी नहीं होगी बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। तो वे सीलिंग के पक्ष में क्यों नहीं हैं, मैं इस बात को समझ नहीं पाता हूं। हमारे कुमायूं में एक तरफ तो वे लोग हैं जो जमीन के लिये तरस रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है और दूसरी तरफ उसी के तराई क्षेत्र में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बड़े-बड़े फार्म्स हैं और वे उसे पूरा आबाद नहीं किये हुये हैं। यानी अगर वे आबाद होते तब भी मैं इसको गनीमत समझता। काफी जमीन कुछ लोगों के कब्जे में है लेकिन वह सब आबाद नहीं है। एक तरफ तो वे लोग हैं जिनके पास जमीन होते हुये भी बंजर पड़ी हुई है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जो जमीन के लिये तरस रहे हैं और वे जमीन नहीं पाते हैं। इसलिये मैं माल मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द कोई ऐसा विधेयक वे लावें जिससे सीलिंग जमीन की फिक्स हो जावे। जमीन की सीलिंग का फिक्स होना बहुत ही जरूरी है। अगर सीलिंग फिक्स हो जायगी तो इससे जिनके पास जमीन की कमी है उनको बड़े फार्म वालों से जमीन मिल जायगी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कुमायूं के तमाम उन लोगों से अपील करता हूं जो प्रगतिशील विचारों के हैं और केवल उनसे यही नहीं बल्कि वहां की समस्त जनता से भी अपील करता हूं कि उसने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है इस देश को ऊंचा उठाने में, इस देश की अर्थ-व्यवस्था को बदलने में हर तरीके से साथ दिया है इसलिये वह इस मौके पर भी जो विधेयक इस सदन में रखा गया है उसका स्वागत करे, इसके सिद्धांततः स्वागत करेंगे और स्वागत करते हुये जो लोग उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बहकाने में न आवेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

(इस समय ३ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री हरगोविन्द पंत (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैं इस विधेयक के खासतौर पर दो बड़े महत्व के सिद्धांतों का समर्थन करता हूं। एक तो यह कि इसके द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि जहां तक संभव हो सारे प्रदेश की भूमि-व्यवस्था एक प्रकार की की जावे। ऐसा होना तो तो आवश्यक है ही, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। दूसरा सिद्धांत यह है कि शोषण चाहे वह किसी भी मात्रा में हो, उसका अन्त हो जावे। तो दो बातों के लिये यह विधेयक खासतौर पर प्रयत्न करता है। इसलिये मैं इसका स्वागत करता हूं। यह मैं नहीं मानता कि यह विधेयक हमारे कुमायूं प्रांत की सभी भूमि समस्या की कठिनाइयों को सुलझा देगा। यह जो विधेयक के रूप में आया है इसमें भी कई परिवर्तनों की आवश्यकता है। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत नहीं हूं जिनका यह कहना है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में विचार करने के लिये न भेजा जाय। इसका समिति में जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि इसमें जो आवश्यक परिवर्तन और परिवर्द्धन हो सकते हैं वह हो जायं।

कुमायूं का एक बहुत गरीब इलाका है और वहां एक ऐसी घटना मात्र हुई है कि वहां का भी जमींदारी के साथ एक ऐसा घनिष्ट संबंध रहा है और वह इस बिल के द्वारा सदन के सामने है। प्रत्यक्ष सा किया जा रहा कुमायूं में भूमि की बहुत कमी है और वहां जितनी भूमि है वह ऊबड़-खाबड़ है, उसमें पानी की कमी है और पैदावार भी उसमें कम होती है। सब से उर्वरा भी नहीं है, वह सौभाग्य की बात यह है कि वहां का जीवन एक प्रकार से जनतांत्रिक तरीके से चल रहा है, वहां रैयतवारी तरीका है जिसमें आपस में कोई भेदभाव नहीं है, कोई वहां इतनाऊंचा नहीं है जो अपने को सर्वोपरि समझे और आज्ञा के रूप में उसकी किसी बात का पालन करने के लिये लोग बाध्य हों।

कुछ लोगों में यह भी भ्रांति है कि कुमायूं के हिस्सेदार किसी वर्ग विशेष के लोग हैं, इस संबंध में मैं सदन को बता दूं कि वहां ऐसा नहीं है, वहां ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्री भी जमीन के हिस्सेदार हैं और वैश्य लोग भी हैं और कुछ शिल्पकार भाई भी मालिक और हिस्सेदार हैं। ऐसी बात नहीं है वहां चारों वर्ण के लोग खायकर सीरतान और हिस्सेदार; और ब्राह्मण भी वहां सिरती कमाकर गुजर करते हैं और अन्य सभी वर्ग के लोग इस काम को करते हैं। अब जो भी समाधान वहां की जमीन का

[श्री हरगोविन्द पंत]

हम विचारें वह ऐसा हो जिसमें कि किसी प्रकार का वर्ग संघर्ष वहां न बढ़ने पावे। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम हिस्सेदारों का भला सोचें और जो दूसरे लोग खायकर या सीरतान हैं उनकी भलाई का भी प्रयत्न करें।

मैं संक्षेप में बतला दूं कि जब से जमींदारी विनाश की मैदानी हिस्से में चर्चा हुई उसकी हवा वहां भी पहुंची और वहां कुछ लोगों ने यह भी प्रयत्न किया कि वहां भी कुछ अशांति फैले, लेकिन इतना होते हुये भी यह कम तारीफ की बात नहीं है कि वहां बेदखली के बहुत कम मुकदमे हुये हैं, जितने भी हुये उनके लिये खेद और दुख अवश्य है। लेकिन मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि वहां दो या तीन सौ से अधिक ऐसी बेदखली किये जाने की शिकायतें नहीं होने पाई हैं जब कि वहां सीरतानों की संख्या ५ प्रतिशत के हिसाब से भी १ लाख ११ हजार के करीब है, तो इतने सीरतानों की आबादी में अगर दो तीन सौ मामले या झगड़े बेदखली के हो गए तो उससे यह मालूम होता कि वहां लोगों में एक प्रकार की ईमानदारी है। वास्तव में जिस वर्ग की रक्षा इस बिल के द्वारा की जा रही है और की भी जानी चाहिये। वह सीरतान वर्ग ऐसा है। उन्हें टेनेंट ऐट-विल (Tenent at will) कहते हैं, उनको हिस्सेदार जब चाहे निकाल सकता है। जब सीरतानों के लिये यह कानून बनाया जा रहा है और उनको भूमि का मालिक बनाया जा रहा है पर यह देखने में आया है कि सीरतान वर्ग की संख्या बहुत कम है। अभी तक सीरतान शब्द की परिभाषा भी निश्चित रूप से नहीं की गई है। सीरतान किसको कहना चाहिये और हमें किस वर्ग की सहायता करना है, यह सब हमें स्पष्ट रूप से सोचना है। इस समय हमारे जो बन्दोबस्ती कागजात हैं उनकी परम्परा के हिसाब से और वहां जो सर्वे आदि का काम हो रहा है उसमें भी एक ऐसी परम्परा चल पड़ी है कि खसरा तैयार करते समय कब्जा तसदीक करने पर कागजात में एक खाना (Column) बनाया जाता है, जिसमें कब्जेदार का नाम दर्ज किया जाता है, जिस व्यक्ति का भूमि पर कब्जा है उसका नाम उसमें लिखा जाय और अगर किसी भी तरह से किसी का जमीन पर कब्जा है तो उस खाने में उसका नाम लिखा जाता है। सीरतान व कब्जेदार दोनों ही इस खाने में दर्ज हो जाते हैं और सीरतान व दूसरे प्रकार के कब्जेदारों में कोई भेद जान पड़ता है, तो इसके मानी यह है कि उस खाने का हेडिंग फिर से सीरतान लिखा जाता है। सीरतान लिखे जाने के कारण हर एक व्यक्ति जो उस जमीन पर काबिज होता है उसका नाम सीरतान में आ जाता है। शायद यही कारण है जो कल माननीय माल मंत्री जी ने कहा था कि १७ गांवों में नैनीताल में पैमाइश हुई तो ७० फीसदी तक हेडिंग के कारण सीरतान निकले। मैं ऐसा समझता हूं कि वे वास्तव में सीरतान नहीं हैं। जितने लोग काबिज हैं वे सब सीरतान दिखा दिये गये हैं। अगर देखा जाय तो वास्तव में ४, ५ फीसदी से अधिक संख्या सीरतानों की नहीं है। सीरतान किसको कहना चाहिये जब प्रवर कमेटी में यह विधेयक जायगा तो वहां पर विचार कर लिया जायगा, लेकिन यह एक मुनासिब बात है कि सीरतान हमें उन लोगों को कहना चाहिये जो किसी दूसरे की भूमि उसे लगान देकर जोतते हैं और उनसे इस तरह से लगान लिया जाता हो, जिनसे उनके परिश्रम का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे आदमी के पास चला जाता हो। लेकिन कभी कभी उसको भी गलती से सीरतान माना गया है और कभी-कभी अदालतों ने भी ऐसा ही गलत फैसला किया है कि अगर एक की जमीन में कि दूसरा काबिज हो तो वह आदमी उसका सीरतान समझा जायगा यही बात तो मुश्किल पैदा कर देती है। ऐसा देखने में आता है कि किसी गांव में एक आदमी थोड़ी सी जमीन का हिस्सेदार है। वह किसी रोजगार के लिये चला जाता है और अपनी जमीन को अपने भतीजों, दोस्तों को या किसी और व्यक्ति को या गांव के मुखिया को सौंप जाता है, केवल सुरक्षा के लिये तो इस कारण कि एक दूसरा आदमी उसकी जमीन पर काबिज है वह आदमी सीरतान मान लिया जाय तो हिस्सेदारों के साथ इंसाफ नहीं होगा, इससे अन्याय होने की संभावना रहती है। इसलिये मैं तो कहूंगा कि प्रवर समिति में इस बात को सोचने की बड़ी आवश्यकता होगी कि सीरतान जिसको कहते हैं और उसकी परिभाषा इस प्रकार की निश्चित की जाय, जिससे वास्तव में जिन लोगों का शोषण हो रहा है उनका संरक्षण हो जाय और साथ ही साथ जो हिस्सेदार हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा हो जाय।

अब दूसरी बात यह है कि विधेयक में क्या-क्या परिवर्तन किये जायं जिससे सबके साथ इंसाफ का व्यवहार हो सके। अभी श्री गोवर्द्धन जी ने बताया है जिनके पास ५ एकड़ से कम जमीन है ऐसे व्यक्ति जब बाहर जाते हैं तो उनको जमीन दूसरों को सौंपने का मौका दिया जाय। वह एकनामिक होल्डिंग है नहीं। उसमें बहुत से आदमियों को सीरतानी हक दे देने से उनका भी भला नहीं हो सकता। अगर उस आदमी को भी मौका नहीं दिया जायगा तो यह तमाम जमीन वीरान रह जायगी और यह जो आदमी खेती करना चाहता है जिसको खेती करने का अनुभव है वह उस काम से महरूम रह जायगा। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि ऐसे मामलों में जहां कि एकनामिक होल्डिंग नहीं है और जहां कोई आदमी किसी काम से थोड़े दिनों के लिये किसी रोजगार के लिये बाहर जाता है और वह अपने किसी आपस के आदमी जो जमीन कमाने के लिये या रक्षा के लिये दे देता है ऐसे आदमी को मौका दिया जाना चाहिये। वहां जमीन कम है। यदि सारी जमीन हिस्सेदारों के पास रहेगी तो शायद सीरतान के लिये नहीं रह जायगी और यदि सीरतानों को ही दे दी जायगी तो हिस्सेदारों के लिये नहीं रह जायगी। दोनों के लिये काफी जमीन वहां नहीं है। जो वास्तव में जमीन पर काबिज हो, जो उसके बदले में कुछ हिस्सेदार को लगान के तौर पर देता आया हो ऐसे व्यक्तियों को सीरतान मानना ही चाहिये और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होना ही चाहिये।

मैं एक सुझाव और देना चाहता था और वह यह कि जो हिस्सेदार हैं गांव में उनका वास्तव में संबंध गांव से से ही रहा है। खास कर कुमायूं में तो शहर बहुत ही कम है। एक अल्मोड़ा, नैनीताल हैं। हल्द्वानी और रामनगर भी कहे जा सकते हैं लेकिन वहां यह कानून लागू नहीं होगा। अल्मोड़ा, नैनीताल में, तथा गढ़वाल व टेहरी में जो नगर हैं यह छोटे छोटे नगर हैं। और यहां जो लोग बसते हैं वास्तव में वे देहात से ही आये हैं और देहात से आकर कुछ रोजगार की वजह से बस गये। और यहां देखने में आता है कि जो नाम देहात में उनके गांव का था वही नाम नगरों में भी उन्होंने अपने मुहल्लों के रखे हैं। तो इसके मानी यह है कि उनका गांवों से बड़ा भारी प्रेम है हमेशा उनको याद रखा करते है और जमीन भी जो उनकी पैतृक सम्पत्ति है उसको थाती मान कर बड़े प्रेम से देखा करते हैं। ऐसे लोग अगर गांव में वापस जाना चाहते हैं नगर को छोड़ कर तो उनके रास्ते में रुकावट डालने के बदले यह मुनासिब मालूम होता है कि उनको मौका दिया जाय कि वह उन गांवों में जांय बशर्ते कि वह स्वयं खेती का काम करने लगें। लेकिन यदि वे दूसरे से जमीन छुड़ा कर बैठ जाना चाहते हैं इस तरह की रियायत मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन जिनके पैतृक गांव है, किनके गांव में मकान हैं ऐसे लोगों को मौका दिया जाय कि पांच एकड़ जमीन पा सकें। पांच एकड़ से ज्यादा नहीं। लेकिन उसमें एक शर्त यह हो जाय कि वह साल भर के अन्दर स्वयं उस जमीन पर खेती कर लें। अगर खेती कर लें तो उनके पास रहे और अगर साल भर के अन्दर नहीं खेती करते हैं तो जिससे जमीन ली जाती है उसको वह जमीन वापस की जाय। अगर ऐसा हो सके तो किया जाय। लेकिन इंसाफ की बात ऐसी मालूम होती है। देश और पहाड़ की परिस्थितियों में फर्क है। वहां की परिस्थिति की बाबत मैंने यह कहा। मैं समझता हूं कि सदन इस पर विचार करेगा और उसे इन्साफ के लिये करना चाहिये।

मैं इस सम्बन्ध में एक बात और कह देना चाहता हूं। हमारे विधेयक में एक क्लाज आया है और वह यह है कि अगर कोई हिस्सेदार जिसका मकान गांव में हो उसके मकान के पास उसकी सहूलियत के लिए अगर काफी जमीन नहीं है तो ढाई नाली जमीन ले सकता है। ऐसी हमारे विधेयक में व्यवस्था है। मगर मैं समझता हूं कि यह जो ढाई नाली की उसमें शर्त है यह कम है। जरा इसको समझने की आवश्यकता है। कहने में मालूम होता है कि शायद ढाई नाली काफी जमीन है। ढाई नाली बीस गज लम्बी और बीस गज चौड़ी जमीन हुई। इतने में ढाई नाली जमीन हो गयी। ढाई नाली के मानी हुआ एक बटा आठ एकड़। ऐसी हालत में किसी व्यक्ति को इतनी ही जमीन, मकान और बाग और बाड़ा के लिए दी जाय यह काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि जहां सम्भव हो एक एकड़ तक इसकी सीमा बढ़ा दी जाय। मैं समझता हूं

[श्री हरगोविन्द पन्त]

कि इस पर भी सदन को विचार करना चाहिए और उन लोगों की सहूलियत के लिए वह आवश्यक चीज भी है ।

मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों में खायकर और सीरतानों के बारे में थोड़ी बहुत गलत फहमी है । खायकर हमारे यहां दो प्रकार के हैं । कच्चे खायकर और पक्के खायकर । पक्के खायकर एक प्रकार से अंडर प्रोपराइटर्स हैं । जो जमीन उनके कब्जे में है उसके वे मालिक ही समझे जाते आये हैं । अगर उनमें से कोई लाऔलाद मर जाय तो उसकी जायदाद पंच खायकरों में बट जाती है हिस्सेदार का कोई सरोकार नहीं रहता है । ऐसी जमीन के लिये हिस्सेदार को कम मुआबिजा मिलना चाहिए । हमारे माल मंत्री जी ने एक कमेटी का जिक्र किया जिसमें कहा कि कुमायूं के सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे । उनकी राय ली गयी थी । राय अपनी सब ने प्रगट की थी लेकिन कोई एक निश्चित फैसला नहीं हो पाया था । उसमें जो बातें सुझाव के रूप में मैंने रखी थीं करीब-करीब यही सुझाव उस कमेटी में दिये थे । सिर्फ ढाई नाली वाला मामला उसमें नहीं था । पांच एकड़ का मामला था । उस समय सदस्यों को ये बातें मान्य मालूम पड़ती थीं । उस कमेटी में कोई विशेष ऐसे निश्चय तो नहीं हो पाये थे । यह भी एक प्रस्ताव था कि पक्की खायकरी वाले खायकर को भी भूमिधरी हक दिया जाय तो उससे २५ रुपया मालगुजारी देने वाली जमीन से मुआवजे के तौर पर लिया जाय यह कहा गया था और जो कच्चे खायकर हैं जिनकी जमीन हिस्सेदार के पास जा सकती है और जिसकी कीमत भी इस वक्त काफी है, मैंने देखा है अल्मोड़े में इस वक्त खायकर लोग अपने हिस्सेदारों से हिस्सेदारी हक खरीदने के लिए १०० रुपया या डेढ़ सौ रुपया तक फी नाली दे रहे हैं । तो यह जमीन काफी कीमती है । ऐसी हालत में मैंने उस वक्त यह सुझाव दिया था कि ५० रुपया फी एक रुपया मालगुजारी वाली जमीन के हिसाब से वह मुआवजा दिया जाय और सिरकी के बाबत सौ रुपया देने की चर्चा हुई थी । यह बात अब भी विचाराधीन है । हमारा सदन इस पर भी विचार कर सकता है और मैं समझता हूं कि हम किसी प्रकार का वर्ग विरोध या वर्ग युद्ध हम पैदा न करें । हो सके तो सबके साथ जितना उचित व्यवहार किया जा सके किया जाय और उनको ऐसी सहूलियतें दी जाय जिससे कि सबका काम चल सके । जिसका शोषण होने के लिए हम लोगों को मालूम हो उसका शोषण तो समाप्त होना ही चाहिए लेकिन जिन लोगों की गुजर सिवाय जमीन के और दूसरी चीजों से नहीं है उनको भी हम जिस तरीके से सहूलियत दे सकें उस पर भी हमें विचार करना चाहिए ।

मैं एक दो जो मेरी कठिनाइयां हैं उनको भी माननीय मन्त्री जी के सामने रख देना चाहता हूं । एक तो कठिनाई यह है कि जहां यह कहा गया कि इस नोटीफिकेशन के निकलने के बाद खायकर भूमिधर बन जायगा और वह दरख्वास्त दे सकेगा कि वह मुआवजा देने के लिए तैयार है । परन्तु इस बात पर अभी ध्यान नहीं दिया गया है कि अगर वह मुआवजा देने से इन्कार कर देवे जैसा कि उसके इन्कार कर देने की बहुत ज्यादा सम्भवना है क्योंकि खायकर के अधिकार तो हमारे यहां सुरक्षित ही है वह तो समझते ही हैं कि उनको कोई निकाल तो सकता नहीं । तो ऐसी हालत में वह दरख्वास्त न देवें तो ऐसी समस्या आ जावेगी कि हिस्सेदार को कठिनाई आ जायगी अगर इसके साथ-साथ । . . . . . .

श्री चरणसिंह---मैं यह अर्ज कर दूं कि खायकर को तो कोई कम्पेंशेसन देना ही नहीं है । वह तो अटोमेटिकली ही भूमिधर डिक्लेयर कर दिया जायगा । बस वह जो लगान दे रहा था हिस्सेदार को वह लगान उसे गवर्नमेंट को देते रहना पड़ेगा ।

श्री हरगोविन्द पन्त---तो सिरकी के बाबत तो वही प्रश्न रह जाता है । सीरतान को साल भर के अन्दर मौका दिया जाता है । तो अगर वह न देवे तो फिर सीरदार हो जायगा । मगर वह भूमिधर नहीं हो सकेगा और हिस्सेदार को जो कुछ मुआविजा मिलना चाहिए उसका हिस्सा बहुत कम हो जायगा । तो इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है ।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कल से सदन में विचार हो रहा है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं यह समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य जिन्होंने इस पर भाषण किये हैं सभी ने इस बिल के उद्देश्यों और उसके सिद्धान्तों का स्वागत किया है और उसका समर्थन किया है। चन्द बातों पर कुछ राय में मतभेद है। पहला प्रश्न जो सामने है यह सेलेक्ट कमेटी में जाने का है। इसमें अभी माननीय उपाध्याय जी और माननीय रावत जी ने कुछ शंका प्रकट की यह सेलेक्ट कमेटी में न जाय। उनके सेलेक्ट कमेटी में न जाने का तात्पर्य यह था कि उन्हें थोड़ा सन्देह था कि शायद सेलेक्ट कमेटी में जाकर के डिलेइंग टैक्टिक्स न हो और कोल्ड स्टोरेज में यह बिल न पड़ जाय। यह ग्राउंडलेस फीअर उनके हृदय में था, और है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के होते हुए, जिन्होंने कि बिल पेश किया, अगर उनका यह ध्येय है कि बिल सदन में पेश हो जाय और सिलेक्ट कमेटी में जाकर के ऐसे ही पड़ा रहे या तुरन्त सदन में पेश न हो तो उनकी गलती है कि उन्होंने यह बिल यहां पेश किया। जहां तक मैं समझता हूं यह संदेह गलत है और हम यह सभी चाहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में जाकर इसमें थोड़े से जो संशोधन माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के जरिये से या जो खामिया हमें इस में बताई है उनको पूरी तरह से विचार करके हम सदन के सामने इस बिल को इसी सेशन में पास करें। जहां तक जल्दी का मामला है, अगर हम इसको आज ही पास कर दें तो इसका जो आपरेटिव पार्ट है वह लागू नहीं होगा। हमारे इस विधेयक के पास होने में जल्दी होने से जो उद्देश्य हमारे हैं कि सही माने में जल्दी से काश्तकारों को अधिकार मिल जायं वह तब तक नहीं पूरा हो सकता है कि जब तक हमारा सर्वे और रेकार्ड आपरेशन जल्दी न समाप्त किया जाय। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि बहुत से सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं उन पर अच्छी तरह से विचार किया जाय।

इसमें हम कुछ खामियां देखते हैं, खास करके परिभाषाओं के सम्बन्ध में। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं 'सीरतान' की परिभाषा के सम्बन्ध में। सभी लोगों ने इस पर विवेचना की है और यह इतना वेग है और इतना इनकम्प्लीट है जिससे कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने भी कल इसमें बताया कि "सीरतान" की परिभाषा में शायद उनके जिले में हलिया नहीं आ सकता। दूसरे गोवर्द्धन तिवारी जी और अभी उन्होंने भी कुछ इसमें संदेह रखा। टेहरी गढ़वाल जिले में, मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहता हूं कि हमारे यहां मौरूसीदार, खायकर, सीरतान हैं, उसके अलावा कुछ ऐसी भूमि भी हैं जिनको सीरतानी भूमि नहीं कहा जा सकता, जैसे अदेल तेहाड़िया सर्विस टेन्योर पर जो भूमि दी जाती है उसमें हम लोगों को यह विचार करना पड़ता है कि ऐसी परिभाषा न रखी जाय जिसमें अदालतों में लोगों को जाना पड़े।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट---"सीरतान" की परिभाषा बिल में लिखी हुई जो है वह कुमायूं कस्टम्स के मुताबिक है। हमारे टेहरी में अलग परिभाषा सीरतान की है और पिछले साल, सन् ५४ में जो मिस्लेनियस प्रावीजन ऐक्ट बना उसमें भी यह वेग है। उसमें यह लिखा है "टैनेंट शैल इनक्लूड सीरतान, बट नाट ए मौरूसीदार एन्ड खायकर।" इस के मानी यह है कि सीरतान बड़ा व्यापक शब्द है जो कि इसमें स्पष्ट नहीं है और जिसकी वजह से आज सदन में ज्यादा वाद-विवाद हो रहा है। हिस्सेदार की परिभाषा भी मैं अधूरी और इनकम्पलीट समझता हूं, क्योंकि हिस्सेदार की परिभाषा में टेहरी का मौरूसीदार आना चाहिये था। अध्यक्ष महोदय, हिस्सेदार और टेहरी के मौरूसीदार में कोई विशेष अन्तर नहीं है और मैं समझता हूं कि जो प्रोप्राइटर्स को अधिकार वहां अन्य पर्वतीय जिलों में हैं वही

[श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट]

व्यापक रूप से पूरे अधिकार हमारे मौरूसीदार को हैं। जहां तक टेहरी के मौरूसीदार का संबंध है उनके और स्टेट के बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, बीच का व्यक्ति नहीं है। उन का सम्बन्ध डाइरेक्ट गवर्नमेंट से है। पहले स्टेट गवर्नमेंट से था और अब इस गवर्नमेंट से है। वह जो मामला देते हैं, वह वही देते हैं जो असली मामला है और कोई अधिक रेंट ऐसा नहीं देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी मौरूसीदार हैं। यह तो पिछले बन्दोबस्त में संवत् ७५ में रूलर ने अपने नाम करा लिया। लेकिन इससे पहले लोग हिस्सेदार थे और पुराने कागजातों में यह चीज मौजूद है। इस हालत में यह कोई मतलब नहीं रखता है कि एक दफा रूलर ने ऐसा कर लिया कि हिस्सेदार को मौरूसीदार बना दिया तो आज की प्रजातंत्र सरकार भी उनको खायकर में रखे और हिस्सेदार न माने। जहां तक मौरूसीदार के अधिकार हैं तो टेहरी गढ़वाल में इनको हेरीडेटरी राइट्स हैं, इनको ट्रांसफरेबिल राइट्स हैं, गिफ्ट देने का अधिकार है। यह अपने कुल पुरोहित को या रिश्तेदार को गिफ्ट दे सकते हैं और मौरूसीदार अपने हक मौरूसी को बेच भी सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़े से रेस्ट्रिक्शन्स हैं और वह भी दूसरे दृष्टिकोण से जिससे धनी मानी लोग सारी जमीन न खरीद लें और लोग बिचारे बिना जमीन के रह जायं। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि हिस्सेदार की परिभाषा में टेहरी गढ़वाल के मौरूसीदार आने चाहिये।

तीसरी बात खायकरों के संबंध में है। इसकी परिभाषा में टेहरी गढ़वाल के खायकरों को इंक्लूड नहीं किया गया है। खायकर का अर्थ यही है कि जो हिस्सेदार को लगान देता हो। टेहरी गढ़वाल में हिस्सेदार नहीं हैं। वहां यह मौरूसीदार के अंडर में हैं और इनका संबंध मौरूसीदार से वही है जो कि खायकर का हिस्सेदार से है। इसलिये यह भी इसमें इंक्लूड हो जाने चाहिये।

इसके साथ साथ भूमि की परिभाषा रखी गई है जिसमें जंगलों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। मैं नहीं समझता हूं कि जंगलों को क्यों छोड़ दिया गया है। और नेगी जी ने कहा कि दस नाली से अधिक के जंगल सरकार को दिये जायं। मैं तो यह समझता हूं कि सरकार को सब जंगलों को ले लेना चाहिये और गांव सभाज में उनको वेस्ट कर दिया जाय। इस में न किसी की सम्पति खर्च हुई है और न किसी की मेहनत का ही फल है इसलिये गांव सभा में आ जाने चाहिये और सबको सुविधा लेने का अधिकार होना चाहिये। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है।

अध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों की परिभाषा भी अधूरी है। ठेकेदार से तात्पर्य है किसी हिस्सेदार के खैकारी भूमि में अधिकारों का पट्टेदार (लैसी)। इसमें जो टेहरी गढ़वाल के ठेकेदार हैं, जो वहां के मौरूसीदार के पट्टेदार हैं यानी लेसीज हैं, वह इसमें नहीं आते हैं, वह भी आने चाहिये नहीं तो यह परिभाषा अधूरी रह जायगी। मैं चाहता हूं कि इसमें इनको भी शामिल कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक विशेष बात है कि भूमिधर, सीरदार और असामी रखने में तथा हिस्सेदार, खायकर और सीरतान रखने में कोई व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल प्वाइंट से कोई अन्तर नहीं है। श्री नारायणदत्त जी ने बतलाया था कि कुछ स्टेट्स ज्यादा है। लेकिन यह सब सेंटीमेंटल भावना है। परन्तु वहां पर लोग खायकर और हिस्सेदार शब्दों से खूब परिचित हैं और इनके नामों में परिवर्तन करने से लोगों में कुछ शक पैदा हो जाता है तो उस पर सेलेक्ट कमेटी में विचार होगा। सिर्फ सेंटीमेंटल बात है अगर इसको परिवर्तित कर दिया जाय तो कोई अन्तर नहीं आता है। चाहे भूमिधर रखा जाय या हिस्सेदार रखा जाय तो कोई अन्तर नहीं हो रहा है स्टेट्स वगैरह में। दूसरी बात कम्पेन्सेशन की है। इस सम्बन्ध में इस सदन में बहुत सी गलतफहमियां हुई हैं। बहुत से माननीय सदस्यों को यह संदेह रहा है कि खायकर लोगों को हिस्सेदारी के अधिकार पाने के लिये मुआविजा देना पड़ेगा। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि खायकरों को मुआविजा दिया

जायगा। लेकिन यह संदेह माननीय मंत्री जी ने दूर कर दिया है। खायकरों को चाहे वे कच्चे हों या पक्के किसी को मुआविजा नहीं देना पड़ेगा, सब भूमिधर हो जायंगे या हिस्सेदार हो जायंगे।

रही बात कि यह आया हिस्सेदारों को कम्पेन्सेशन देना चाहिये या नहीं, तो जहां तक वैधानिक प्रश्न का सम्बन्ध है उसमें तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन यदि वास्तविक रूप से देखा जाय तो हिस्सेदारों को कम्पेनसेशन पाने का अधिकार नहीं है। जो भी हिस्सेदार हैं उन्होंने किसी न किसी रूप में चाहे वह लगान के रूप में हो, चाहे कीमत के रूप में हो खायकरों से मुआविजा अव्वल में ही ले लिया है। लेकिन अगर वैधानिक अड़चन की वजह से आप कम्पेनसेशन रखते हैं तो उसमें यूनीफार्मिटी होनी चाहिये। सीरतान से जो कम्पेंसेशन लिया जा रहा है वह अधिक है। वह उतना नहीं होना चाहिये। जिस शरह से आप हिस्सेदारों को देते हैं उसी शरह से सीरतानों से लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय सीरतान और खायकर के सम्बन्ध में मुझे एक और अर्ज करना है कुछ ऐसे सीरतान हैं जो कई पीढ़ियों से सीरतान हो चले आ रहे हैं और कुछ ऐसे खायकर हैं जिनको ५ साल भी नहीं हुये हैं और खायकर बन गये हैं। ऐसी हालत में जो जनरेशन से सीरतान हैं वे १५ गुना मुआविजा देकर भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं और जिनको ४, ५ साल भी कब्जा हासिल किये हुये नहीं हुये और खायकर हो गये हैं। मुफ्त में भूमिधरी पा जायंगे। इसीलिये सीरतान और खायकर की परिभाषाओं की वजह से या अन्य किन्ही कारणों से ऐसा अन्याय होने की संभावना है इसको हमें देखना है।

इसके बाद एक प्वाइंट जो है वह यह है कि भविष्य में राइट आफ सबलेटिंग रहे या नहीं और रहे तो किस रूप में रहे और इस वक्त जितने प्रकार के टेनेन्ट्स हैं वे सब खत्म हो जायं, उनको भूमिधरी के सारे अधिकार मिल जायं या उनमें से कुछ एक्सेप्शन्स रखना चाहते हैं। इस सम्बन्ध बहुत से माननीय सदस्यों में थोड़ा मतभेद है। जहां तक मैं समझता हूं अल्मोड़ा जिले की जो तसवीर हमारे सामने आयी है उसको देखते हुये किसी प्रकार की सबलेटिंग नहीं होनी चाहिये। लेकिन उसके साथ दूसरा पहलू हम यह देखते हैं कि कम से कम हमारे जिले में ऐसा नहीं है जैसा कि उपाध्याय जी कहते थे कि वह मकान की पुताई भी करता है, सेवा भी करता है और ८-८ मन अनाज भी देता है। हमारे यहां एक ऐसी प्रथा है जिस पर हम को विचार करना होगा। एक तो अधेले और तिहाई की प्रथा है। इसमें दो मतभेद हैं। हमारे यहां जो जमीन इस तरह से दी जाती है उसमें जिसका खेत होता है लगान वही देता है और खेत की मरम्मत वह कराता है कि जिस का खेत रहता है, नहर मरम्मत का खर्च जो होता है वह खेत वाला देता है, और दूसरे व्यक्ति, जो उस खेत को कमाते हैं दो बटे तीन हिस्सा खुद रखते हैं और एक बटे तीन हिस्सा खेत के मालिक को देते हैं। उस खेत में खेत वाला खुद जाता है और अपने हिस्से का अनाज ले आता है और अगर वह ले आता है तो उसको मजदूरी दी जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे यहां है जिस पर किसी कब्जेदार का अधिकार नहीं होता था। अब भविष्य में क्या व्यवस्था होगा इसके लिये हमें सोचना है।

दूसरी व्यवस्था मंदिरों के सिलसिले में है। वह इस प्रकार की है कि जमीन तो उन लोगों की हो जायगी जिन की वह काश्त में है लेकिन उनका जो लगान होगा वह मंदिरों को मिल जायगा। अध्यक्ष महोदय, इस के अतिरिक्त ऐसी जमीन भी हमारे जिले में है मंदिरों की, जिसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो ऐसी कि गांव के गांव मंदिरों के नाम से दे रखे हैं। गांव का लगान वसूल किया और मंदिरों के पुजारियों के पास या जो उसके प्रबन्धक हों उनको दे दिया जाता है। कुछ जमीन ऐसी है जो कि मंदिर के पुजारियों के पास है और वह उससे खुद कमाते हैं इस एवज में कि वह मंदिरों की पूजा करते हैं। गांव वालों ने उनको इस लिये जमीन दे रखी है कि वह पूजा करें मंदिर में। तो हमें यह भी देखना होगा कि ऐसी जमीनों पर अगर हम पुजारियों को जो उस पर कमा रहे

[श्री जयेन्द्र सिंह बिष्ट]

हैं अपने पूजा के काम के एवज में, हक दें तो उन मन्दिरों की क्या व्यवस्था होगी। अगर वह मन्दिर की पूजा छोड़ दें, अथवा उनको मिलने वाला पैसा न मिले तो उनकी क्या व्यवस्था होगी। यह एक गंभीर प्रश्न है। इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि जो जमीन का लगान होगा वह क्या मंदिरों की पूजा में खर्च होगा। एक इसमें एक वस्तु स्थिति मुझे आपके सामने रखनी है कि पहाड़ में जैसा नेगी जी ने बताया, भले ही वहां उपज ज्यादा न होती हो, खेत में जितनी मेहनत करनी पड़ती हो उसके हिसाब से कुछ भी उपज न हो लेकिन जमीन के के लिये वहां सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है। वह लोग उसे किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहते। अगर हम पुजारियों को कहते हैं कि दस रुपया मासिक देंगे तुम मंदिर में पूजा करो तो वह राज़ी नहीं होंगे, लेकिन अगर हम कहते हैं कि यह आठ आना रक्मी जमीन मंदिर की पूजा के लिये है वह तुम लो और पूजा करो तो वह राजी हो जायंगे। तो मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में इस तरह के सारे विचारों को सुनने के बाद ही कोई व्यवस्था की जाय।

एक बात इसमें जो साल भर की अवधि की रखी गई है, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर १५ गुना वह लगान दे रहा है और भूमिधरी का अधिकार प्राप्त करना चाहता है तो कोई वजह नहीं है कि क्यों कोई व्यक्ति भूमिधर होने के नाते उसको रिजेक्ट कर दें। उसको तो लेना चाहिये और अगर वह नहीं लेना चाहता है तो तो भी भूमिधरी का अधिकार उसको मिलना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष---(श्री राजनारायण से) आप १५ मिनट लेंगे। मैंने आपके लिये एक्सेप्शन कर दिया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, मैं माननीय माल मंत्री जी द्वारा सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये रखे गये प्रस्ताव का विरोधी हूं और बहुत सफाई के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय नारायणदत्त जी के शब्दों में कि बहुत बड़ा हिमालयन काम होगा यदि कुमायूं डिवीजन के तमाम खेतिहरों की समस्या का समाधान हो जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह से इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाना हिमालयन ब्लन्डर होगा। जब इतने दिनों से इस कुमायूं डिवीजन के क्षेत्र का मामला विचाराधीन है और यह कोई किसी के लिये नहीं कह सकता और खास कर माननीय माल मन्त्री जी के लिये मैं समझता हूं किसी को नहीं कहना चाहिये कि वह अपने विभाग के बारे में जानकार नहीं हैं। मैं इतना मानता हूं कि माननीय माल मन्त्री जी अपने विभाग के बारे में बहुत ही जानकार हैं। यह दूसरी बात है कि उनकी जानकारी दूसरी तरह की हो और हमारी दूसरी हो। उनके विचारों का इस सम्बन्ध में दूसरा स्वरूप हो सकता है। और हमारे विचारों का दूसरा स्वरूप हो सकता है जो व्यवस्था जिस रूप में जिस क्षेत्र के लिये वह रखना चाहें उसको उसी रूप में वह विधेयक लाने में समर्थ हो रहे हैं। अब इसको देखा जाय तो मोटेतौर पर यह सब लोग मान गये कि तीन तरह के लोग वहां पर हैं। एक तो हिस्सेदार हैं, दूसरे खायकर हैं और तीसरे सीरतान हैं। वह सीरतान जिसको शिकमी की हैसियत वहां प्राप्त है और जिसको आगे चल कर असामी कहा जा रहा है उसकी बाबत मैंने माननीय नारायणदत्त जी तिवारी को बहुत ध्यान पूर्वक सुना और माननीय हरगोविन्द पन्त को बहुत ध्यान से सुना और माननीय नेगी जी को बहुत ध्यान से सुना और साथ ही गोवर्द्धन तिवारी जी को तो बहुत ही ध्यान से सुना। अगर सही-सही बात को देखा जाय तो यह है कि हम किस उसूल को मानते हैं यदि हमारा उसूल यह है कि "लैन्ड शुड गो टु दि टिलर आफ दि स्वायल" तब तो माननीय हरगोविन्द पन्त जी ने अपनी बातों का जो आधार बताया है वह बिलकुल निराधार है, और नेगी जी ने जो तर्क उपस्थित किया है वह भी बिलकुल निराधार है क्यों कि सब लोग यही तर्क ले रहे हैं। हमारे यहां यही खेती का अभागा सिस्टम एक ऐसा चला आ रहा है कि जिसका वह सारा लाभ नहीं उठाता है बल्कि दूसरे भी उठाते हैं।

यदि हमको असेम्बली का मेम्बर होने के नाते तनख्वाह मिलती है तो हम को ही वह मिलती है दूसरे को नहीं मिलती है मगर खेत में जो आदमी काम करता है उसके लिये बराबर यह प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि उसके काम में और उसके लाभ में दूसरा भी हिस्सेदार हो क्योंकि पन्त जी द्वारा जो यह तर्क यहां पर दिया गया कि बहुत से लोग छोटे-छोटे वहां पर शिकमी या दूसरे रहे हैं चाहे उनको हिस्सेदार कहें या खायकर कहें अगर वह नौकरी के लिये बाहर चले आये हैं अपनी जमीन को छोड़ कर और उनकी जमीन पर दूसरे खेती करते हैं चाहे वह कितना ही धन पैदा करते हों तो क्यों न वह मालिक बन जाय और क्यों दूसरे आदमियों को उनकी जमीन पर मालिकाना हक प्रदान किये जायं। जो दूसरी जगह नौकरी करते हैं और अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं उनको अधिकार देने की बात कही गयी है। माननीय सदस्यों ने जितने तर्क यहां उपस्थित किये हैं इस सम्बन्ध में उन्होंने जो श्रम है लेबर है उसको गौण स्थान दिया गया है और दूसरे व्यवसाय में जो लोग लगे हुये हैं उनको प्राथमिकता दी गयी है। कोई कहता है कि १९३६ से यह व्यवस्था चल रही है और कोई कहता है कि ५४ से यह व्यवस्था चल रही है और कोई कहता है कि सन् १९५५ से यह व्यवस्था चल रही है। आखिर क्या स्वरूप होना चाहिये इस विधेयक का? इस विधयक में क्या-क्या बातें हैं और क्या-क्या नहीं हैं? अगर देखा जाय सही तरीके से तो जो आक्रमण करने की बात दो तीन जगह है। एक तो यह है कि जो हिस्सेदार हैं, जो खैकर्स हैं, उनको मुआविजा क्यों दिया जाय। यह मैं सही-सही कहता हूं। माननीय मंत्री जी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर माननीय माल मंत्री जी इस विचारधारा के हो जावें कि कम्पेन्सेशन का देना अनुचित है तो वह एक सेकेन्ड में हमारे संशोधन को मान लेंगे। वह तो मुआविजा देना चाहते हैं। कुछ वैधानिक आपत्तियां उनके रास्ते में हैं। अगर मैं उस मुआविजे का भी विरोधी हूं जो आज माननीय माल मंत्री जी देना चाहते हैं। मैं सिद्धान्ततः उसका भी विरोधी हूं क्योंकि कम्पेन्सेशन के उसूल को मान लेना ही ऐसा माना जाता है कि गोया उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देने की बात नहीं कही गयी है। अब भी हम चाहते हैं कि मंत्री जी मुआविजा देने की ओर जावें तो ज्यादा अच्छा है। हमारे मैदान के लोग तो सोचते होंगे कि पहाड़ की कोई नयी परिस्थिति है। यह गोवर्धन जी ने कहा और वह कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज रहे हैं। क्या अब टेहरी गढ़वाल की कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव पास किया है या अल्मोड़ा की ने पास किया है, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। वह तो माननीय मंत्री जी या कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादा जानते होंगे। मैदानी इलाके में भी करीब ७५ फीसदी किसान २ एकड़ से कम जमीन वाले हैं, ८६ फीसदी किसान ५ एकड़ से कम और ५ एकड़ से ऊपर केवल ६ फीसदी के किसान हैं। तो कितना अन्तर हो गया? कोई बड़ा अन्तर नहीं है। मगर यहां पर एक समां बांध दिया गया कि पहाड़ी और मैदानी परिस्थितियां अलग-अलग हैं। अल्मोड़ा या नैनीताल में १८९७ और १९०२ तक की जमीन का रेकार्ड मिलता है। टेहरी गढ़वाल में १९२४ और गढ़वाल में १९२७-३० का रेकार्ड लिया गया है। परगना असकोट का १९४१ का है। वहां का एवरेज २ एकड़ का है और मैदान का ३ एकड़ का है। तो इसलिये पहाड़ के लिये अलग व्यवस्था की आवश्यकता क्या है?

शब्दों के लपेट में हम लोग अपनी गलती को छिपाने के आदी हो गये हैं। सफाई की बात होनी चाहिये। खैर, अब मैं माननीय हरगोविन्द जी पन्त के लिये क्या कहूं। उन्होंने बहुत ही सुन्दर शब्दों में अपने जजबात का इजहार किया मैं इसके लिये उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। विधेयक में यह बात साफ है कि किसी के मकान से लगी हुई जमीन उसे ढाई नाली दे दीजिये। अब अगर कोई कहे कि १ एकड़ क्यों न दे दीजाय। तो यह उसूल की बात है। हमने बनारस में मकान बनवाया है, श्रीमन् जिसमें आप भी गये हैं, वह १ हिस्सा में है और वहां १ एकड़ में मालूम होता है कि

[श्री राजनारायण]

कोई किला बनवायेंगे या असेम्बली का भवन वहां खड़ा करेंगे? हां, सीधी-सादी बात कह दें कि हम हिस्सेदारों के पक्ष में ज्यादा जमीन छुड़वाना चाहते हैं, तो ठीक है। हम ने करीब-करीब जितने पहाड़ी इलाके से आये हुए माननीय सदस्य हैं सबका दरवाजा खटखटाया है। पन्त जी की खिदमत में भी कई दफा बैठा, कल भी और आज भी। अब कुछ लोगों का दिमाग परेशान इसलिये है कि जो सीरतान हैं, जिनको हम असामी कहते हैं, शिकमी पर जो जमीन जोत रहे हैं, इनके आंकड़े ठीक से नही बतलाये जाते हैं। इनके कई विभाग बतलाये जाते हैं। एक तो वे हैं जो कि नियमित रूप से सही माने में जमींन जोतते हैं यानी जिनको खायकार या हिस्सेदारों ने जोतने के लिये कोई जमीन दी वे लगान पर जोतते हैं। चाहे उपाध्याय जी ने जैसा कहा कि वे ८ मन हिस्सा देते हैं, वे आठ मन देते हों, चाहे आधा देते हों, चाहे बारह मन देते हों, इसमें किसी को एतराज नहीं है कि वे रेकार्डेड हैं तो उनको मान लेना चाहिये। दूसरी तरफ कई ऐसे आदमी हैं, जैसे हम ही हैं, जो वहां असेम्बली के मेम्बर भी हैं ५ वर्ष के लिये और हमने अपनी जमींन ५ वर्ष के लिये किसी दोस्त को या हिस्सेदार को दे दी और वह उसको जोत-बो रहा है, तो क्या हमको इस बात का हक होना चाहिये कि वह जमीन हमारे ही अन्दर रहे? श्रीमन्, वह तो आखिर लालच ही हुआ कि हम अपना तो अधिकार रखना चाहते हैं कि असेम्बली की मेम्बरी का दस रुपये रोज भी लेते रहें, २०० रु० महीना भी लें और सरकारी कमेटियों से भत्ता भी लें और जो बेचारे अपना जांगर लगा कर धरती चीर कर, जोत बोकर अन्न पैदा करें उसे अधिकार न मिले। क्यों, यह कहां का न्याय है? यह कहां का इन्साफ है? श्रीमन्, इसका उद्देश्य केवल एक ही है और वह है निजी स्वार्थपरता, चाहे वे पंत जी हों, चाहे नेगी जी हों, चाहे कोई भी हो वे सब निजी स्वार्थ की वजह से ऐसा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप व्यक्तिगत बात न कहें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, अगर कोई व्यक्तिगत बात हो गयी है तो उसे मैं वापस लेता हूं। मगर श्रीमन्, एक बात मेरी समझ में नहीं आयी क्योंकि अगर किसी दूसरे के मुखारबिन्द से निकला होता तो मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन यह बात निकली हमारे माननीय मित्र नारायणदत्त तिवारी जी के मुखारबिन्द से। उन्होंने साफ-तौर से यह नहीं कहा कि यह व्यवस्था वे वहां के लिये चाहते हैं मगर उन्होंने आंकड़े दिये कि आसाम में ५०० एकड़ जमीन छोड़ दी गयी है, हिमाचल में ५ एकड़ जमींन छोड़ दी गयी है, मणिपुर में २५ एकड़ जमींन छोड़ दी गयी है, काश्मीर में पौने २३ एकड़ जमीन छोड़ दी गयी है। उससे यह मालूम होता है कि माननीय नारायणदत्त तिवारी जी का कहना यह है कि कोई जमींन की सीमा बांध दी जाय, चाहे वह दस एकड़ की हो, चाहे ५ एकड़ की हो, चाहे १५ एकड़ की हो। मैं घुमा फिरा कर बात कहना नहीं जानता मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात करता हूं क्योंकि मैं देहात का रहने वाला बहुत गरीब घर का आदमी हूं।

श्री अध्यक्ष---आप प्लेन्स के रहने वाले हैं न?

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं प्लेन का हूं, इसलिये प्लेन बात ही कहता हूं। घुमाफिरा कर बात नहीं करता। आखिर इसका माननीय नारायणदत्त तिवारी जी क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं? वे यह निष्कर्ष निकालना चाहते हैं.....

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैं माननीय राजनारायण जी को जरा साफ कर दूं कि मैंने यह जानना चाहा था कि यह ढाई नाली की बेसिक होल्डिंग होगी या क्या होगी? चूंकि यह बेसिक होल्डिंग का सिद्धान्त ठीक प्रकार नहीं 'अप्लाई' होता

था, इसलिये मैंने आपके जरिये यह जानना चाहा था कि यह ढाई नाली क्या बेसिक होल्डिंग होगी ?

श्री राजनारायण--बहुत अच्छा हुआ कि माननीय नारायणदत्त जी ने सफाई कर दी। अगर अपने को सफाई नहीं करते तो पब्लिक के सामने और तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे लेकिन अब उन्होंने वह मौका भी सफाई दे कर खो दिया। फिर भी अगर माननीय नारायणदत्त जी ढाई नाली के बारे में जानना चाहते थे तो आखिर वे पढ़े-लिखे हैं, वकील हैं, समझदार हैं, विधानसभा के मेम्बर हैं फिर भी जब की बाकायदा विधान की भाषा में साफतौर से इस सम्बन्ध में लिखा हुआ है और फिर भी समझ में न आये तो हमको कहना ही नहीं चाहिये कि हम विधान सभा के मेम्बर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। आप किसी माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप न करें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं अपने लिये ही कह रहा हूं। अगर किसी भाई के ऊपर आक्षेप हुआ हो तो वे क्षमा करेंगे। मैं आपके द्वारा बराबर ही क्षमा मांगा करता हूं।

श्री अध्यक्ष--आप कृपया दूसरों की अक्ल का मजाक न उड़ाया करें।

श्री राजनारायण--तो मेरा कहना यह है कि यह स्पष्ट तरीके से सामने आना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह मुआविजा क्यों देना चाहते हैं? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो एक आफत माननीय माल मंत्री के सिर पर आ चुकी है मैदानी इलाकों की जमींदारी उन्मूलन के बाद क्या वह वहां पर भी आये? यह सीरदारी के अधिकार उसमें क्यों? क्यों नहीं जो सीरतान हैं उन को सीधे भूमिधरी के अधिकार मिलें? क्यों उनसे सरकार दसगुना मुआवजा लेने के फेर में पड़ी? मुझे निहायत अदब के साथ माननीय मंत्री जी से कहना पड़ता है कि जिस दसगुने का हमने उस वक्त विरोध किया था और जिसके विरोध से तमाम सूबे का वातावरण विक्षुब्ध हो उठा था उसी को आज फिर सरकार लगा रही है, हमने उसका हिसाब लगाया है, मंत्री जी उसको बता सकते हैं कि वह बहुत थोड़ी सी रकम होती है। वैसे मैं इस फेर में न पड़ता लेकिन इस तरह से वह उसूल पर और सिद्धान्त पर अटैक करना चाहते हैं जब कि इतने बड़े प्रदेश के मैदानी इलाके में वह दसगुने की स्कीम फेल हो चुकी है तो फिर वह पहाड़ के इलाके में क्यों लगाई जा रही है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि सीरतानों को बिना किसी पैसे के लिए हक मिलना चाहिए। वह सीरतान जो अपने हिस्सेदार को देते थे या अपने खायकर को देते थे वह सरकार चाहती है कि अब हमें मिले और अगर दसगुना दे दे तो वह आधा ले। जब ऐसी बात है तो अगर हम यह कहते हैं कि सरकार टिलर आफ दी स्वायल, खेती के करने वाले के साथ ज्यादती करती है तो क्या ऐसा कहना हमारा नाजायज होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि उनसे एक पैसा न लिया जाय और न इससे सरकार को कोई बड़ी आय होती है और अगर सरकार इसको छोड़ दे तो उसका बड़ा नुकसान नहीं होगा, उसका कोई बजट फेल नहीं हो जायगा। तो सरकार इसको क्यों नहीं मानती है और अगर नहीं मानती है तो सेलेक्ट कमेटी में ले जाने से भी वह नहीं मान सकती है और अगर मान सकती है तो इसी जगह संशोधन मान कर मान सकती है। सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की तो एक टालने की बात है अगर वह चाहें तो यहीं रात दिन बैठ कर हम माल मंत्री जी को सुझाव दे सकते हैं, वह चाहें तो मान सकते हैं। समय अध्यक्ष महोदय, कम हो रहा है मैं खुद ही चिन्तित हूं कि जहां आप समय बांध देते हैं तो मेरे सारे प्वाइंट भूल जाते हैं।

[श्री राजनारायण]

मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों वह इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जाना चाहते हैं। हमारे माननीय मालमंत्री जी ने बड़ी खूबी के साथ इस बिल को एक्सप्लेन किया और उन्होंने अपने दिमाग में उस वक्त कोई कनफ्यूजन नहीं रखा तो फिर अब सेलेक्ट कमेटी में इसे ले जाने की क्या जरूरत हो गई, मालूम होता है जान बूझकर हिस्सेदारों को कुछ देना है और खायकरों को देना है और सीरतानों पर मुसीबत लादना है, । वह चाहते हैं कि जो कुछ इतने बड़े मैदानी इलाके में किया है उसी का स्वरूप यहां भी कायम रहे ताकि कोई सरकार पर उंगली न उठावे, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे तो सरकार की और निन्दा होगी और अपमान होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में न भेजा जाय और यह भी जरूरी है कि जो मुआवजा खायकर और हिस्सेदार को दिलाया जा रहा है वह उनको सीरतानों से न दिलाया जाय और उनको बिना कुछ दिए हुए ही भूमिधरी का हक दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि जिन भाइयों के यहां भाषण हुए उनको मैंने अच्छी तरह से सुना। श्री गोवर्धन जी ने कहा कि सीरतान में हलिया भी लिए जा रहे हैं, जिनको बहुत से हिस्सेदार अपनी जमीन दे देते हैं और उनसे कुछ ले लेते हैं, कुछ साझेदार हैं, कुछ सुपुर्दगीर हैं। इन सबके हकों को रखने में इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो भी जमीन पर वाकई मेहनत कर रहे हैं उनको हक मालिकाना मिले तो इस से भ्रम दूर हो जायगा और कोई भ्रम नहीं रह जायगा। बशर्ते कि इस उसूल को सामने रक्खा जाय। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को किसी भी मानी में सिलेक्ट कमेटी में न लाया जाना चाहिये और अगर सरकार ले जायगी तो मेरा यह स्पष्ट मत है---फिर आप कहेंगे कि मोटिव पर अटैक कर रहा हूं लेकिन मोटिव पर अटैक नहीं कर रहा हूं। आपका भी यही मत होगा जब चरणसिंह जी का, हम लोगों का दिमाग साफ है और इसमें जो कमी, खामी या त्रुटि रह गई है वह अमेंडमेंट के जरिये दूर की जा सकती है और बीस वर्ष का जो कुमायूं का जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट है वह निश्चित होना चाहिये, शब्दों के फेर में नहीं आना चाहिये, असल सिद्धान्त को सामने रखना चाहिये---कि अगर सरकार इसको सेलेक्ट कमेटी में ले जायगी तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि यह इलेक्शन प्रोपेगेंडा है। एक तरफ जनता से कहा जायगा कि मैं तो लाया लेकिन सेलेक्ट कमेटी में चला गया।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह अनुचित है।

श्री राजनारायण---इसीलिये तो मैंने कह दिया था। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको हर्गिज-हर्गिज सेलेक्ट कमेटी में नहीं ले जाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद नौटियाल (जिला गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिये। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं उसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय और रामप्रसाद जी को मौका अवश्य मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष (श्री चरणसिंह से)---आपको कोई आपत्ति है?

श्री चरणसिंह---मुझे आपत्ति तो नहीं है लेकिन साढ़े ५ बजे की गाड़ी से मुझे चले जाना है। सवा ५ बजे तक निपट जाय तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष---मैं दस मिनट दे दूंगा।

श्री रामप्रसाद नौटियाल---अध्यक्ष महोदय, कुमायूं के प्राचीन इतिहास से यह भली-भांति मालूम हो जायगा कि पहाड़ों को तोड़ कर और जंगलों को

काटकर इसे बसने के लायक बनाया गया और अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की जैसी पालसी थी उससे स्पष्ट मालूम होता है कि यहां भी खायकर, सीरतान, कटिया, नटिया, भैंसा, झलिया इस तरह की व्यवस्थायें अंग्रेजों ने यहां के लिये बनाई। लेकिन आज अपने देश में अपना राज्य है और आज ऐसी व्यवस्था होने जा रही है जिससे साम्राज्य-वादी, पूंजीवादी लोगों ने जिस प्रकार शोषण किया है उसको खत्म किया जा रहा है। हालांकि, जितनी जल्दी से यह कुमायूं में बन्द होनी चाहिये थी बन्द नहीं हुई जब कि मैदान में सन् १९५० ई० में जमींदारी खत्म हो गई है। लेकिन यहां ६ वर्ष के बाद कुमायूं का भूमि व्यवस्था और जमींदारी विनाश बिल इस सदन में आज आया है। तो इस बीच में भी बहुत काफी हिस्सेदार लोगों ने शोषण किया और बहुत से हिस्सेदारों ने अपनी जमीनों को इन्हीं खायकरों को या दूसरे लोगों को बड़ी-बड़ी रकमें लेकर बेच दीं और-और ढंग से भी लाभ उठाया है। इससे पहले सदन में एक विधेयक आया था और उस विधेयक के जरिये जिसका मकसद यह था कि लोगों को बेदखली बन्द करने की कोशिश की गई। वह विधेयक पास तो हुआ लेकिन कार्यरूप में कुमायूं में उस पर अमल नहीं हो सका क्योंकि यह लोग पढ़े लिखे नहीं थे और जितना उससे फायदा होना चाहिये था उतना नहीं हुआ। उससे वहां के सीरतानों व खायकर, काश्तकारों को बड़ा नुकसान हुआ, बलपूर्वक जबरदस्ती जमीन से निकाल दिया गया। वे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके पास बुद्धि नहीं जो उससे लाभ उठा सकते। बुद्धिजीवी लोगों के पास दसियों किस्म के शोषण के तरीके हैं। जिस प्रकार कहावत है—भैरगुल्ला भितरगुल्ला, अर्जवन्त कैम कल्ला। रानी भी गुल्ला और मंत्री भी गुल्ला। मतलब यह है कि बाहर भी सेनापति और भीतर भी रानी तो नीचे से लेकर सब साम्राज्यवादी लोग थे। उनके जरिये से शोषण बना रहा। पिछले वक्त में कुमायूं में बिगट, पी, इवटसन, कई बन्दोबस्त हुये हैं। उनसे प्रकट होता है कि उन्हीं लोगों को स्वार्थों की पूर्ति हुई जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने जैसा उन्होंने चाहा वैसी व्यवस्था बनायी। यह जरूर है कि अल्मोड़ा और नैनीताल में बन्दोबस्त नहीं हुए लेकिन गढ़वाल में जो बन्दोबस्त हुए उन बन्दोबस्तों में जो सेटिलमेंट आफिसर से लेकर अमीन तक थे सब साम्राज्यवादी लोगों के बीच में से थे। उन्होंने उस व्यवस्था को बनाया। उन्होंने सीरतान, कटिया, नटिया ढटिया, भैंसा, झलिया लोगों का इन्दराज कागजात में नहीं किया। आज भी उनकी कोई ठीक से देखभाल करने वाला नहीं है। भले ही इस सदन में कई कानून पास हुए लेकिन आज भी देश में समाजवादी ढांचे को लाने के लिए जितनी बड़ी जरूरत है और जितने सहयोग और त्याग की जरूरत है बड़े लोगों की और बुद्धिजीवी लोगों की उसके लिए बिनोबा का ही बतलाया हुआ सबसे उत्तम मार्ग है।

आज इस सदन में जो यह विधेयक प्रस्तुत है इसके लिए मैं बधाई देता हूं अपने माल मंत्री महोदय को कि फिर भी कुमायूं का अभिशाप समाप्त होने जा रहा है। आज तो कुमायूं का किसान इस तरह टकटकी लगाये हुए है कि आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा में उसके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता हूं। कुछ कानों की सुनी बातें होती हैं और कुछ आंखों की देखी बातें होती हैं। मैं आंखों की देखी हुई बातें इस सदन में अर्ज कर रहा हूं और वह यह है कि जिस प्रकार का शोषण आज तक उस किसान का हुआ है, सीरतान और पागरत का इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि उससे कोई मुआविजा लिया जाय या प्रवर समिति में विधेयक भेजा जाय, अगर ऐसा होगा तो उसके साथ बड़ा अन्याय होगा। आज कई लोगों का ऐसा प्रोपेगेंडा भी है कि आज लोग इस बात को समझते हैं कि खायकर और सीरतान हिस्सेदार के खिस्से के लोग हैं। बुद्धिजीवी लोग जो हैं वह एलेक्शन और चुनाव की बातों को समझते हैं। इसलिये उनकी हां में हां जोड़ कर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करें, सरकार को इससे सावधान रहना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि तुरन्त

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

से तुरन्त इस कानून को पास हो जाना चाहिए। यह कानून ६ साल तक पास नहीं हुआ। इसके माने यही हैं कि कुमायूं को स्वप्नावस्था में देखा गया। यह समझा गया है कि कुमायूं का किसान सोया हुआ है। वैसे तो आपने बहुत से लोगों को और भी अधिकार दे रखे हैं जो फौजी लोग हैं। आप जानते हैं कि गढ़वाल तो फौजी मंडी था और अंग्रेजों ने उन्हीं लोगों को बड़े-बड़े प्रोमोशन दिए और वहां के जागीरदार और माफीदार भी यही लोग थे। उनके जो बच्चे हैं वह फौज में बड़े-बड़े पदों पर हैं। कुमायूं में इस आधार पर तो जमींदारी नष्ट नहीं होगी। उन लोगों को तो फिर भी राहत मिल गयी जो फौज में हैं और दूसरे लोगों को दूसरे तरीके से राहत मिल गयी, जिन्होंने अपनी यह जमीन बेच डाली है। मतलब यह है कि अगर आज से छः साल पहले यह कानून पास हुआ होता तो पागस्त और सीरतान किसान इससे बहुत लाभ उठाते। लेकिन कुमायूं के हिस्सेदार को इस बीच सरकार ने और इस सदन ने उनकी खुली लूट करने को छोड़ दिया और अब भी अगर इसमें देर की जाती है और यह मसला प्रवर समिति में डाल दिया गया तो इस कानून का बनना न बनना कोई मतलब नहीं रखता है। जिससे लाखों किसानों के साथ बड़ी भारी ज्यादती होगी, जिनकी भलाई के उद्देश्य से यह कानून बनाया जा रहा है।

दूसरा मुझे कुछ निवेदन और भी आपके द्वारा इस सदन से करना है कि प्रायः ऐसी बात है कि यहां पर जो व्यवस्था बनाई जाती है या सोची जाती है वह देश के और मैदानी हिस्सों के हिसाब से सोची जाती है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि पहाड़ की परिस्थितियां कई स्थानों में यहां से भिन्न हैं और वह ऐसी हैं जैसा मैंने उदाहरण के लिए कहा कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े जागीरदार हैं, जो मठों और मन्दिरों के मालिक हैं, जो सरकारी नौकरियों के मालिक हैं, जो वकालत के मालिक हैं और जो दूसरे-दूसरे तरीके शोषण के हैं उनके मालिक हैं उन लोगों को तो इससे कोई नुकसान नहीं, लेकिन जो ऐसे गरीब लोग हैं जो कि कहीं चपरासी हैं, कहीं दूसरी जगह मेहनत-मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि वहां मैंने कहा कि खेतों पर साल भर कठिन परिश्रम करने के बाद भी खाने भर के लिये नहीं पैदा होता है। यहां की जमीन ऐसी उपजाऊ नहीं है कि गुड़, नमक, लत्ता--कपड़ा सब दे सके तो उस सूरत में वह यह सोचते हैं कि वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए बाहर निकलें। अब उस हालत में जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ी सी जमीन जो उनके हिस्से में है उसको वह किसी साझीदार के पास या अपने भाई बन्द के पास छोड़ आते हैं। बच्चे तो उनके वहीं रहते हैं। तो इस जमीन का अगर उसके भाई बन्द या उसके साझीदार के नाम इन्दराज हो जायगा और वास्तविक जमीन के मालिक का इन्दराज नहीं होगा तो दरअस्ल इससे बड़ी अव्यवस्था वहां हो जायगी। इसलिये मैं निहायत अदब से माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि इसके लिए वह जरूर सोचें और उनको बर्बाद न करें।

अन्त में मुझे यह कहना है कि खास करके जो जंगल हैं या जो निजी जंगल हैं वह जंगल नहीं होने चाहिये। जो कम्यूनल फारेस्ट्स वहां हो जाते हैं, जिसमें दूसरे लोगों को वह नहीं घुसने देते हैं इस तरह के जंगल नहीं होने चाहिए। तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जो अधिकार दिया जाता है कुमायूं की व्यवस्था कुछ भिन्न इसलिए है कि अगर हम भूमिधर यहां बनाते हैं या भूमिधरी वाली बात यहां भी हो जाती है तो वह ठीक नहीं है। वहां तो हिस्सेदार जो होता था वह अपनी जमीन को रेहन रख सकता था, गिरवी रख सकता था, कुछ धार्मिक भावना से दान और बेच भी सकता था उस हालत में उसको तो तमाम अधिकार हैं, लेकिन भूमिधर हो जाने से उसको कोई लाभ इस प्रकार का न हो। इसलिए मैं समझता हूं कि हिस्सेदार शब्द कुमायूं के लिए उपयुक्त और सम्मानसूचक शब्द है और वह वहां रहने देना चाहिए। यह मेरा निवेदन है कि जो वहां कच्चा खायकर और पक्का खायकर है उसको वह तमाम अधिकार

मिलना चाहिए जो कि हिस्सेदार को है। मैं निवेदन करूंगा कि प्रवर समिति में इस बिल को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए।

*श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हुई है यह देखकर कि आमतौर पर इस विधेयक का स्वागत किया गया है। कुछ साहबान ने बड़ी गरमी के साथ, कुछ साहबान ने कम गरमी के साथ लेकिन स्वागत प्रायः सभी ने किया है। बहुत थोड़ी नुक्ताचीनी की गई है और उस नुक्ताचीनी में से भी अधिकतर गलतफहमी पर वह आधारित हैं। कुछ नुक्ताचीनी सिद्धान्त की भी है। मसलन यह कि सीरतान से कुछ जमीन वापस लेने का अधिकार हिस्सेदार या खायकर को होना चाहिये या नहीं होना चाहिये। जितने भी इस सिलसिले में प्रश्न उठाये गये हैं अध्यक्ष महोदय, आप की इजाजत से बहुत मुख्तसर जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो यह कही गई कि साहब, वहां पर का हिस्सेदार जमींदार कहां है? जमींदार तो हमारे यहां माना जाता है हर वह आदमी जो कि काश्तकारी करता हो। लिहाजा जब जमींदारी विनाश की बात कुमायूं निवासियों के कान में पड़ी तो उनकी समझ में बात नहीं आती। यह माना जमींदार लफ्ज का माने अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग है। मसलन पंजाब में है या राजस्थान में जमींदार के माने ही हैं लैन्ड होल्डर, और सही माने हैं। जो भी आदमी काश्त करता है, ख्वाह वह जमीन का मालिक हो, ख्वाह काश्तकार हो, ख्वाह शिकमी हो, ख्वाह टिनेंट ऐट बिल ही क्यों न हो वह वहां जमींदार ही कहलाता है। तो जमींदारी का अर्थ कहां क्या लिया जाता है इससे फायदा क्या? हमारे जमींदारी अबालीशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट में भी जमींदार लफ्ज का इस्तेमाल केवल टाइटिल में आया है, हमने ऐक्ट में "जमींदार" को इस्तेमाल ही नहीं किया। हमने लफ्ज इस्तेमाल किया "इंटरमिजियरी" या मध्यवर्ती। तो जहां तक इस कुमायूं जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक का संबंध है वहां "जमींदार" का मतलब केवल इंटरमिजियरी से है चाहे वह हिस्सेदार हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। वह वही आदमी है जो जमीन पर टाइटिल रखता है, किसी तरह का हक तो है लेकिन खुद काश्त नहीं करता। तो उसको हिस्सेदार कहो, भूमिधर कहो, इंटरमिजियरी कहो, कुछ और कहो। हम लैन्डलार्ड और टिनेंट का जो रिलेशन है उसको मिटाना चाहते हैं। तो यह कहना कि "हिस्सेदार" जमींदार नहीं है, मेरी समझ में नहीं आया। जमींदार के माने लैन्ड लार्ड के हैं तो यहां सब जमींदार कहां लैन्डलार्ड थे और न हमने सब को मिटाया। हमने जिस हद तक वह इंटरमीजियरी थे उस हद तक मिटाया। यहां २२ लाख आदमियों का नाम खेवट में दर्ज है और ४० केवल ऐसे थे जो १०,००० एकड़ से ज्यादा के मालिक थे और १७ लाख ऐसे थे जो खुद काश्त करते थे। तो यह कहना कि जमींदार हिस्सेदार नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। जिस हद तक वह खुदकाश्त करता है उसको छुआ नहीं जा रहा है और जिस हद तक वह इंटरमिजियरी है उसे जमींदार कहो, हिस्सेदार कहो, लैन्डलार्ड कहो उसको उसी हद तक लिया जा रहा है। हमें यही तय करना है कि इंटरमिजियरी को एलिमिनेट किया जाय, रिमूव किया जाय या नहीं। जमींदार या हिस्सेदार से कोई मतलब नहीं।

एक बात यह कही गई कि "हिस्सेदार" लफ्ज रहे। कोई एतराज नहीं रहे। कहते यह हैं कि मुनाज का नाम कुछ और रख दिया जाय, लेकिन खुशबू उसमें वही आयेगी। हमने मैदानी इलाके में ३० एकड़ लिमिट रखी है कि उससे ज्यादा नहीं रख सकेगा और पर्वतीय इलाकों के लिये हम ५ एकड़, १० एकड़ या १५ एकड़ रख सकते हैं लेकिन यहां हम लैन्ड ओनर के राइट को करटेल कर रहे हैं, हिस्सेदार के राइट को करटेल करने जा रहे हैं और एक सीमा हम फिक्स कर देंगे फ्यूचर एक्वीजीशन के लिये कि इससे ज्यादा वह जमीन नहीं अक्वायर कर सकते और न जमीन को सबलेट कर सकते हैं यह चीज तय करनी है। अब उसे आप हिस्सेदार कहते रहिये या जमींदार कहते रहिये। जबकि हमने यहां "भूमिधर" रखा तो मेरा मंशा यह था कि स्टूडेंट्स आफ ला की समझ में आ जाय वरना अगर हम "हिस्से-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

दार" रख देते हैं और राइट्स का ऐप्लीकेशन वही रखते हैं तो लोगों को कनफ्यूजन होता है बिला वजह, फायदा कुछ नहीं, राइट्स और लाइबिलिटीज वही है। तो झगड़ा नाम की बाबत क्यों? समझा यह जा रहा है कि "भूमिधर" कहने से डिग्रेडेशन होगा। "भूमिधर" के मानी जमींदार के हैं। कुछ लोग यह समझते हैं कि जमींदार बड़े कहलाते थे। हमने नाम इसलिये बदला कि जमींदार के नाम से जो ख्यालात बाबस्ता थे शोषण के संबंध में, तो ऐक्ट में अगर हम वही लब्ज इस्तेमाल करते रहेंगे तो पुरानी हवा नहीं बदलेगी, हवा बदलने में सहायता मिलेगी अगर टरमिनालाजी को बदल दें। सबलेटिंग के राइट्स बदल गये इसलिये जमींदार को भूमिधर रखा। नौटियाल साहब ने जैसा कहा कि हिस्सेदार को हिस्सेदार ही रखा जाय, भूमिधर न किया जाय तो औसतन हिस्सेदारों के पास जमीन है जिस पर वह खुदकाश्त करते हैं। ८० फीसदी औसतन ऐसे होंगे, जिन्होंने खुदकाश्त कर रखी है और दूसरों को जमीन नहीं उठा रखी है? २० फीसदी, २५ फीसदी से दूसरों को दिया हुआ है तो इनमें से सब के सब तो देवता नहीं होंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बदनाम होंगे और लोग उनके चंगुल से छूटना चाहते होंगे। अगर उनको भूमिधर कह दिया जाय तो हिस्सेदार नाम बदनाम हो गया होगा वह बदनामी खत्म हो जायगी। हम तो हिस्सेदार का नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। इसमें ऐतराज क्या है? गुरुकुल में जब कोई लड़का पढ़ने जाता है और अपना नाम लेता है, छज्जू, लच्छी, कबीरा (यह तो अच्छा नाम है) नत्थू वगैरा तो उससे कहा नहीं और उसका नाम रखा जाता है राम दयाल, अरजुन, दीनदयाल आदि, कहने का मतलब यह है कि अच्छा नाम रखते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि जो अब तक जमींदार या हिस्सेदार कहलाता था वह अब गवर्नमेंट के स्कूल में जा रहा है तो उसका नामकरण संस्कार हो रहा है भूमिधर। मेरे पास कमेटी की प्रोसीडिंग्स भी मौजूद हैं। उसमें कहा गया है कि "दि मैन इज नोन एज भूमिधर" लेकिन यदि लोग ठीक नहीं समझते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। सेलेक्ट कमेटी जो चाहे तय कर ले।

दूसरी बात यह कही गयी कि सीरतान की परिभाषा साफ कर दी जाय। मेरी समझ में यह नहीं आया कि कूड़ा कौन सा है जिसकी सफाई की जरूरत है। हमने यह रखा है कि जो मौजूदा कुमायूं के कस्टोमरी ला हैं उसमें जो आदमी सीरतान माना जाता है वही आगे रहेगा। फिर यह कहा गया कि साझेदार को सीरतान नहीं माना जाना चाहिये। सीरतान का मतलब है टेनेन्ट और पार्टनरशिप का मतलब टेनेंसी कभी नहीं है। हर आदमी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, लेखपाल से लेकर बड़े तक यह जानता है सीरतान साझेदार नहीं होगा। अब यह रहा कि एक परिभाषा है आकूपेंट की। इसका मतलब यह है कि अनअथौराइज्ड आकूपेंट, बजाय उसको ट्रैसपासर के काबिज रखा जा रहा है। जो काश्तकार है उन सबको सीरतान दर्ज करें अगर कोई हिस्सेदार कहता है कि मेरी हलिया है अगर साबित हो जायगा तो दर्ज हो जायगा। एक आदमी के कब्जे में जमीन है और वह खायकर वगैरह नहीं है तो प्रिजम्पशन है कि वह सीरदार होगा। असिस्टेंट रिकर्ड आफिसर के पास जाय और यह साबित कर दे कि वह हलिया है तो दर्ज हो जायगा। इसी तरह से बहुत से आर्टीसियन्स हैं जिनके पास जमीन है उनको खिदमती दर्ज किया जायगा। अब सेलेक्ट कमेटी यह तय करे कि उनको सीरतान मानेगी या नहीं। इसमें दो रायें हो सकती हैं। मैदानी इलाके में जो हलिया की दृष्टि से जमीन रखते थे वह सीरदार हो गये। इसमें ईमानदारी और बेईमानी का सवाल नहीं है लेकिन इसमें दो रायें रखी जा सकती हैं। दोनों की तरफ काफी कहा जा सकता है। मेरे मित्र जो बाहर से आते हैं और पहाड़ वालों को अधिकार नहीं है कि पहाड़ों की बाबत कानून बनायें, तमाम पहाड़ की एक जिले के बराबर भी आबादी नहीं है। दोनों तरफ काफी जा सकता है लेकिन जो वह साबित करेंगे वही दर्ज होगा। माननीय हरगोविन्द पंत जी ने कहा कि यह जो २४ फीसदी १७ गांवों के अन्दर सीरतानों का कब्जा जमीन पर पाया जाता है वह गालिबन इस वजह से कि हर आदमी को सीरतान लिख दिया गया है और उनकी आज की राय के मुताबिक ५ फीसदी से ज्यादा जमीन सीरतानों के पास नहीं है।

लेकिन कल गालिबन वही प्रेसाइड कर रहे थे जब मैंने यह अर्ज किया था कि १० फीसदी तो उन्होंने ही लिखा था, वे शायद भूल गये होंगे उस खत को लेकिन मेरे पास यह मौजूद है।

श्री हरगोविन्द पन्त---उसमें आक्युपायर भी शामिल थे।

श्री चरणसिंह---जी नहीं। खाली सीरतानों की बाबत आपने चिट्ठी लिखी थी कि उनके साथ जुल्म हो रहा है और आपकी चिट्ठी के फलस्वरूप ही वह छोटा ऐक्ट सीरतानों के लिये बना था। खैर, उसमें राय हो सकती हैं। उस वक्त आप देहात से घूम कर आये थे, आपने लोगों की तकलीफें देखी थीं, इसलिये आपने चिट्ठी लिखी बहुत दर्द भरी। तो यह हो सकता है। वैसे १५ फीसदी से २० फीसदी तक सच्चे माने में सीरतान हैं सारे अल्मोड़े में। लेकिन वे चाहे २ फीसदी हों चाहे ४२ फीसदी हों, जो उसूल बनाया गया है उसके मुताबिक हर एक की हिफाजत होनी चाहिये। यह बात कि उनका परसेंटेज क्या है आज इम्मेटीरियल है।

फिर आता है राइट आफ रिजम्पशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो दो तीन दोस्तों को दिमागी वर्जिश करनी पड़ी आज मैंने उसको देखा। यानी मन के अन्दर तो यह था कि जमीन इनमें से कुछ से बेदखल करा ली जाय, लेकिन कहा यह कि गरीब हैं, सरकारी मुलाजिमत करने यहां आते हैं, जमीन से उनको मोह है, लिहाजा अगर ५ एकड़ तक उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम जैसे अकलमन्द या बेवकूफ आदमियों के लिये नतीजा निकालने के लिये छोड़ दिया और एक मेरे दोस्त मुझसे यह जानना चाहते थे कि यह ढाई नाली है क्या बला। तो यह क्या कोई जमीन है, कोई होल्डिंग से इसका वास्ता है? यह तो है लैन्ड एपर्टिनेंट टु दि हाउस व्हिच इज नेसेसरी फार दि प्रापर इन्ज्वायमेंट आफ दि हाउस। उसके मुताल्लिक माननीय नारायणदत्त जी अपने मुताल्लिक जो कुछ भी राय रखते हों, लेकिन मैं उनको इतना भोला नहीं समझता कि वे ढाई नाली के माने न समझ रहे हों। और मैं इस सिलसिले में माननीय राजनारायण जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने इतना क्लेरिफिकेशन उनसे करा लिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास कुछ चिट्ठियां रखी भी होंगी और कुछ लोग मुझसे मिलते भी रहे हैं सीरतानों की ऐडवोकेसी में लेकिन आज मैंने जब कुछ मित्रों को कुछ और कहते सुना तो शुरू-शुरू में अपने कानों पर यकीन नहीं किया। क्या छोटे आदमी मैदान में नहीं हैं? क्या वे नहीं जाते हैं आसाम, बम्बई वगैरह में नौकरी करने के लिये? क्या उनको अपनी झोपड़ियों से मोह नहीं है, खेतों से मोह नहीं है? सबको होती है। लेकिन सवाल यह है कि जो आदमी बेदखल होगा कभी उससे भी पूछा है कि वह क्या फील करता है। मैं रोजगार कर रहा हूं, गालिबन मुझे प्राविडेंट फंड और पेंशन भी मिलेगी और फिर वहां जाकर जमीन भी वापस करा लूं यह एक और मेरे पास अधिकार हो तो वह कहां जायगा जो जमीन से बेदखल हो जायगा। मेरे एक मित्र मुझसे दो, तीन दफा मिले। उन्होंने कहा कि चलिये आप गाँवों में और पूछ लीजिये। मैंने कहा कि मैं चलता हूं लेकिन खाली सीरतानों की मीटिंग करूंगा और पूछ लूंगा, क्योंकि अगर सीरतानों की तादाद महज २०, फीसदी १५ फीसदी या ५ फीसदी हो तो क्या उनको अधिकार होना चाहिये और ९५ फीसदी को आउटविट कर देना चाहिये। यह मैं समझता हूं कि कोई जायज आर्गूमेंट नहीं हो सकता। लिहाजा जमीन हमारे लिये नाकाफी है इसलिये हम दूसरे को दे दें, हम ने दूसरा रोजगार कर लिया है और इसलिये जो उस पर कमा रहा है उस का उस पर अधिकार होना चाहिये।

अब यह बात कही गई कि पांच एकड़ तक बेदखल हो जाय। एक साहब का बस चलता तो १० एकड़ और १५ एकड़ तक के सब बेदखल हो जाते और फिर इसमें जब इस तरह का प्राविजन हो जाय तब आखिर जिन स्लोगन्स पर हम पले हैं उनका जस्टिफिकेशन कैसे हो, जो हम अपने स्लोगन्स के खिलाफ गलती करने जा रहे हैं उसका हल कैसे ढूंढा जाय तो लिहाजा गवर्नमेंट को यह मशविरा दिया जा रहा है कि साहब सीलिंग कर दीजिये आज

[श्री चरणसिंह]

जिन गरीबों के पास पांच एकड़ तक जमीन है वह तो बेदखल हो जायं और इसके बाद आप सीलिंग कर दीजिये। इसी तरीके से सीरतानों को बिला मुआविजे भूमिधर बना दीजिये। मैं अर्ज करता हूं कि सीरतान रहेगा कहां अगर वहां सीलिंग हो जायगी। आप उसके ऊपर कुछ मत बनाइये फिर सीलिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन मित्रों ने यह सुझाव दिया उसके साथ में उन्होंने रेवोल्यूशनरी प्रपोजल्स भी रखे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह दोनों चीजें कैसे होंगी। कहा यह गया कि खायकर से कोई कंपेंशेसन न लिया जाय। उससे कंपेंशेसन लिया भी नहीं जा रहा था। एक साहब ने कहा कि सीरतानों को एकदम से भूमिधर बना दीजिये। एक साहब ने कहा कि भूमिधरी के लिये उनसे दसगुना न लिया जाय। एक ने कहा कि नदी की तली में जो जमीन है उसमें उसको सीरदारी के हक क्यों नहीं होंगे। अरे भाई, वह भूमि परमानेंट नहीं है। जिस जमीन का परमानेंट करेक्टर नहीं है, जो आज निकल आई और कल नहीं रहेगी उसमें परमानेंट राइट नहीं होता है। उसका उसूल यही है। वह जमीन ही नहीं होती परमानेंट तो उसमें परमानेंट अधिकार कैसे दिया जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको बेदखल करने की बात अपने मन में रखते हुये यह मशविरा देना कि उन को भूमिधर बना दिया जाय, सीरदार बना दिया जाय जो भूमि परमानेन्ट नहीं है उसमें उनको सीरदारी का अधिकार दिया जाय यह सब कहना कहां तक जायज है और कैसे हो सकता है। वह गरीब रहेगा ही कैसे ?

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि कोई डिसीजन कांफ्रेंस में नहीं लिया गया। जहां तक मुझे याद पड़ता है उसमें वोटिंग तो नहीं हुई थी लेकिन जो कांसेंसेस आफ ओपीनियन थी वह अभी भी हमारे रेकार्ड में है और कांसेंसेस आफ ओपीनियम में हर एक की राय भी लिखी हुई है। मैं माननीय नारायणदत्त जी की जो राय है उसको पढ़कर सुनाना नहीं चाहता, लेकिन उसके कांसेसस में जो बात उन्होंने की है वह .....

श्री राजनारायण—सुना दीजिये न।

श्री चरणसिंह—खैर, अब रहने दीजिये। मेरा मतलब यह है कि डिसीजन नहीं लिये गये थे, लेकिन कांसेंसेस आफ ओपिनियन क्या थी यह है।

फिर फारेस्ट सेटिलमेन्ट के लिये कहा गया। वह भी रोज नहीं होता। वह तो एक बार ही होता है। शुरू में जब एक बार हुआ तो फारेस्ट सेटिलमेंट होता है। वह राइट्स घटते-बढ़ते नहीं। तो इससे कोई वास्ता नहीं है उससे। और अगर हो तो वह होता फारेस्ट ऐक्ट के मातहत है, इससे उससे कोई वास्ता नहीं।

इसके अलावा एक बात यह कि प्राइवेट फारेस्ट का एक्वीजीशन करना चाहिये और उनका छोड़ना ठीक नहीं है। माननीय जगमोहन सिंह जी नेगी ने यह सुझाव दिया और मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूं। मैं खुद प्राइवेट फारेस्ट को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं उन्होंने बहुत सी दिक्कतें रखीं और हमारे जो फारेस्ट और रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं एक ही अफसर हैं और दोनों पदों पर कार्य कर रहे हैं उनका जो तजुर्बा हुआ, इस पद के सम्हालने के सिलसिले में और उसमें इतनी कानूनी पेचीदगियां आईं और जितनी कानूनी पेचिदगियां थीं उन्होंने भी अपने तजुर्बे की बिना पर उस वक्त यह मशविरा दिया लेकिन अब फिर हम लोग जब यह सेलेक्ट कमेटी में जायें तो इस मामले पर विचार करेंगे और अगर ले सकते हैं तो मुझे प्राइवेट फारेस्ट लेने में खुशी होगी और उनका छोड़ना पसन्द नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अब इस बिल के सिलसिले में जो गलत बातें कही गयीं उनकी भी चर्चा मैं करना चाहता हूं। एक तो उपाध्याय जी ने कहा कि कोई दूसरे ला का रिफरेन्स नहीं होना चाहिये। यह नामुमकिन है। यह नहीं हो सकता है क्योंकि पास्ट से ही प्रेजेन्ट निकलता है। तो पिछली चीज का रिफरेन्स करना होगा कि फलां आदमी सीरतान जो रहा है कस्टमरी

ला के मुताबिक और जो काश्तकार रहा है और काश्तकार कहलाता था तो वह चीज तो रखनी पड़ेगी । अगर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के सारे रिफरेन्स यहां पर दिये जाते तो यह बड़ी किताब बन जाती और उसके पास करने में ३,४ महीने लगते और नतीजा क्या होता । इसलिये रिफरेन्स की जरूरत पड़ती है । वह तो रिफरेन्स तब नहीं होता जब कि कोई वायलेन्स से चीज ली जाय । लेकिन हमारे यहां जो पिछला लिखा हुआ रिकार्ड है उसका रिफरेन्स करना होगा ।

दूसरी बात कही गयी कि कम्पेन्सेशन सीरतान से नहीं लेना चाहिये जैसा कि प्लेन में नहीं लिया गया । सीरतान जब सीरदार होगा तब हम उससे कहां ले रहे हैं इसलिये कि यहां पर भी नहीं लिया गया है । दूसरी बात फ्री सिम्पिल इस्टेट की है तो उनको हम कहां छोड़ रहे हैं । वह मालगुजारी पहले नहीं देते थे आगे को देंगे । यों तो सदाव्रत और गूंठ के जो सीरतान हैं उनके और अधिकार हैं । जो मन्दिर, मस्जिद और स्कूल की जमीन के जो सीरतान और खायकर हैं उनके जो अधिकार होने चाहिये वह अधिकार उनको मिलेंगे जो कि दूसरी जमीनों के काश्तकारों को अधिकार मिले हैं । इसलिये यह जो कहा गया वह ख्याल गलत है । माननीय नारायणदत्त जी ने कहा था कि सीरतान और खायकर आगे को गवर्नमेंट को वही लगान देंगे जो वह अभी तक देते रहे हैं । मैं उस दफा को पढ़ देता हूं ।

"all rents, cesses, local rates and SAYAR payable in respect of the Khaikari land for any period after the appointed date shall continue to be paid."

खायकर की लैन्ड के मुताल्लिक जो सेस सर्किल रेट दिये जाते हैं वह दिये जाया करेंगे । जो मालिकान अपना लगान वहां पर देते थे तो अब आगे को जो मालगुजार होगा वह खायकर होगा और वह खायकर लगान देंगे लेकिन सीरतान का इसमें लफ्ज नहीं है । मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि सीरतान इसमें कहा से आ गया । आज खायकर जो जमींदार को देता है वह २० गुना ४० गुना और १०० गुना तक देते हैं । यह हमारे पास अफसरों की रिपोर्ट है । वह कम्युटेड रेन्ट देंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने तो धारा ३३ का सी पढ़ा था जो इस प्रकार है कि :—

"The provisions of clauses (*a*), (*b*), (*c*), (*d*), (*e*), (*f*) and (*h*) of section 5 and section 6 shall *Mutatis Mutandis* apply as if for the expressions Hissedar "khaikari land", "appointed date" the expressions "Bhumidhar" "notified land" and "specified date" have respectively been substituted.

आपको यह साफ करना चाहिये था कि जो खायकर हिस्सेदार को देता है वही देगा ।

श्री चरणसिंह—वह कम्यूटेड रैन्ट तो देगा ही ।

माननीय सत्यसिंह राणा और विष्ट जी दोनों ने कहा कि मौरूसीदार को खायकर क्यों बनाया जाय, हिस्सेदार उसे मानना चाहिये । टेहरी-गढ़वाल में मौरूसीदार अपनी खेती का प्रोपाइटर नहीं है । जो वहां गवर्नमेंट स्टेट्स हैं उनमें जमींदारी अबालीशन का सवाल नहीं होता । वहां केवल लैन्ड रिफार्म्स हैं ? खायकर आउट राइट बन रहा है भूमिधर, और हिस्सेदार आउटराइट बन रहा है भूमिधर । तो उससे कोई नुकसान नहीं है । अगर कुछ होता हो तो माननीय सदस्य सेलेक्ट कमेटी में बतावें, वहां उसे ठीक कर दिया जायगा । अब नारायणदत्त जी चाहते हैं कि रस्सी से नापा जाय, १८६० में जैसे सेटिलमेन्ट हुआ था । अब मैं क्या बताऊं, अध्यक्ष महोदय, साइंस इतनी बढ़ गई है । ४०फीसदी जमीन असेस्ड है और प्लेन टेबिल से एक्यूरेट मेजरमेन्ट होता है । अगर आप रस्सी से नापते हैं और दूसरा आदमी यह नतीजा निकाले कि आप ४० फीसदी जमीन और चाहते हों तो उसका नतीजा बहुत कुछ अनजस्टीफाइड नहीं होगा । उन्होंने कहा कि ८० साला, सम्बत् १८८० की, बाउन्ड्री नहीं मानी जा रही है । वल्लाह ! लेकिन हमारे यहां तो उसी को बेसिस मान

-[श्री चरणसिंह]

कर सारा काम हो रहा है। आप कहते हैं कि पहले ६४ इंच था अब ३२ इंच करने से छोटे खेत नाप में कैसे आवेंगे। इसके लिये यदि वह ३ (ए) को पढ़ने का कष्ट करेंगे, मैं आपका समय उसे पढ़ कर नहीं लूंगा, तो उन्हें मालूम हो जायगा कि ३२ इंच जरूरी नहीं है। बल्कि यह है कि जैसा पहले था वह होगा। तो उनकी यह ३२ इंच वाली बात भी गलत है। माननीय जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि ८४ लाख रुपया खर्चा कर रहे हो इसका आधा ४२ लाख सड़कें ही बनाने के लिये दे दिया जाय। मगर उनसे कहना चाहता हूं कि खर्चा यह बेकार नहीं जायगा। क्या हर साल सारी जमीन जो जेरेकाश्त है वह लैन्ड स्लाइड में चली जाती है? नेगी जी का कहना है कि लैन्ड स्लाइड होंगे तो सारे नक्शे बेकार हो जायेंगे। यहां भी तो बाढ़ आती है तो सब जमीन बेकार हो जाती है। नीचे बाढ़ आती है तो वहाँ भी आता होगा। तो सारे सूबे का नक्शा तो बेकार नहीं हो जाता? इसका रेकार्ड होना चाहिये और रेकार्ड अगर होता तो जो कनफ्यूजन आज हो रहा है वह नहीं होता। इससे हमारी मालगुजारी भी बढ़ेगी। आज रेट्स ५० फीसदी हैं। उसका असेसमेंट होगा तो मालगुजारी जो आज कुमायूं डिवीजन में ६ लाख रुपये वसूल होती है वह मैं समझता हूं कि कम से कम १२, १३ लाख तक हो जायगी। ठीक रेकार्ड हो जायगा तो मैं समझता हूं कि किस खेत में कौन सी फसल खड़ी है यह रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को, प्लानिंग कमीशन को हम दे सकेंगे। एक रिपोर्टिंग एरिया हो जायगी इसलिये वह बेकार नहीं जायगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी, वह माननीय उपाध्याय जी के दिमाग की उपज थी कि कांग्रेस वाले एलेक्शन से बचना चाहते हैं इसीलिये वे चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जावे। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिये कि कांग्रेस वाले तो हमेशा ही कहते रहे हैं कि जमीन जो जोतता है वह उसका मालिक होना चाहिये। तो उनके नारे के मुताबिक ही यह काम हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एलेक्शन में इस बिल के पास होने या पेश होने से नुकसान तो होता नहीं। नुकसान तो तब होता जब कोई मुखालिफ पार्टी यह कहती कि देखो, सीरदारों को हक मिल रहा है और सीरतानों का हक छीना जा रहा है। तीन भाई जो टेहरी-गढ़वाल से आये हैं, मैंने देखा कि वह भी बहुत सी प्रोग्रेसिव वियूज के हैं, तीन आदमी सोशलिस्ट पार्टी के हैं जिनमें दो आगे और एक पीछे बैठे हुए हैं। वे भी इसी हक में हैं कि सीरतानों को हक मिलना चाहिये। कांग्रेस वाले भी इसी हक में हैं कि सीरतानों को हक मिलना चाहिये। अगर कांग्रेस वाले सीरतानों को हक देने के खिलाफ होते तब तो एलेक्शन में नुकसान होता। अगर कोई रिएक्शनरी पार्टी होती तो वह कहती कि सीरतानों को जमीन दी जा रही है और हिस्सेदारों से छीनी जा रही है तब तो नुक्सान होता लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है। इसलिये यह जो गलत फहमी है वह ठीक नहीं है। यह कहा गया कि रेफरेंस सेलेक्ट कमेटी में न हो। उपाध्याय जी का ख्याल है कि गवर्नमेंट और कांग्रेस वाले एलेक्शन से बचना चाहते हैं लेकिन उनका यह ख्याल निर्मूल व निराधार है। अगर उनकी समझ में बात आ जाय कि इसका अपोजीशन करना निराधार है तो वे इस बात को मानेंगे कि सेलेक्ट कमेटी में इसका जाना जरूरी है। यह एक इम्पार्टेंट मेजर है, जैसे और लैंड टेन्योर है उससे इसकी कंडिसन कुछ पिकुलियर है। यह कोई क्लेम नहीं कर सकता कि इसमें कोई नुक्स नहीं है। सेटिलमेंट के नुक्स तो एपेरेंट हैं। सेटिलमेंट कमिश्नर ने १५ दिन पहले ही लिख कर भेजा है कि फलां-फलां अल्फाज को बदलना चाहिये, फलां जगह यह चीज रह गयी है, फलां जगह यह चीज रह गयी है, तो नुक्स तो हैं ही, लेकिन उसको हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिये। इसके अलावा प्राइवेट फारेस्ट को लेना चाहिये या नहीं लेना चाहिये इस पर भी कोई कंसिडरेशन अभी तक नहीं हो सका है। इसके ऊपर भी इत्मीनान के साथ, गौर के साथ मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में ही विचार हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि सेलेक्ट कमेटी का जो मेरा मोशन है उसको सब मेरे माननीय मित्र समर्थन करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि कुमायूं जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५६, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—६१,

विपक्ष में १०।)

कुमायूं जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था विधेयक की प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब जो प्रवर समिति के नाम भेजे गये हैं वह यह हैं:—

सर्व श्री जगमोहन सिंह नेगी, बलदेव सिंह आर्य, गंगाधर मैठाणी, चन्द्रसिंह रावत, रामप्रसाद नौटियाल, नरेन्द्रसिंह विष्ट, खुशीराम, मदनमोहन उपाध्याय, गोवर्धन तिवारी, नारायणदत्त तिवारी, लक्ष्मणदत्त भट्ट, महाराजकुमार बालेन्दुशाह, श्री कृष्णदत्त पालीवाल, गेंदासिंह, चतुर्भुज शर्मा, जयपाल सिंह, व्रजभूषण मिश्र, जयराम वर्मा, जगन्नाथ दास (लखीमपुर- खीरी), सुल्तान आलम खां। माननीय मंत्री जी उसके पदेन सदस्य रहेंगे।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरीगढ़वाल)—मेरी प्रार्थना है कि मेरी जगह श्री सत्य सिंह राणा का नाम रख दिया जाय। आशा है, मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति न होगी।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो श्री सत्यसिंह जी को खुद ही रखना चाहता था लेकिन उसमें चूंकि ज्यादा गुंजाइश नहीं थी इसलिए उनको नहीं रखा था, अब महाराजकुमार बालेन्दुशाह भी रहें और श्री सत्यसिंह राणा भी रहें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि श्री नरेन्द्रसिंह जी विष्ट चूंकि कैलाश गए हुए हैं और इस बीच में उनके वहां से लौटने की आशा नहीं है और चूंकि टेहरी के कुछ लोगों का उसमें रहना जरूरी है और महाराजकुमार जी को वहां की जानकारी नहीं है इसलिए.....

श्री चरणसिंह—तो श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट की जगह श्री सत्यसिंह राणा को रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो श्री सत्यसिंह राणा को श्री नरेन्द्रसिंह की जगह रखे देते हैं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—मेरे नाम की जगह श्री सत्यसिंह राणा का नाम रखने में क्या मंत्री जी को आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—जी, वह आप को रखना चाहते हैं।

तो जो नाम यह हैं उसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ?

(उक्त नाम स्वीकृत हुए।)

श्री अध्यक्ष—प्रवर समिति के सभापति पद के लिए मैं माननीय चरणसिंह जी को नामजद करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
७ अगस्त, १९५६।

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३६ पर)

प्रश्न ४ के साथ संलग्न सूची

वाराणसी में प्रथम चरण के अन्तर्गत निम्नलिखित घाटों पर कार्य चालू हैं :—

(१) चेत सिंह घाट..... कार्य समाप्त हो चुका है।
(२) गुलरिया घाट,
(३) विजयानगरम घाट,
(४) त्रिपुराभैखी घाट,
(५) मीरघाट,
(६) मीरघाट और ललिता घाट के बीच का भाग,
(७) शीतला तथा दशाश्वमेध घाट,
(८) दुर्गा तथा ब्रह्मा घाट,
(९) बूंदी परकोटा घाट और
(१०) आदिकेशव घाट।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४६ पर)

सहायता का विवरण		थांथर	वानडोमर	थरौली	खैरा
१—तकावी	..	१६५ रु०	१५० रु०	९१० रु०	२०५ रु०
२—अनाज	..	१९ मन	२३ मन	१३ मन २४ सेर	४ मन २२ सेर
३—नमक	..	५ मन	७ मन	१ मन २१ सेर	२० सेर
४—मिट्टी का तेल		५ टिन	१० टिन	१ टिन ८ बोतल	१० बोतल
५—सुरती	..	२ सेर	४ सेर	२ सेर	आध सेर
६—दियासलाई	..	८	१२	१२	..
७—कपड़ा	..	६ धोती ३ कमीज	५ धोती २ कमीज	४ धोती २ कमीज	२ धोती १ कमीज
८—गृह निर्माण के लिये सहायता	..	३० रु०	२० रु०	३० रु०	..

इसके अतिरिक्त ग्राम थांथर, वानडोमर तथा थरौली की खरीफ १३६३ फसली की पूरी माल गुजारी माफ कर दी गई। चौथे ग्राम खैरा में खरीफ फसल को कोई क्षति नहीं हुई।

टेस्ट वर्क भी खोले गये और ८५,००० रु० पारिश्रमिक के तौर पर किया गया।

उदय प्रकाश त्रिपाठी

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४७ पर)

घास के झूलों की सूची (क)

क्रम संख्या	झूले का नाम	स्थान तथा नदी पर झूला स्थित है
	(अ) जिला गढ़वाल	
१	नोटी	आटा गाड़
२	सोनला	अलखनन्दा
३	कुलसारी	पिन्डर
४	रौलन नगर	पट्टी रानी गढ़
५	उत्तियासू	पट्टी रावतस्यू
६	धारी	अलखनन्दा
७	चन्द्रापुरी	मन्दाकिनी
८	रामपुर	,,
९	अगस्तमुनी	,,
१०	डामर गाड़	पट्टी तलाकाली घाट
११	वैडूब गढ़	,,
१२	बागमुन्डा	अलखनन्दा
१३	सिमली	पिन्डर
१४	बगोली	पट्टी चांदपुर
१५	सिवाई	पट्टी बिचला नागपुर
१६	तिलनी	पट्टी तल्ला नागपुर
१७	बनाला	पट्टी तल्ला दशोली
१८	कुहयाणी	पट्टी बिचला नागपुर
१९	कोठगी	पट्टी दशजूला
२०	लगासू	अलखनन्दा
२१	विलाखिला	विलाखिला नदी पर
२२	दिगोली	पट्टी रावतस्यू
२३	छिनका	अलखनन्दा
२४	लामबगढ़	अलखनन्दा
२५	ढाक	धौली नदी
२६	नौली	धौली नदी
२७	दूनागिरी	धौली नदी पर
२८	सिली	मंदाकिनी पर
२९	रुद्रप्रयाग	मंदाकिनी पर
३०	सेमी	अलखनन्दा
३१	पाडुकेशर	अलखनन्दा
३२	मालकोट	मालकोट के निकट
३३	सैल्लगढ़	अलखनन्दा
३४	स्वीत	अलखनन्दा
	(ब) जिला टिहरी	
३५	एक झूला	दिदसारी नदी धरासू गंगोत्री
३६	,,	जामक ,, ,,
३७	,,	खिजोरं ,, ,,
३८	,,	छाम नदी टिहरी धरासू सड़क
३९	,,	ह्यासू नदी ,, ,,
४०	,,	सिराई नदी ,, ,,
४१	,,	क्यारी नदी टिहरी देवप्रयाग
४२	,,	मसाऊ ,, ,,
४३	,,	पिन्डारसू टिहरी देव प्रयाग
४४	,,	कोटेश्वर ,, ,,
४५	,,	केसासेरा लक्ष्मण झूला कीर्तिनगर सड़क
४६	,,	धारा कीर्तिनगर सेरा
	(स) जिला अल्मोड़ा	
४७	,,	गजिया मुस्यारी स्थान मन्दाकिनी नदी
४८	,,	,, ,, सेरा नदी
४९	,,	,, ,, गोरा नदी
५०	,,	नाचनी धरमघर, राम गंगा नदी नाचनी के पास
५१	,,	तेजम गिरगांव (स्थान जोकुला नदी)

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४८ पर)

सूची (ख)

सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित झूलों का आयोजन किया गया है, ये सब सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य पर हैं ।

जिला अल्मोड़ा

१	जैनाल पुल	रामगंगा नदी पर
२	रामेश्वर पुल	" "
३	धराचूला	काली नदी
४	निचनी	मुजगढ़
५	नई गांव के निकट	काली राम
६	ओनरी	रामगंगा

जिला गढ़वाल

१	काली मय पुल	काली गंगा नदी
२	उनमावता और सोनला	अलखनंदा नदी
३	सीरोली	घाटागाड नदी
४	दोगड्डा	लोह नदी
५	आट गाय	नदी मील १० खरीमा-कर्ण प्रयाग मार्ग ।

जिला टेहरी

१	हैदीयारी	भागीरथी
२	नौगांव	जमुना
३	श्रीनगर	भागीरथी
४	कोटेश्वर	" "
५	लोसतर	पंजोनी नदी

जिला नैनीताल

१ झूले ६

उदय प्रकाश विधायक पुस्तकालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१४६ एल० ए०—१९५६-७९६।